खण्ड-279, अंक-4
शुक्रवार, 31 श्रावण, शक संवत् 1891
(22 अगस्त, 1969 ई0)

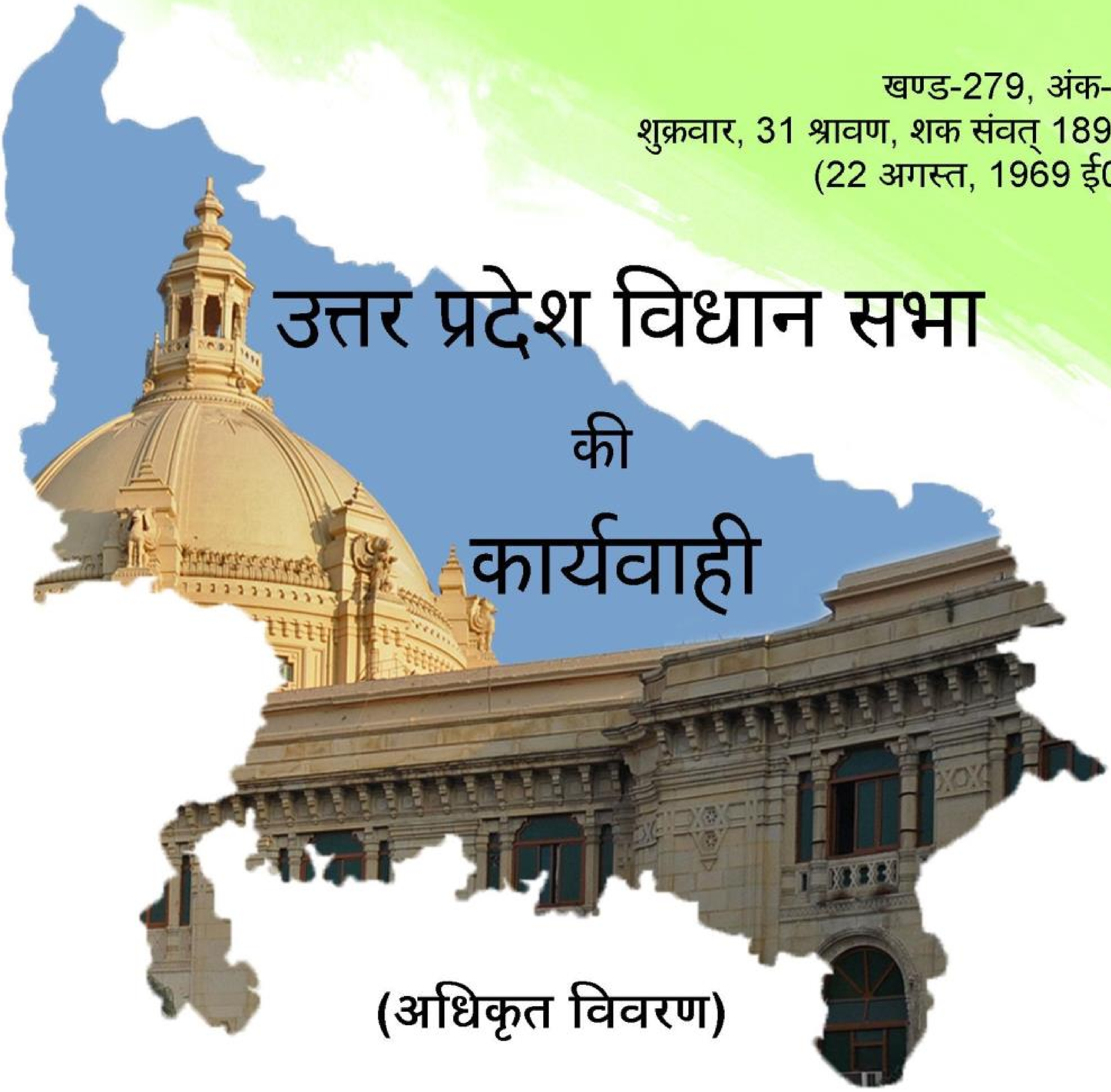

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

खण्ड 279 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६९

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २२ अगस्त, १९६९

विधान सभा की बैठक, सभा मंडप, लखनऊ में १०.३० बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

## उपस्थित सदस्य---४००

अजब सिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फ़ार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, राजा
आनन्द सिंह, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल, श्री
उदय नाथ, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैया लाल, श्री
कन्हैया लाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्यान सिंह, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्ण चन्द्र, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ़ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्दराय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)

केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नरायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कांत सिंह, श्री
चन्द्रमोहन, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर, श्री
जंगबहादुरसिंह, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
जैराम, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
त्रिवेनी सहाय, श्री (जिला बदायूं)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रसिंह, कुंवर
धनषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मबीर, श्री
धर्मबीरसिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री

नैपाल, श्री
नौनिहालसिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारीदेवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारेलाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्त, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
फिरंगी, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभो, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्या, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनोहरलाल, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीरसिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीरसिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री
(उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री
(उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराजसिंह, चौधरी
रघुवीर सिंह यादव, श्री
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री

राजाराम श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
रामकुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री
(जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
राम रतन पांडेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
रामसेवक, श्री
रामस्वरूप बर्मा, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर रफी खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूप राम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेवसिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, राजा
विजय बहादुर सिंह, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीरबहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुंतला देवी, श्रीमती
शचींद्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती

शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिवबक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत, श्री
श्री कृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सत्तार अहमद श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल, श्री
सूर्यनाथ, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबुउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा–फतेहाबाद)
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा–पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

# प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २२ अगस्त, १९६९

## अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

### तुरहाजाति तथा हरिजन कल्याण योजना 'मूल्यांकन समिति का प्रतिवेदन'

**१—सर्वश्री शंभूनाथ चौधरी (जिला बलिया), भाभी (जिला आजमगढ़), श्याम लाल (जिला आजमगढ़), हरिवंश (जिला देवरिया), चौधरी रामपालसिंह यादव (जिला कानपुर), अनीसुर्रहमान, (जिला अलीगढ़), राम बिलास (जिला आजमगढ़) तथा छेदा लाल चौधरी (जिला खीरी)—

क्या सरकार बतायेगी कि हरिजन सहायक विभाग पत्र संख्या २८४७/XXVI—७४२—१९६४, दिनांक २१ अगस्त, १९६४ के उत्तर द्वारा सरकार ने उत्तर प्रदेशीय तुरहा जातीय महासभा के मंत्री को तुरहा जाति को पिछड़ी जातियों में गणना करने का आश्वासन दिया था? यदि हां, तो क्या सरकार उस आश्वासन के आधार पर तुरहा जाति की गणना पिछड़ी जातियों में करने का आदेश प्रसारित करेगी?

समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती विद्यावती राठौर)—

जी नहीं। दूसरा प्रश्न नहीं उठता।

**२—सर्वश्री शंभूनाथ चौधरी, भाभी, श्यामलाल, हरिवंश, चौधरी रामपाल सिंह यादव, अनीसुर्रहमान, राम बिलास तथा छेदालाल चौधरी—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि सरकार ने १९६४—६५ में पिछड़ा वर्ग मूल्यांकन समिति बनाई थी? यदि हां, तो क्या सरकार उस समिति की रिपोर्ट सदन के पटल पर रख कर प्रकाशित करेगी?

श्रीमती विद्यावती राठौर—

१९६४—६५ में पिछड़ा वर्ग मूल्यांकन समिति नाम की कोई समिति नहीं बनी थी। जून, १९६४ में जो मूल्यांकन समिति आचार्य श्री जुगल किशोर जी की अध्यक्षता में हरिजन सहायक विभाग की योजनाओं की कार्यप्रणाली इत्यादि की जांच करने तथा उनके प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिये गठित की गई थी, उसकी रिपोर्ट† की एक प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

श्री शंभूनाथ चौधरी—

मान्यवर, हमारा पहला प्रश्न अल्पसूचित था और उसमें पत्र-संख्या भी दी है, तारीख दी है और उसकी कापी है मेरे पास जिसे मैं पढ़ रहा हूं। यह हरिजन विभाग का लिखा गया है, एस० एल० शुक्ला, अनुसचिव—

"*Demand for inclusion of Turha Community in the List of Backward Classes*—With reference of his application, dated June 11, 1964 regarding the subject mentioned above the undersigned is directed to inform Sri Bhola Prasad that the matter is under the consideration of Government."

---

†छापी नहीं गई।

भोला प्रसाद तुरहा जातीय महा सभा के मंत्री थे। तो जब यह लिखा गया है तो माननीय मंत्री जी बतायेंगी कि जो हमारे पास कापी है उसको सही मान कर उत्तर देंगी।

श्री अध्यक्ष---

उनके पास भेजना पड़ेगा, इसको मिलाकर देखेंगे।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

श्रीमन्, मैंने लेटर दिखा दिया है उनको।

श्रीमती विद्यावती राठौर---

पहले एक पत्र गया था महासभा को कि उस पर विचार हो रहा था और सूचना आने पर यह तय किया गया कि इसे स्थगित किया जाय और तुरहा जाति को बैकवर्ड जातियों में मिलाने पर अभी विचार न किया जाय।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि बिहार में तुरहा जाति पिछड़ी जाति में शुमार है और कमीशन की रिपोर्ट भी है। जगजीवनराम जी ने तुरहा जाति के सम्मेलन के अवसर पर एक पत्र लिखा था कि तुरहा जाति की गणना पिछड़ी जातियों में है। तो ये जो तथ्य है उनको देखते हुए क्या बिहार की तरह तुरहा जाति को यहां भी पिछड़ी जाति में शुमार करने की कृपा करेंगे?

श्रीमती विद्यावती राठौर---

मुझे अच्छी तरह मालूम है तुरहा जाति के विषय में कि यह बैकवर्ड कहारों की कैटेगरी में आती है और मैं यथासंभव, नियमानुकूल इसे बैकवर्ड जाति में लाने की चेष्टा करूंगी।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि जब बैकवर्ड क्लास में कुछ जातियां आती हैं तो उनको कुछ सुविधाएं दी जाती है। तो १९५४ की बैकवर्ड क्लास की रिपोर्ट के आधार पर इन जातियों को कुछ सुविधाएं देने का विचार कर रहे हैं?

श्री विद्यावती राठौर---

बराबर और आगे भी दिया जायगा।

श्री भाभी---

क्या मंत्री महोदय को यह ज्ञात है कि तुरहा जाति की जनसंख्या प्रदेश में कितनी है और यह भी साथ ही साथ ज्ञात है कि यह तुरहा जाति पिछड़ी जाति के सामाजिक स्तर की है इसलिये इसको पिछड़ी जाति में रखने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष---

यह तो उन्होंने करने के लिए कह दिया। आगे बढ़ते हैं।

## स्थायी अल्प संख्यक आयोग की नियुक्ति

**३---श्री श्याम लाल---

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि क्या प्रदेशीय स्तर पर अल्प-संख्यकों के लिये स्थायी आयोग की नियुक्ति का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो ऐसे आयोग की नियुक्ति कब तक हो सकेगी?

उद्योग मंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)—

प्रदेशीय स्तर पर एक स्थायी अल्प संख्यक आयोग की नियुक्ति १ जुलाई, १९६९ से की जा चुकी है ।

श्री श्याम लाल—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस आयोग में कौन-कौन से सदस्य रहेंगे ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

एक ही सदस्य है, श्री विमलाकान्त मिश्रा, आई० ए० एस० ।

श्री श्याम लाल—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस आयोग में क्या विरोधी दल के सदस्यों को भी सम्मिलित किया जायगा ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

जैसा मैंने बतलाया उसमें एक ही अफसर है श्री विमलाकान्त मिश्रा, आई० ए० एस०, इसलिए विरोधी दल के सदस्यों का रखने का प्रश्न नहीं है ।

श्री शम्भुनाथ चौधरी—

आयोग के सामने कौन-कौन से विचारणीय प्रश्न हैं ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

इस आयोग के कार्यक्षेत्र में अल्पसंख्यक अनुसूचित जाति, एवं पिछड़ी जाति एवं जनजाति के सभी मामले हैं तथा वह मामले जो समय-समय पर निर्धारित किये जायंगे, होंगे ।

## फर्रुखाबाद जिले में गंगा के घटिया घाट पर स्टीमर पावर बार्ज में खराबी

**४—श्री मरहमसिंह (जिला फर्रुखाबाद), श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर), श्री राममूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर) तथा श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि फर्रुखाबाद जिले में इटावा-बरेली रोड वाले गंगा के घटिया घाट पर दोनों स्टीमर पावर बार्ज खराब हालत में खड़े हैं और गंगा की बाढ़ का पानी खतरे के बिन्दु के निकट है जिसके कारण गंगा पार करने में संकट खड़ा हो गया है ? यदि हां, तो सरकार पूरी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (चौधरी गिरधारीलाल)—

दो पावर बार्जों में से एक पावर बार्ज खराब हो गया है । यातायात की आवश्यकता एक पावर बार्ज से पूरी हो जाती है । दूसरा पावर बार्ज इसलिये रहता है कि यदि पहला बार्ज खराब हो जाय तो उसकी जगह पर वह काम कर सके । खराब बार्ज की मरम्मत जल्द से जल्द कराने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एक स्टीमर पावर बार्ज कब से खराब है ? और ६ अगस्त से ११ अगस्त तक दोनों स्टीमर पावर बार्ज खराब हो गये थे ?

चौधरी गिरधारीलाल—

वास्तव में एक स्टीमर पावर बार्ज ही वहां शुरू से काम कर रहा है और १० तारीख को खराब हो गया था । उसके पंखे खराब हो गये थे जिसके जरिए से वह चलता है । उसमें

कुछ रेत आ गया था । उसकी मरम्मत में एक दिन की देरी लगी और १२ तारीख को वह फिर चलने लगा और इस बीच वहां नावों से आमदरफ्त होती रही ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या दोनों चलते तो टैक्स की ज्यादा वसूली होती और एक के चलने के कारण ठेकेदार को फायदा हुआ है और विभाग को नहीं हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा था कि पहला कब से खराब है उसका उत्तर मुझे नहीं मिला।

चौधरी गिरधारी लाल—

पहला बार्ज कुछ दिनों से खराब है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

यह काफी दिनों से खराब है । मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अगर ये दोनों बार्ज चलते तो पी० डब्लू० डी० को फायदा होता और इन दोनों के चलने से ठेकेदार को नुकसान पहुंचता है ?

चौधरी गिरधारीलाल—

इसमें सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री महरम सिंह—

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि इस वर्ष गर्मी के दिनों में जिला बाढ़ समिति ने एक प्रस्ताव पास करके पी० डब्लू० डी० के अधिकारियों से अनुरोध किया था कि दूसरा बार्ज काफी दिनों से खराब है, उसको ठीक कराया जाय ? एक पावर बार्ज चलता है तो उसमें इतनी ज्यादा सवारियां चलती हैं कि एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है और जो नावें वहां चलती हैं उनसे बाढ़ पीड़ित लोगों को निकालन में दिक्कत होती है ?

चौधरी गिरधारीलाल—

इस सिलसिले में महकमा खुद सतर्क है कि पावर बार्ज जल्दी से जल्दी ठीक हों। लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो आसानी से यहां मिल नहीं रहे हैं। काफी तलाश हो रही है। अगर फारेन एक्सचेंज की जरूरत हुई तो उसकी भी कोशिश की जा रही है । लेकिन वहां की जो राय है आम तौर से यह कि एक बार्ज से काम चल रहा है।

श्री मनोहरलाल (जिला कानपुर)—

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि दो पावर स्टीमर हैं उनमें विदेशी पूंजी लगी है ? एक पावर स्टीमर के सारे पुर्जे गायब हो गये हैं और दूसरे के भी हो रहे हैं ?

चौधरी गिरधारी लाल—

मुझे कोई इत्तला नहीं है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या मंत्री जी बाढ़ की विभीषिका को देखते हुये जो स्टीमर खराब है उसको जल्दी ठीक करायेंगे और अगर ठीक नहीं हो सकता तो उसकी जगह दूसरा स्टीमर देने की कृपा करेंगे ?

चौधरी गिरधारी लाल—

मैं तो चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी ठीक कर लिया जाय।

श्री मनोहर लाल—

जैसा कि मैंने कहा कि वहां एक बार्ज के पुर्जे गायब हो गये हैं और दूसरे के भी गायब हो रहे हैं। एक का तो ढांचा ही रह गया है। तो क्या मंत्री जी जांच करवायेंगे और जिनकी गलती होगी उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे?

चौधरी गिरधारी लाल—

यह तो आपने इंफार्मेशन दी है। मैं उसे देख लूंगा। अगर इस तरह की बात है कि पुर्जे गायब हो गये हैं तो देखने की जरूरत है कि कैसे गायब हुये।

श्री अध्यक्ष—

आपने उत्तर में क्या लिखा है?

चौधरी गिरधारी लाल—

उत्तर में तो यह लिखा है कि एक बार्ज खराब है और उसके पार्ट्स अवेलएबुल नहीं हैं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

एक पावर बार्ज पर कितनी सवारियां उतारने का नियम है और कितना किराया लिया जाता है।

चौधरी गिरधारी लाल—

एक पावर बार्ज ७०–८० पावर हार्स के बीच में होता है और १५० के करीब आदमी बैठ सकते हैं।

किराये के लिए सूचना की जरूरत होगी।

श्री हिम्मत सिंह—

माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब जिलाधीश का सिफारिशी पत्र आया तो उसके दौरान से अब तक कौन-सी कार्यवाही की गयी जिससे वहां लोगों को सुविधा मिल जाय?

चौधरी गिरधारी लाल—

यह शार्ट नोटिस सवाल था और जल्दी से जल्दी जवाब देना था वह दे दिया।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या सार्वजनिक मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो स्टीमर पावर बार्ज हैं वे कितने पुराने हैं और इस साल बरसात से पहले उनका चेकिंग कब किया गया था?

चौधरी गिरधारीलाल—

चालू होने से पहले चेकिंग हमेशा होता है और उस वक्त भी किया गया था।

## विधायकों को रेलवे पास देने का सुझाव

**५—श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मई माह में उनके पास किसी विधायक का पत्र आया है जिसमें वर्तमान रेलवे कूपन प्रणाली के स्थान पर विधायकों को रेलवे पास प्रणाली की सुविधा देने के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है? यदि हां, तो सरकार ने उक्त पत्र के सन्दर्भ में क्या कार्यवाही की और किस निष्कर्ष पर पहुंची?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

जी हां, प्रश्नकर्ता का एक पत्र प्राप्त हुआ था। इस प्रदेश के विधायकों को रेल यात्रा कूपनों की व्यवस्था करने से पूर्व और उसके बाद भी उन्हें रेलवे पास दिये जाने के लिए प्रयत्न किया गया था, परन्तु भारत सरकार सहमत नहीं हुई। प्रश्नकर्ता के पत्र में उल्लिखित अन्य बातों पर विचार किया जा रहा है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि मैंने उन्हें जो पत्र लिखा था उसमें क्या बातें लिखी गयी थीं और वे क्या बातें हैं जिन पर कि वे विचार कर रहे हैं?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

पत्र तो आप ही ने भेजा था और आप ही अगर जानना चाहते हैं या दूसरों की जानकारी के लिए चाहते हैं तो मैं बताता हूं। एक तो यह थी कि कूपन प्रणाली से सरकार को वास्तविक किराए से कुछ ज्यादा किराया देना पड़ता है। कूपन प्रणाली का एक दोष यह भी है कि विधायकों को टिकट वगैरह बनवाने में देर लगती है और कभी-कभी इस कारण उनकी रेल छूट जाती है, जिससे उनको बड़ा कष्ट होता है। तीसरी बात आपने यह लिखी थी कि कभी-कभी विधायक लोग कूपन्स में कुछ बेईमानी भी कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि २—३ टिकट बनवा लें और चूंकि चेकिंग तो कोई खास नहीं होती है, इसलिए भी इसमें दोष है। जब रिजर्वेशन को रद्द करवाना पड़ता है तो टिकट वापस नहीं होते हैं। उस टिकट का पूरा पैसा सरकार को देना पड़ता है और कभी-कभी विधायकों के पास जो कूपन बच जाते हैं उसका पैसा भी सरकार को देना होता है। तो इस सम्बन्ध में भी इसमें एक दोष है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या सरकार इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से बात करेगी कि जब निश्चित मात्रा से अधिक सफर नहीं हो रहा है और कई सालों का हमें तजुर्बा भी प्राप्त हो गया है, तो फिर इसको लागू करने में क्या दिक्कत है?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

सुझाव आपका अच्छा है। इस सम्बन्ध में हम दो पत्र लिख चुके हैं। मैं दिल्ली जाऊंगा और बात करूंगा और आपकी जो राय है उससे भी उनको अवगत करूंगा।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

जो कूपन्स हम लोगों को मिलते हैं उनका पूरा रुपया हमारी सूबे की सरकार पहले अदा करती है और तब कूपन्स हासिल करती है, मगर बुकिंग आफिस से जो टिकट हमको ईश्यू होता है उस पर "फ्री" वर्ड लिखा होता है, जो कि वास्तव में फ्री नहीं है। क्या इस सम्बन्ध में मंत्री जी केन्द्रीय सरकार से वार्ता करेंगे?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

मैं समझता हूं कि ऐसा लिखना ठीक है। फ्री का मतलब यह है कि उससे यह पता चल जाए कि यह टिकट दूसरे टिकटों से भिन्न है। यह इंडीकेशन तो होना ही चाहिए कि वह टिकट और टिकटों से भिन्न है और वह एक विधायक का टिकट है।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—

क्या मंत्री जी को यह सुझाव मिला है बहुत से विधायकों की तरफ से, कि उन्हें रोडवेज के भी कूपन्स दे दिए जाएं? रोडवेज के कूपन्स देने से यू० पी० की सरकार को काफी बचत होगी और वह रुपया बच जायगा जो उसे भारत सरकार को ज्यादा देना पड़ता है।

(उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इन टिकटों पर जोकि विधायकों को मिलते हैं आर० टी० सी० अर्थात् रेलवे ट्रेविल कूपन शब्द लिखे होते हैं, तो फिर फ्री शब्द क्यों लिखा होता है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

मेरे पास इस बात की सूचना नहीं है लेकिन अगर ऐसा लिखा जाता है तो देख लेंगे। बहरहाल कुछ न कुछ तो लिखा ही जाना चाहिये।

## दीक्षा विद्यालय के अध्यापकों में मारपीट

**६—श्री अनीसुर्रहमान—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या लखनऊ के हिन्दी दैनिक स्वतंत्र भारत के नगर संस्करण दिनांक ७ अगस्त, १९६९ के पृष्ठ ३ पर "राजकीय दीक्षा विद्यालय के अध्यापकों की मारपीट" शीर्षक से छपी खबर की ओर शासन का ध्यान गया है, यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस विषय पर प्रकाश डालने का कष्ट करेंगे ?

शिक्षा मंत्री (श्री रामजीलाल सहायक)—

जी हां। इस सम्बन्ध में जांच जारी है।

श्री अनीसुर्रहमान—

क्या मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि जांच करने के आदेश कब हुए और कौन कर रहा है ?

श्री रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, ४ अगस्त, ६९ को इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स ने जांच करने के आदेश दिये और वही जांच कर रहे हैं।

श्री अनीसुर्रहमान—

क्या पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी हां, कराई गई है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

क्या शिकायत यह है कि इस विद्यालय के दो अध्यापकों के बीच मारपीट और झगड़ा हुआ और दांत भी काटे गये ? क्या पहले भी कभी ऐसी वारदात हुई है ?

श्री रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, पहले भी कभी ऐसी वारदात हुई इस बात की सूचना नहीं है लेकिन दो अध्यापकों के बीच मारपीट हुई है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो मारपीट हुई है उसमें कितने लोगों के चोटें आई हैं और क्या डाक्टरी मुआयना हुआ है ?

श्री अध्यक्ष—

दो के बारे में बतला दिया है, तो डाक्टरी मुआयना के बारे में और बतला दें।

श्री रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को छीनाझपटी में हाथ में काट लिया, वही चोट है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

अध्यापकों में मारपीट का कारण क्या था?

श्री रामजी लाल सहायक—

यहां के प्रधान अध्यापक छुट्टी पर गये। जिनको बनाया गया वह भी छुट्टी पर चले गये तो तीसरे आदमी को चार्ज मिला। तीसरे और चौथे आदमी में खटकती थी। इसने उसको आदेश दिये और उसकी सूचना देने अध्यापक के पास गया। अध्यापक ने कहा कि वह आदेशों पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, इसी पर झगड़ा हो गया।

श्री अनीसुर्रहमान—

क्या मंत्री जी जांच करायेंगे कि दो दलों में बंटे हुए अध्यापकों में दलबन्दी का कारण क्या है?

श्री रामजी लाल सहायक—

जो जांच होगी उसमें सभी बातों के बारे में आ जायगा।

श्री रामचरण—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जब प्रधान अध्यापक छुट्टी पर गये और उन्होंने सहायक अध्यापक को चार्ज दिया, तो क्या कारण था कि वह छुट्टी लेकर चले गये और तीसरे ने चार्ज लिया और गड़बड़ करा दिया? क्या शिक्षा विभाग में ऐसा नियम है?

(और बोलने का प्रयत्न करने पर)

श्री अध्यक्ष—

जवाब देने दीजिये।

श्री रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, जो सूचना है उसके अनुसार वह भी सज्जन छुट्टी पर चले गये जिनको चार्ज दिया गया था लेकिन कारण नहीं मालूम है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यदि इन दो अध्यापकों के बीच मारपीट अनुशासनहीनता है तो क्या अच्छा आदर्श उपस्थित करने के लिये इनको निलम्बित किया जायगा?

श्री रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, अनुशासनहीनता तो है ही, आपस में लड़ाई-झगड़ा कर रहे हैं, जो जांच होगी उसके मुताबिक जो कार्यवाही आवश्यक होगी वह की जाएगी।

## हरगांव थाने में श्री गजाधर प्रसाद मौर्य की हत्या

**७—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती), श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (जिला रामपुर) तथा श्री शंकरप्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ८ अगस्त, १९६९ को सीतापुर जिले के हरगांव थाने में जनसंघ के जिन एक प्रमुख कार्यकर्ता श्री गजाधर प्रसाद मौर्य की दिन दहाड़े हत्या की गई थी उस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

चिकित्सा मंत्री (श्री कृष्णानन्द राय)—

कथित घटना के सम्बन्ध में धारा ३०२ भा० दं० वि० का मुकदमा दर्ज करके पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है। सम्बन्धित अभियुक्तगण हाजिर अदालत हो चुके हैं तथा इस समय जेल में हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, बस एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि कौन-कौन लोग नामजद थे और सब गिरफ्तार हुये या कुछ बाकी रहे ?

श्री कृष्णानन्द राय—

मान्यवर, रुद्र सिंह, राजेन्द्र सिंह और शेख सिंह नामजद हुए। ८७/८८ की कार्यवाही की गयी। सब अदालत में हाजिर हो गए। कोई बेल नहीं हुए।

(श्री अध्यक्ष द्वारा अगला प्रश्न लेने पर)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, प्रश्न संख्या ७ में और मौका दें, तीन-तीन लोग पूछने वाले हैं, राजनैतिक हत्या है।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कह दिया कि पकड़े गए। न पकड़े गए होते तो मैं मौका देता। और प्रश्न करना चाहते हैं तो कर लीजिये।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस कत्ल के पीछे क्या कोई राजनैतिक मोटिव था ?

श्री कृष्णानन्द राय—

स्वर्गीय गजाधर जी के पुत्र जगदीश कुमार हैं जिन्होंने प्रथम सूचना लिखाई है। उसमें लिखा है कि कुछ खेत खरीदने के झगड़े में रुद्रसिंह वगैरह ने उनके पिता की हत्या की है।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि थानेदार महोदय उनके मारे जाने के कितनी देर बाद मौके पर पहुंचे और क्या वह जिन्दा मिले ?

श्री कृष्णानन्द राय—

करीब ८ बजकर ५ मिनट पर सूचना मिली और जैसे ही उनके पुत्र गये, थानेदार तुरन्त स्पाट पर गये उनके साथ में। उनको चोट लगी थी, अस्पताल भेजा। मुलजिम स्पाट पर नहीं मिले। लेकिन थानेदार तुरन्त पहुंचा था।

## थाना गुरबक्सगंज में श्री राजाराम सिंह की हत्या

**८—श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद रायबरेली में स्थान थाना लालगंज की नहर में एक लाश सिर तथा हाथ कटा हुआ, वहां के थाना इंचार्ज को मिली जो शिनाख्त से उक्त जनपद के थाना गुरबक्सगंज, ग्राम बढ़ौली के श्री राजा राम सिंह की बताई गई ?

श्री कृष्णानन्द राय—

जी हां।

**९—श्री गुप्तार सिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त राजा राम सिंह को दिनांक २८ जुलाई, १९६९ को कुछ व्यक्ति रात को उसके घर से बुला लाये थे जब वह २ दिन तक घर नहीं गये ? क्या यह सही है कि दिनांक ३० जुलाई, १९६९ तथा १ अगस्त, १९६९ को उनके परिवार के लोग थाना गुरबक्सगंज रिपोर्ट लिखाने गये तो वहां के थाना इंचार्ज ने उनकी रिपोर्ट लिखने से इंकार कर दिया ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की खुफ़िया पुलिस द्वारा जांच करने की कृपा करेगी ?

श्री कृष्णानन्द राय—

अब तक की जांच से यह पता हुआ कि मृतक राजाराम सिंह को कुछ व्यक्ति दिनांक २८-७-१९६९ को घर से बुला ले गये थे। यह सही नहीं है कि जब राजाराम सिंह दो दिन तक अपने घर नहीं लौटे तो ३१-७-१९६९ व १-८-१९६९ को उनके परिवार के लोग थाना गुरबक्सगंज रिपोर्ट लिखाने गये और थानाध्यक्ष ने रिपोर्ट लिखने से इन्कार किया। इस आरोप की जांच खुफ़िया विभाग द्वारा कराने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री गुप्तार सिंह—

क्या सरकार इस की जांच उच्च अधिकारियों द्वारा कराने की कृपा करेगी कि ३० तारीख को उनके परिवार वाले गये और थाना इंचार्ज ने उनसे कहा कि इनकी हत्या नैपालसिंह ने की है ? उन्होंने कहा कि वह नहीं मार सकते। तो थाना इंचार्ज ने कहा कि जाइए, रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी।

श्री कृष्णानन्द राय—

माननीय सदस्य कह रहे हैं तो जरूर जांच करा ली जाएगी। अच्छा होगा वह इस बात को लिख कर भी दे दें।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह रिपोर्ट थाने में कब लिखी गयी, अगर थानेदार ने ३० जुलाई को रपट लिखने से इन्कार नहीं किया तो ?

श्री कृष्णानन्द राय—

असल में यह लाश दूसरे थाने में, थाना गुरबक्सगंज में मिली। ३१ जुलाई, १९६९ को दुर्जन चौकीदार ने रिपोर्ट किया कि एक लाश बहती हुई दिखाई दे रही है।

श्री शिवशंकर सिंह (जिला रायबरेली)—

पोस्ट मार्टम रिपोर्ट क्या है ?

श्री कृष्णानन्द राय—

वह तो काफी बड़ी है, लेकिन उसमें मुख्य यह है कि उसके शरीर पर काफी चोटें हैं और उसकी मृत्यु चोटों के कारण हुई है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

जो व्यक्ति उसको घर से ले गये उनके नाम क्या हैं और उनके खिलाफ़ क्या कार्यवाही सरकार ने की ?

श्री कृष्णानन्द राय---

जांच से यह पता चला कि सरजू प्रसाद, ग्राम चंदौली, तथा उसके साथ तीन आदमी और थे वे सब उसको शराब पीने के लिये बुलाकर ले गये और उसके बाद से उसका पता नहीं चला। सरजू प्रसाद को अरेस्ट कर लिया गया है। एक और मुल्जिम ने सरेन्डर कर दिया है। दो भाग हुये हैं। उनका नाम बताना अभी ठीक न होगा।

## आइजटनगर में किशन सिंह के क्वार्टर में विस्फोट

**१०---श्री चेतराम गंगावार (जिला बरेली) तथा श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा---

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि अगस्त, १९६९ के दूसरे सप्ताह में आइजटनगर रेलवे स्टेशन (बरेली) की कालोनी में कोई भयंकर विस्फोट हुआ जिसमें ३ व्यक्ति घायल हुये? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है तथा उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

श्री कृष्णानन्द राय---

दिनांक १०-८-१९६९ की शाम को थाना आइजटनगर, बरेली पर सूचना प्राप्त हुई कि न्यू माडल कालोनी के क्वार्टर नं० ३६०-ए में किशन सिंह गैंगमैन, उत्तर पूर्वी रेलवे के यहां एक पटाका दगा और धमाका हुआ जिससे उसके बच्चों को चोटें आयीं।

जांच से ज्ञात हुआ कि किशन सिंह अपने क्वार्टर में डेटोनेटर रखे हुए था। उसकी लड़कियों ने उसे खेलवाड़ में छेड़ा जिससे वे दगे और उसकी ३ लड़कियां व १ लड़का जख्मी हुए। धारा २८६ भा० द० वि० तथा ४/५ एक्सप्लोसिव्स ऐक्ट के अन्तर्गत एक अपराध दर्ज किया गया था। किशन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में जांच जारी है।

श्री चेतराम गंगवार---

जब जांच हुई तो उसमें उसके यहां कितने बम पाये गये और वे सब कहां के बने हुये थे, देशी थे या बाहर के थे?

श्री कृष्णानन्द राय---

श्रीमन्, घटना स्थल पर दो दगे हुये डेटोनेटर आदि मिले थे जिनको सील कर के विशेषज्ञों के पास भेज दिया गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा---

क्या मन्त्री जी इसकी जांच करवायेंगे कि यह अभियुक्त नक्सलपंथियों के गिरोह का है और इसके यहां से दूसरे नक्सलपंथियों को इसी तरह के हथियार आदि यहां से दिये जाते रहे हैं और यह उनको सप्लाई करने का अड्डा है?

श्री कृष्णानन्द राय---

इसकी जानकारी तो नहीं है। लेकिन माननीय सदस्य ने जो कहा है उसका इस दृष्टि से पता लगवा लिया जायेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा---

जिस स्थान पर यह विस्फोट हुआ है वहां से मिलीटरी का एरोडोम बहुत नजदीक है, इसलिये ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये क्या प्रबन्ध किया जा रहा है?

श्री कृष्णानन्द राय---

यह एरोड्रोम के नजदीक है इसकी जानकारी नहीं है। जो और बातें अभी कही हैं, उनकी जानकारी करा ली जायेगी।

# तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

*१—श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़)—

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

## मनोकरण कन्या जूनियर हाई स्कूल, शाहजहांपुर में कक्षा ८ की अवैध परीक्षा

*२—श्री रामदेव

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा संहिता के अनुच्छेद २४८ (१५) के अनुसार क्या कोई ऐसे आदेश हैं कि स्थायी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों की प्रधानाध्यापिकायें, जो प्रशिक्षित स्नातक हैं कक्षा ८ की गृह परीक्षा लेने की अधिकारिणी हैं? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि शाहजहांपुर स्थित मनोकरण कन्या जूनियर हाई स्कूल की कक्षा ८ की गृह परीक्षा, १९६९ को मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, बरेली ने अवैधानिक घोषित कर दिया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी हां। शाहजहांपुर स्थित मनोकरण कन्या जूनियर हाई स्कूल की स्थानापन्न प्रधानाचार्या अप्रशिक्षित थीं और परीक्षा नियमानुकूल नहीं ली गई थी, अतः मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, बरेली ने उक्त स्कूल की कक्षा ८ की गृह परीक्षा को अवैधानिक घोषित कर दिया है।

श्री रामदेव—

श्रीमन्, स्थानापन्न प्रधानाचार्या का नाम क्या है और उनकी नियुक्ति कब तक के लिये हुई थी?

श्री रामजीलाल सहायक—

उनका नाम कुमारी सन्तोष उप्पल है। नियुक्ति कब हुई थी, यह इसमें नहीं है। लेकिन १-९-६९ को वे पाई गईं वहां।

श्री रामदेव—

श्रीमन्, कुमारी सन्तोष उप्पल जिनका माननीय मंत्री जी ने नाम बताया वे स्थानापन्न प्रधानाचार्या थीं उस अवधि के लिये जिस अवधि में पहले-पहल वहां की प्रधानाचार्या बाजपेयी ने अवकाश लिया था उसके बाद.....

श्री अध्यक्ष—

आप सूचना दे रहे हैं। प्रश्न पूछें।

श्री रामदेव—

मैं प्रश्न ही कर रहा हूं। तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उसके बाद भी जब उन्होंने दोबारा अपने अवकाश की अवधि बढ़ाई तो दूसरी प्रधानाचार्या की नियुक्ति हुई थी। उनका क्या नाम है, श्रीमन्?

श्री राम जी लाल सहायक—

उनका नाम तो इसमें नहीं है। परीक्षा के समय जो रक्खीं गईं, उनका नाम जरूर है।

श्री रामदेव---

कुमारी मेहरोत्रा, सन्तोष के बाद जब उन्होंने दुबारा अवकाश बढ़ाया, प्रधानाचार्या नियुक्त हुई थीं और वे प्रशिक्षित स्नातक हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कुमारी मेहरोत्रा ने परीक्षा ली या कुमारी सन्तोष ने परीक्षा ली ?

श्री रामजी लाल सहायक---

इसमें हुआ यह कि जो प्रधानाचार्या वहां काम कर रही थीं परीक्षा उनको लेनी थी। प्रबन्धक महोदय से लगातार इस बात की चेतावनी प्राप्त हुई उन्हें कि जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा कराई जाय पर वे न मानीं और ममता मेहरोत्रा को केवल बीस दिन के लिये रख लिया गया।

श्री भगवती सिंह विशारद---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन क्षेत्रों में आठवीं कक्षा की परीक्षा अवैध घोषित की गई है वहां उन परीक्षार्थियों को आठवीं की परीक्षा उत्तीर्ण कराने के सम्बन्ध में क्या कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री रामजी लाल सहायक---

अभी तक तो कोई कार्यवाही विभाग की तरफ से नहीं की गई। यह अनुमान है कि वह सम्भवतः तत्काल ही हो गई होगी।

श्री रामदेव---

कुमारी मेहरोत्रा ने परीक्षा ली है। तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि परीक्षा इस आशय से अवैध की गई कि जिन्होंने परीक्षा ली थी वह अप्रशिक्षित थीं। कुमारी मेहरोत्रा तो प्रशिक्षित स्नातिका हैं। उन्होंने ही परीक्षा ली। परीक्षा अवैध हुई कैसे, यह मैं पूछना चाहता हूं ?

श्री रामजी लाल सहायक---

मान्यवर, डी० आई० ओ० एस० वहां गये निरीक्षण करने। उन्होंने वहां अप्रशिक्षित महिलाओं से कहा और उनको आदेश दिया कि इन परीक्षार्थियों की परीक्षा जो केन्द्र के रजिस्ट्रार हैं उनके द्वारा होगी। उन्होंने आदेश नहीं माना। आर० आई० जी० एस० के भी आदेश को नहीं माना, जबकि उन्होंने भी इन्तजाम कराने के लिये कहा। उनके आदेश को नहीं माना इस लिये भी यह अवैध घोषित की गई।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

## प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों की नियुक्ति

*१---श्रीमती आशा सिंह (जिला हरदोई)---

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों की नियुक्ति प्रधानाध्यापकों में से कब से नहीं की गई और किस कारण से नहीं की गयी ?

श्री रामजी लाल सहायक---

१९६४ के बाद से नहीं की गई। कारण यह है कि प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों के नये पद उसके बाद सृजित नहीं हुए।

श्री भगवती सिंह विशारद---

क्या अब नये विद्यालय निरीक्षकों के पद सृजित हो गये हैं और क्या प्रधानाध्यापकों में से विद्यालय निरीक्षकों का चुनाव किया जायगा ?

श्री रामजीलाल सहायक---

अभी तो कोई पद सृजित नहीं हुये हैं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या यह सही है कि सन् ६४ से पहले प्रधानाध्यापकों में से ही डिप्टी इंसपेक्टर्स आफ स्कूल्स मुकर्रर होते थे ?

श्री रामजीलाल सहायक---

जी हां, दस प्रतिशत का चयन प्रधानाध्यापकों में से ही किया जाता था ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

जिन नियमों के आधार पर यह चयन होता था वह नियम तो अब भी विद्यमान होंगे तो अब जो स्थान रिक्त होंगे उन पर चयन उसी आधार पर किया जायगा ?

श्री रामजीलाल सहायक---

यह ९३६ पद थे उसके बाद तत्कालीन सरकार ने आदेश दिया कि उन का कार्यमानक बढ़ा कर ७५ कर दिया जाय, अब भी शासन के पास १७८ ज्यादा हो गये उनको निकालने की बात थी लेकिन उसको रोक दिया गया है । अब चूंकि ज्यादा हैं इसलिये नई भर्ती की जरूरत नहीं है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

मान लिया कि सरप्लस हो गये लेकिन मेरा प्रश्न तो यह था कि नियम का जो आधार था क्या वह अब भी लागू है ?

श्री रामजीलाल सहायक---

वह नियम तो अपनी जगह अब भी चालू है ।

*२-३---श्री आशाराम इन्दु---

[प्रश्न कर्ता से स्पष्टीकरण हेतु हटा दिये गये । ]

## जातीय आधार पर शिक्षा संस्थाओं का प्रधानाचार्य बनाना

*४---श्री शम्भूनाथ चौधरी---

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में ऐसी कितनी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थायें हैं जिनकी नियमावली में उल्लेख किया गया है कि अमुक धर्म और अमुक जाति के व्यक्ति ही उस शिक्षा संस्था के प्रधान हो सकते हैं ?

श्री रामजीलाल सहायक---

मंडलीय उप शिक्षा निदेशकों द्वारा अनुमोदित प्रशासन योजना (नियमावली) के अनुसार मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में जाति के आधार पर प्रधानाचार्य होने का कोई प्राविधान नहीं है किन्तु केवल ४८ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनकी नियमावली में अमुक धर्म के व्यक्ति को ही प्रधानाचार्य होना या प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त करते समय वरीयता दिये जाने का प्राविधान है ।

*५---श्री शम्भूनाथ चौधरी---

क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि सरकार इस प्रकार की संकुचित मनोवृत्ति को समाप्त करने की कार्यवाही करने की इच्छा रखती है ?

श्री रामजीलाल सहायक—

वैधानिक दृष्टि से कोई कार्यवाही करना सम्भव नहीं है ।

(माननीय मंत्री ने लिखित उत्तर में आई '३५' की संख्या को '४८' करके संशोधित रूप में पढ़ा । )

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

इस प्रकार की संकुचित मनोवृत्ति को रोकने के लिये क्या मंत्री जी ऐसी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं का अनुदान बन्द करने की कृपा करेंगे ताकि इस तरह की मनोवृत्ति पर रोक लग सके ?

श्री रामजीलाल सहायक—

मैं इसकी चेष्टा करूंगा ।

श्री चेतराम गंगवार—

मैं जानना चाहूंगा कि पिछली संविद सरकार ने आदेश दिया था कि धर्म या जाति के आधार पर शिक्षा संस्थायें नहीं चलाई जायंगी और जाति के आधार पर अध्यापक नहीं रखे जायंगे तो उस आदेश की अवज्ञा क्यों हो रही है और उसका कांस्टीट्यूशन क्यों नहीं बदला गया ?

श्री रामजीलाल सहायक—

वह आदेश तो अब भी है धर्म और भाषा के सम्बन्ध में यह जाति की बात है और हम चाहते हैं कि जातीय आधार न हो ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या इन ४८ विद्यालयों की फेहरिस्त में स्थानीय विद्यान्त इंटर कालेज का नाम भी शामिल है और क्या मंत्री जी को मालूम है कि एक जजमेंट में अदालत ने कहा है कि यह संविधान के खिलाफ है और उसके बाद भी वहां यह चल रहा है कि अमुक बिरादरी के लोगों की ही वहां नियुक्ति की जाय ?

श्री रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, मुझे खेद है कि इसकी सूचना इस समय नहीं है । सम्भवतः शून्य है ।

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

संविद के शासन में जो राजाज्ञा हुयी थी कि जो अपने विद्यालय में इस प्रकार से अवज्ञा करेंगे उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन ४८ विद्यालयों में से कितनों का अनुदान बन्द किया गया है, और अगर नहीं तो, क्यों ?

श्री रामजीलाल सहायक—

श्रीमन्, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी क्योंकि देखना पड़ेगा ।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हर जिले में इस प्रकार के कितने विद्यालय हैं ?

श्री रामजीलाल सहायक—

जिलेवार तो सूचना नहीं लेकिन मंडलवार है । मेरठ में गुरु नानक इंटर कालेज, देहरादून, गुरु नानक गर्ल्स इंटर कालेज, देहरादून, यू० सी० एन० आई० ब्वायज कालेज, देहरादून ।

श्री अध्यक्ष—

ये नाम नहीं पूछ रहे हैं। ये केवल नम्बर पूछते हैं ?

श्री रामजीलाल सहायक—

ये इस प्रकार हैं:—

| | | संख्या |
|---|---|---|
| (१) | मेरठ मंडल में .. .. | ९ |
| (२) | आगरा मंडल में .. .. | ५ |
| (३) | बरेली मंडल में .. .. | १३ |
| (४) | नैनीताल मंडल में .. .. | ८ |
| (५) | इलाहाबाद मंडल में .. .. | ३ |
| (६) | वाराणसी मंडल में .. .. | २ |
| (७) | झांसी मंडल में .. .. | २ |
| (८) | गोरखपुर मंडल में .. .. | ६ |

फैजाबाद और लखनऊ की सूचना नहीं है।

श्री चेतराम गंगवार—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे इस संकीर्ण दृष्टिकोण को जो जातिवाद के आधार पर बनाया गया है, अनुचित समझते हैं ? और यदि हां, तो क्या वे कोई आदेश अविलम्ब देंगे कि जिस से एक महीने में स्कूलों को अपना कांस्टीट्यूशन बदलना पड़े ?

श्री रामजी लाल सहायक—

अवश्य कुछ न कुछ करेंगे अगर वैधानिक संकट न हुआ।

श्री चेतराम गंगवार—

मैंने तो समय के बारे में पूछा था कि वे एक महीने में अपने कांस्टीट्यूशन को बदल लेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आप उत्तर के लिये बाध्य नहीं कर सकते हैं।

श्री ओमप्रकाश सिंह (जिला बरेली)—

क्या माननीय मंत्री जी बरेली मंडल के नाम बताने की कृपा करेंगे ?

श्री रामजीलाल सहायक—

ये इस प्रकार हैं:

(१) सिगलर गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कूल, बदायूं,
(२) मिशन गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कूल, बरेली,
(३) ब्वाइज क्रिश्चियन इंटर कालेज, बरेली,
(४) क्रिश्चियन हायर सेकेन्डरी स्कूल, बदायूं,
(५) एन० ई० मिशन गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कूल, मुरादाबाद,
(६) पारकर इंटर कालेज, मुरादाबाद,
(७) क्रिश्चियन गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कूल, शाहजहांपुर,
(८) ए० आ० हायर सेकेन्डरी स्कूल, शाहजहांपुर,
(९) आर्य कन्या इंटर कालेज, नजीबाबाद, बिजनौर,
(१०) एम० क्यू० इंटर कालेज सिबहरा, बिजनौर,

(११) एस० एन० इंटर कालेज, पीलीभीत,
(१२) गुरु नानक हायर सेकेन्डरी स्कूल, बरेली ,
(१३) आर्य कन्या इंटर कालेज, मुरादाबाद ।

श्री ए० सी० आइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)—

संविधान में माइनौरिटीज को राइट है अपने स्कूलों को खोलने का । क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो उन्होंने जवाब दिया है उसके हिसाब से ऐसे स्कूलों के संबंध में क्या करने जा रहे हैं ?

श्री रामजीलाल सहायक—

मैंने निवेदन किया जहां तक संविधान का संबंध है हम संविधान के अन्दर ही कार्यवाही कर सकते हैं । संविधान के अनुसार हम धर्म और भाषा का प्रश्न नहीं कर सकते हैं लेकिन जहां तक जातिवाद का प्रश्न है हम कर सकते हैं ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मंत्री जी ४८ शिक्षा संस्थाओं की लिस्ट सदन के पटल पर रखेंगे या हम को दे देंगे ? विद्यान्त हिन्दू कालेज, लखनऊ के संविधान के बारे में अदालत का निर्णय कब हुआ है और अब तक उसमें संशोधन क्यों नहीं हुआ है ?

श्री रामजीलाल सहायक—

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री मनोहर लाल—

इलाहाबाद मंडल की शिक्षा संस्थाओं को कितनी बार नोटिस दिया गया कि वे अपना संविधान बदलें ?

श्री रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, नोटिस की सूचना तो इस वक्त मेरे पास नहीं है ।

## माध्यमिक विद्यालय पूरे त्रिलोकी केन्द्र पर कृषि प्रायोगिक परीक्षा

*६—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि जिला बाराबंकी में बनी कोडर क्षेत्र के अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालय पूरे त्रिलोकी केन्द्र पर उस क्षेत्र के प्रति उप विद्यालय निरीक्षक ७-४-६९ को कृषि प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न कराने में असमर्थ रहे ?

श्री रामजीलाल सहायक—

जी नहीं । परीक्षा उसी दिन प्रति उप विद्यालय निरीक्षक द्वारा सम्पन्न कराई गई परन्तु विलम्ब से अपराह्न में हुई ।

*७—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त प्रति उप-विद्यालय निरीक्षक ने उपर्युक्त परीक्षा न करा सकने के कारण बताते हुये एक सूचना दिनांक ९-४-६९ को विद्यालय निरीक्षक बाराबंकी को दी ? यदि हां, तो क्या उस पर कोई कार्यवाही की गई और यदि नहीं तो क्यों ?

श्री रामजीलाल सहायक—

जी हां, प्रति उप विद्यालय निरीक्षक ने ९–४–६९ को एक सूचना दी थी जिसकी प्रतिलिपि जिला विद्यालय निरीक्षक को भी प्रेषित की। इस पत्र में श्री नरोत्तम देव द्विवेदी, सहायक उपस्थिति अधिकारी के विरुद्ध शिकायत की गई थी। उप विद्यालय निरीक्षक की संस्तुति के आधार पर अध्यक्ष जिला परिषद् बाराबंकी ने श्री द्विवेदी को निलम्बित किये जाने की स्वीकृति दी, परन्तु अभी निलंबन आदेश तामील नहीं हो पाया है। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। पुलिस से भी श्री द्विवेदी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये कहा गया। पुलिस ने भारतीय दंड विधान ३३२/३२३ के अन्तर्गत उनके विरुद्ध केश पंजीकृत कर एक मई, १९६९ को चार्जशीट किया तथा मामले को अदालत के सुपुर्द कर दिया।

श्री अनन्त राम जायसवाल—

अध्यक्ष जिला परिषद् ने निलम्बन के आदेश कब पारित किये और उनके तामील में अब तक क्यों देर हुई ?

श्री राम जी लाल सहायक—

इसमें उनके आदेश के पारित होने की बात नहीं है लेकिन नोटिस तामिल संभवतः इसलिये नहीं हो पाया कि उन्होंने शायद लेने से इंकार किया।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि घटना किस तारीख की है ?

श्री रामजीलाल सहायक—

यह घटना ७–४–६९ की है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यह जो अदालत में केस गया है इस संबंध में जो मुलजिम है वह खुद अदालत में हाजिर हुआ या पुलिस ने उसे किस समय गिरफ्तार किया, यह निलम्बन का आदेश क्यों नहीं उन पर तामील किया गया ?

श्री रामजीलाल सहायक—

क्योंकि यह केस अदालत में चला गया संभवतः उन्होंने भी उसमें थोड़ी सी ढील कर दी।

## बस्ती जिले में जूनियर हाई स्कूलों के मान्यता संबंधी आवेदन–पत्र

*८—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में प्राइवेट जूनियर हाई स्कूलों को मान्यता प्रदान किये जाने संबंधी कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं ? यह आवेदन-पत्र कब कार्यालय में आये तथा जिन्हें मान्यता अभी नहीं दी गई उसका क्या कारण है ?

श्री रामजीलाल सहायक—

केवल नौ स्कूलों के आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं। इनके आवेदन-पत्र प्राप्ति की तिथि निम्न प्रकार हैं—

(१) ३ अगस्त, १९६८
(२) २१ जुलाई, १९६९
(३) २३ ,, ,,
(४) २४ ,, ,,

(५) २५ जुलाई, १९६९
(६) १ अगस्त, १९६९
(७) १ अगस्त, १९६९
(८) १ अगस्त, १९६९
(९) ८ अगस्त, १९६९ ।

जहां तक ३ अगस्त, १९६८ के पत्र का संबंध है इस संस्था में मान्यता सबंधी शर्तों की बहुत कमी थी, अतः उसकी पूर्ति के लिये जिला विद्यालय निरीक्षक, बस्ती द्वारा २८ अक्तूबर, १९६८ द्वारा (प्रतिलिपि संलग्न) लिखा गया, पर संस्था वालों ने उनकी पूर्ति नहीं की । जिला विद्यालय निरीक्षक ने उक्त संस्था के निरीक्षण करने के लिये लिखा पर संस्था के सदस्य ने उस तिथि पर निरीक्षण न करने को लिखा और कहा कि वे स्वयं तिथि की सूचना देंगे । पर अभी तक कोई सूचना नहीं आई है । अतः मामला अभी विचाराधीन है ।

अन्य आठ संस्थाओं के प्रार्थना-पत्र दिनांक २१ जुलाई, १९६ तथा उसके बाद प्राप्त हुये जब कि शिक्षा सत्र १ जुलाई, १ ६९ से आरम्भ हो गया । अतः इन पर विधिवत् जांच करने के पश्चात् विचार किया जायगा ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

ऐसा लगता है मान्यवर कि या तो मेरे सवाल में कुछ गलती हुई या भ्रमवस जवाब सही नहीं आया । लेकिन फिर भी मैं एक प्रश्न पूछ लेता हूं । क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि १९६९ वाला सत्र प्रारम्भ होने के पहले उस सत्र के लिये मान्यता प्राप्त करने के लिये जितनी दरख्वास्तें आई उनमें से कितनी अस्वीकृत हुईं और किस आधार पर ?

श्री रामजीलाल सहायक--

यह तो मैंने बताया कि ९ दरख्वास्तें आयीं .....

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

जो नामंजूर हुयीं वह कितनी हैं और नामंजूर करने का आधार क्या है ?

श्री रामजील ल सहायक--

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री हिम्मतसिंह--

प्राइवेट जूनियर हाई स्कूलों को मान्यता देने के लिये सितम्बर तक का महीना समाप्त हो जाता है । तो यह कार्यवाही जून के अन्तिम सप्ताह तक क्यों न खत्म कर दें इस पर मंत्री जी विचार करेंगे ?

श्री रामजी लाल सहायक--

पिछले दो तीन वर्षों से बराबर इस बात की चेष्टा की जा रही है कि मान्यता संबंधी जितना भी काम है वह जून के आखिर या जुलाई के पहले हफ्ते में समाप्त हो जाय । लेकिन अर्जियां इतनी ज्यादा आ रही हैं कि उनको निपटाते निपटाते काफी वक्त लग जाता है ।

श्री मनोहर लाल--

क्या सरकार प्रदेश में शिक्षा के प्रसार के लिये जूनियर हाई स्कूलों को मान्यता देने के लिए कोई अलग से सहूलियत प्रदान करेंगी ?

श्री रामजीलाल सहायक—

जूनियर हाई स्कूलों को मान्यता जिला विद्यालय निरीक्षक दे देते हैं और अस्थायी मान्यता डी० डी० आर० दे देते हैं। हाई स्कूल और इंटरमीडियेट को मान्यता देने के लिये एक समिति बनी हुई है वह करती है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या बस्ती में जिन स्कूलों को मान्यता दी गयी उन स्कूलों ने सारी शर्तें पूरी कर दी थीं या कुछ शर्तों की कमी रहते हुये भी उनको मान्यता दी गई है?

श्री रामजीलाल सहायक—

इसकी सूचना तो नहीं है लेकिन संभवतः मान्यता उसी समय देते हैं जब शर्तें पूरी हो जा हैं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

जो मान्यता देने की शर्तें इस समय हैं वह पहले से ज्यादा कड़ी हैं तो क्या माननीय मंत्री जी उन शर्तों को कुछ ढीला करेंगे? जिस से शिक्षा का प्रसार काफी हो सके?

श्री रामजीलाल सहायक—

पूरे प्रदेश में तो नहीं, कुछ क्षेत्रों में जरूर विचार है कि उसे ढीला करें।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

जिन स्कूलों को मान्यता देने में देरी हो रही है और उनके बार-बार प्रार्थना-पत्र आ रहे हैं, तो हफ्ते या दस दिन के अन्दर माननीय मंत्री जी उनको मान्यता दिलाने का प्रयत्न करेंगे?

श्री रामजीलाल सहायक—

चेष्टा तो करेंगे लेकिन जो टाइम माननीय सदस्य कह रहे हैं उतने में तो बडा मश्किल है। एक हफ्ता तो चिट्ठी आने जाने में ही लग जाता है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५१७ पर।)

## बलरामपुर सहकारी बैंक के संचालकों को जीप भत्ता

*९—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि बलरामपुर सहकारी बैंक, जनपद गोंडा में १ अक्तूबर, १९६६ से लेकर ३१ मार्च, १९६८ तक जनरल मैनेजर तथा डाइरेक्टर ने अपनी निजी जीप द्वारा कितना भत्ता लिया है और किन-किन महीनों में किस स्थान से किस स्थान तक उनके नाम क्या हैं और किस नियम द्वारा भत्ता दिया गया है? यदि हां, तो पूरा विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करेंगे?

सहकारिता मंत्री (श्री लक्ष्मीशंकर यादव)—

बलरामपुर सहकारी बैंक जनपद गोंडा में दिनांक १-१०-६६ से ३१-३-६८ तक जनरल मैनेजर ने अपनी निजी जीप से कोई दौरा नहीं किया है।

जिन संचालकों ने अपनी निजी जीप से बैंक कार्य हेतु यात्रायें की हैं, जिनका यात्रा भत्ता उन्हें दिया गया है। यात्राओं का विवरण संलग्न है।

जीप यात्रा भत्ता २३-१०-६७ तक बैंक के कर्मचारी सेवा नियमानुसार दिया गया। ततपश्चात् संचालक मंडल के प्रस्ताव सं० ८, दिनांक २४-१०-६७ के अनुसार किया गया।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५१८-५२१ पर)

---

नोट—नियम २९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ८ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*१०—श्री गंगा प्रसाद—

क्या यह सत्य है कि बलरामपुर सहकारी बैंक में हरिजन लिपिक तथा चपरासी, चौकीदार नहीं हैं और डाइरेक्टर तथा (एम० बी०) मैनेजिंग डाइरेक्टर ने अपने परिवार तथा संबंधियों को नौकरी दी है ? यदि हां, तो इस बारे में पूरी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

यह सत्य है कि बैंक की सेवा में हरिजन लिपिक, चपरासी तथा चौकीदार नहीं हैं। पर यह सत्य नहीं है कि संचालक तथा प्रबन्ध संचालक ने अपने परिवार तथा संबंधियों को बैंक की सेवा में रक्खा है।

[२२ अगस्त, १९६९ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न।]

## सुपर बाजार तथा थोक केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भन्डार

*१—श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या सहकारिता मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में सुपर बाजार कहां-कहां और कब से स्थापित हैं, उनमें सरकार की कितनी पूंजी लगी है तथा गत तीन वर्षों से अलग-अलग उनसे क्या आय हुई ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५२२ पर।)

*२—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश के किस-किस जिले में कब से थोक सहकारी उपभोक्ता भंडार स्थापित हैं, सरकार की कुल कितनी पूंजी अलग-अलग उनमें लगी हैं तथा कृपया गत दो वर्षों का उनका वार्षिक लाभ-हानि का ब्योरा सदन को दिया जाये ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

प्रदेश में ४४ जिलों में ४८ थोक केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित हैं। इन भंडारों में सरकार की अलग-अलग लगी पूंजी व गत दो वर्षों के लाभ हानि की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५२३–५२५ पर।)

## अतर्रा मण्डी में कन्या विद्यालय की आवश्यकता

*३—श्री हरवंश प्रसाद (जिला बांदा)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस पंचवर्षीय योजना में बांदा जिला के प्रदेश में गल्ले की बड़ी मंडी अत्तर्रा नगर में कोई राजकीय कन्या विद्यालय खोलने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक कार्य आरम्भ होने की आशा है ?

श्री राम जी लाल सहायक—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

## बी० टी० सी० प्रशिक्षण केन्द्रों की समाप्ति

*४—श्री कन्हैया लाल सोनकर (जिला इलाहाबाद) तथा श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार ने शैक्षिक वर्ष १९६९–७० में ७३ बी० टी० सी० प्रशिक्षण केन्द्रों को समाप्त कर दिया है ? यदि हां, तो किस आधार पर ? इन तोड़ी गई सरकारी यूनिटों में दिये गये अनुदानों द्वारा खरीद गये सामान का क्या उपयोग हो रहा है, तथा जो अनुदान इमारत के लिये दिया गया था और इमारत बनाई गई, इस इमारत का क्या प्रयोग होगा ?

श्री रामजी लाल सहायक—

केवल साठ बी० टी० सी० प्रशिक्षण इकाइयों को १ जुलाई, १९६९ से प्रदेश में प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं का उत्पादन आवश्यकता से अधिक होन के कारण समाप्त किये गये हैं। जो इकाइयां सरकारी विद्यालयों के साथ संलग्न थीं और अब समाप्त कर दी गई हैं, उनके सामान तथा टिन शेड (कमरा) राजकीय सम्पत्ति है, जिनका उपयोग नियमानुसार जनहित में लाया जा रहा है। गैर सरकारी विद्यालयों से संलग्न प्रशिक्षण इकाइयों के सामान आदि के संबंध में कार्यवाही की जा रही है।

## जैन डिग्री कालेज, बड़ौत में बी० एड० का दाखला

*५—श्री मनफूल सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जैन डिग्री कालेज, बड़ौत, जिला मेरठ के प्रधानाचार्य, बी० एड० का दाखिला लेते समय हरिजनों के रिजर्वेशन क्यों पूरे नहीं कर रहे ह और सरकार के आदेश जी० ओ० नं० बी०–४९५८/एक्स० सी०–३१२/१९४, लखनऊ दिनांक २२ सितम्बर, १९४७ from the Secretary to the Govt. U.P. Lucknow का क्यों उल्लंघन किया जा रहा है ?

श्री रामजीलाल सहायक—

वह आदेश जुलाई, १९६८ तक उस विद्यालय पर लागू नहीं था अतः उल्लंघन का प्रश्न नहीं उठता।

*६—श्री मनफूल सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री यह भी बतायेंगे कि एक लड़का श्री लालचन्द्र हरिजन, ग्राम जोहड़ी, जिला मेरठ के पास जैन डिग्री कालिज बड़ौत से बी० एड० के लिए इन्टरव्यू-पत्र पहुंचा पर उसे बी० एड० में दाखिला क्यों नहीं दिया ?

श्री रामजीलाल सहायक—

क्योंकि वह साक्षात्कार में उपस्थित नहीं हुए तथा उन्होंने बी० ए० का परीक्षाफल प्रस्तुत नहीं किया।

## विश्वविद्यालय कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देने की सिफारिश

श्री कृष्णस्वरूप (जिला बदायूं)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में विश्वविद्यालयों के गैर-शिक्षक कर्मचारियों के वेतन व महंगाईभत्ते के पुनर्निर्धारण हेतु जारी किये गये आज्ञा पत्र दिनांक १३ मई, १९६८ में विश्वविद्यालय कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता देन की स्वीकृति प्रदान की है ? यदि हां, तो क्या सरकारी कर्मचारियों के लिये महंगाई भत्ते में १ अगस्त, १९६८ व १ जनवरी, १९६९ से की गई बढ़ोत्तरी को विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को भी देने की घोषणा अभी तक किस कारण नहीं की गई ?

श्री रामजीलाल सहायक—

जी नहीं ।

## कछवा टाउन एरिया के लिए हरिजन स्कूल

*८—श्री रामनिहोर राय (जिला मिर्जापुर)—

क्या हरिजन समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हरिजनों एवं विमुक्त जाति के बच्चों के लिये जनपद मिर्जापुर के कछवा टाउन एरिया में आश्रम टाइप स्कूल खोलने का निश्चय किया गया ? यदि हां, तो कब तक खुलेगा ?

श्रीमती विद्यावती राठौर—

जी नहीं

प्रश्न नहीं उठता ।

## जिला सहकारी बैंक, मेरठ में घाटा तथा एल० एस० एस०, किठौर के प्रेसीडेन्ट एवं सुपरवाइजर के खिलाफ जांच

*९—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एल० एस० एस० (लार्ज स्केल सोसाइटी) किठौर के मौजूदा प्रेसीडेंट और सुपरवाइजर के गबन व दीगर बदउनवानियों के खिलाफ इलाका के अवाम की शिकायत अधिकारियों और मंत्री जी को दी गई थी ? इसमें क्या कोई कार्यवाही की जा रही है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

जी हां । शिकायतों की जांच हो रही है ।

*१०—श्री मंजूर अहमद—

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि १९६५-६६ में मेरठ जिला कोआपरेटिव बैंक का सालाना मुनाफा ५ लाख रुपया था तथा १९६७-६८ का मुनाफा घट कर १ लाख रह गया है ? यदि ऐसा है, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

जिला सहकारी बैंक, मेरठ के वार्षिक चिटठे के अनुसार बैंक को वर्ष १९६५-६६ में रुपया ३,०९,२९६.२८ पैसे और वर्ष १९६७-६८ में रुपया २,४६,३८९.५९ पैसे लाभ हुआ ।

वर्ष १९६७-६८ में लाभ के घटने के मुख्यत: निम्नकारण हैं—

(१) बैंक के आधीन सहकारी पर्यवेक्षकों के बकाया वेतन दिये जाने के कारण ।

(२) प्रादेशिक कोआपरेटिव यूनियन लखनऊ को सुपरवाइजरों का बकाया कान्ट्रीब्यूशन भुगतान किये जाने के कारण ।

(३) बैंक के स्टाफ को ग्रेच्यूटी संबंधी धन दिये जाने के कारण ।

## गढ़वाल मण्डल में समाज कल्याण योजनायें

*११—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या समाज कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि गढ़वाल मण्डल में समाज कल्याण के लिये क्या योजनायें आरम्भ करने का सरकार का विचार है ?

श्रीमती विद्यावती राठौर--

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अवधि में गढ़वाल मण्डल में निम्नलिखित योजनायें प्रारंभ करने का विचार है--

(१) युद्ध से पीड़ित जवानों के परिवारों की तथा अन्य गरीब जरूरतमन्द महिलाओं तथा महिला निकेतन, पिथौरागढ़ से मुक्त हुई उक्त मण्डल की महिलाओं को पुनर्वासित करने क लिय अनुदान ।

(२) जिला शरणालयों एवं प्रवेशालयों का उन्नयम ।

इस योजना के अन्तर्गत द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित जिला शरणालयों प्रवेशालयों की आश्रिताओं को उपयोगी दस्तकारियों में प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है ।

## उत्तरकाशी में आदिम जातीय बालकों के लिए विद्यालय

*१२--श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या समाज कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि गढ़वाल मण्डल में हरिजनों की शिक्षा के लि कोई स्कूल या प्रशिक्षण केंद्र निकट भविष्य में खोले जायेंगे ? यदि हां, तो कहां तथा कब तक ?

श्रीमती विद्यावती राठौर--

गढ़वाल मण्डल में हरिजनों के लि कोई स्कूल या प्रशिक्षण केंद्र निकट भविष्य में नहीं खोला जा रहा है । किन्तु इस वर्ष अनुसूचित आदिम जाति के बालकों के लिये एक आश्रम पद्धति विद्यालय उत्तर काशी में खोलने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

## एच० बी० टैक्नालाजिकल इन्स्टीट्यूट, कानपुर में अनियमितताओं की जांच

*१३--श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या कानपुर स्थित एच० बी० टी० आई० में व्याप्त अनियमितताओं की जांच संविद शासनकाल में सरकार द्वारा कराई गई ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच की रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज पर रखेगी तथा बतायेगी कि उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री रामजीलाल सहायक--

एक जांच कमेटी शासन द्वारा नियुक्त की गई जिसकी रिपोर्ट अप्रैल, १९६९ में प्राप्त हुई । एच० बी० टेक्नालाजिकल इन्स्टीट्यूट, कानपुर, की जो एक स्वशासित संस्था है, प्रशासकीय परिषद ने यह निर्णय लिया कि जांच कमेटी की रिपोर्ट पर पहले परिषद द्वारा ही विचार किया जाय और वह अभी प्रशासकीय परिषद् के अध्यक्ष के विचाराधीन है । प्रशासकीय परिषद की रिपो पर विचार कर लेने क बाद उस पर शासन विचार करेगा । शासन द्वारा आवश्यक विचार कर लन के बाद ही रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखना उचित होगा ।

## हरदोई जिले में बालिका विद्यालयों की कमी

*१४--श्रीमती आशा सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले में लड़कियों के कितने सरकारी डिग्री कालज, इन्टरमीडिएट कालेज और हाई स्कूल हैं ? यदि नहीं तो क्या सरकार लड़कियों के पढ़ने के लिये उक्त शिक्षा संस्था खोलनें का प्रबन्ध करेगी ?

श्री रामजीलाल सहायक--

एक राजकीय बालिका इन्टरमीडिएट कालेज संडीला (हरदोई) में है ।

जी नहीं ।

## सनातन धर्म इन्टर कालेज, हरदोई को सरकारी प्रबन्ध में लेना

*१५—श्रीमती आशा सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सनातन धर्म इन्टर कालेज, हरदोई को सरकार ने अपने अधिकार में ले रखा है? यदि हां, तो किन कारणों से?

श्री रामजी लाल सहायक —

जी हां। प्रबन्ध समिति द्वारा विद्यालय का कार्य सुचारू रूप से न चलाने के कारण संस्था के अध्यक्ष के अनुरोध पर अधिकार में लिया गया है।

## हरिजन एवं समाज कल्याण विभागों में नियुक्तियों में आरक्षण तथा सेवा नियमावली

*१६—श्री नारायण दास (जिला लखनऊ)—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ कर्मचारियों के लिये कोई अभी तक सर्विस रूल्स, सेवा नियमावली बनाई गई है? यदि नहीं, तो किस कारण से ऐसा नहीं किया गया?

श्री विद्यावती राठौर—

हरिजन तथा समाज कल्याण विभागों के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन निम्नलिखित संवर्गों की सेवा नियमावलियां बन चुकी हैं :—

(१) चीफ प्रोबेशन आफिसर सर्विस
(२) प्रोबेशन सर्विस
(३) चीफ प्रोबेशन आफिसर और प्रोबेशन आफिसर मिनिस्टीरियल सर्विस
(४) चीफ प्रोबेशन आफिसर और प्रोबेशन आफिसर

इसके अतिरिक्त कुछ और सेवायें हैं जिनकी सेवा नियमावलियां बनाने के विषय में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

*१७—श्री नारायण दास—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आपके विभाग में नियुक्तियों का १८ प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जाति के लोगों का पूरा हुआ है या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती विद्यावती राठौर—

हरिजन सहायक विभाग के नियंत्रणाधीन सेवाओं में लिपिक वर्ग को छोड़कर शेष सेवाओं में आरक्षण पूरा हो गया है। समाज कल्याण विभाग के अधीन सेवाओं में अभी आरक्षित स्थानों की पूर्ति नहीं हो सकी है। इसका मुख्य कारण अनुसूचित जातियों के उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुलब्धता है।

*१८—श्री चिरंजीलाल—

[६ठें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

## जूनियर हाई स्कूल पंकडिया जलालपुर का बन्द होना

*१९—श्री चेतराम गंगवार—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बरेली में जिला परिषद द्वारा संचालित जूनियर हाई स्कूल पन्कडिया जलालपुर जो तहसील नवाबगंज व ब्लाक नवाबगंज में आता है को बन्द कर दिया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री रामजीलाल सहायक—

जी हां, छात्र संख्या कम होने तथा भवन की उचित व्यवस्था न होने के कारण परिषद् द्वारा यह विद्यालय बन्द किया गया है ।

*२०—श्री दल सिंगार तथा श्री भीमा प्रसाद—

[प्रश्नकर्ताओं द्वारा वापस ले लिया गया ।]

*२१-२२—श्री हरिवंश—

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

## अल्मोड़ा जिले में हरिजन एवं पिछड़ी जातियों के लिए भवन निर्माण हेतु सहायता

*२३—श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि जिला अल्मोड़ा के हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग हेतु पंच वित्तीय वर्षों के अन्तर्गत हरिजन एवं पिछड़ी जातियों के भवन निर्माण हेतु कितनी धनराशि का प्राविधान किया गया था तथा उसमें से कितनी धनराशि अभी तक वितरित की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती विद्यावती राठौर—

प्राविधित धनराशि के वर्षवार आंकड़े संलग्न तालिका में दिये गए हैं । वर्ष १९६५-६६ में उपभोगन की गई धनराशियों का मुख्य कारण यह है कि जनतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत तृतीय योजना काल में हरिजन कल्याण योजनाएं क्षेत्र समितियों द्वारा कार्यान्वित की जाती थीं, जो अनुदानों के वितरण में उतनी तत्परता नहीं दिखाती जितनी अपेक्षित थी ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ५२६ पर)

## हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग, प्रतापगढ़ में गबन

*२४—श्री रामदेव—

क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रतापगढ़ जनपद के अन्तर्गत हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग में १९६५-६६ एवं १९६६-६७ ई० में लगभग एक लाख रुपयों का गबन है ? यदि हां, तो क्या सरकार अविलम्ब जांच करा कर तथ्यों को विधान सभा के पटल पर रखेगी ?

श्रीमती विद्यावती राठौर—

वर्ष १९६७ में जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी, प्रतापगढ़ के कार्यालय में अनुदानों के वितरण में की गई अनियमितताओं की सूचना प्राप्त हुई थी । इस विषय में संबंधित अभिलेख गुप्तचर विभाग को जांच के लिये दिये जा चुके हैं और उनकी रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

*२५—श्री रामपूजन पटेल—

[प्रश्नकर्ता से स्पष्टीकरण हेतु हटा दिया गया ।]

*२६—श्री हिम्मतसिंह—

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

## उद्धार-गृह संरक्षण गृह तथा बाल सदन

*२७—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सप्रेशन आफ इम्मारल ट्रेफिक इन वीमेन

एण्ड गर्ल्स ऐक्ट, १९५६ से प्रभावित परिवारों के उत्थान और कल्याण के लिये कोई निश्चित योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्रीमती विद्यावती राठौर—

अधिनियम से प्रभावित औरतों और उनके बच्चों के कल्याण के लिए पहले ही उद्धार-गृह, संरक्षण गृह तथा बाल सदन में भर्ती किए जाने का प्राविधान है कोई नई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

## विद्यान्त कालेज, लखनऊ में ऐडमिनिस्ट्रेटर न नियुक्त होना तथा 'विद्यान्त एजूकेशन ट्रस्ट' को ऋण

*२८—श्री प्रेमचन्द्र शर्मा (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वर्ष १९६४-६५ में डिप्टी डाइरेक्टर की जांच और स्पेशल आडिट रिपोर्ट में विद्यान्त कालेज में प्रशासकीय एवं वित्तीय अनियमितताओं के कारण एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने की सिफारिश की गई थी और सरकार ने कालेज की ग्रान्ट भी बन्द कर दी थी ? यदि हां, तो अभी तक एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति क्यों नहीं हुई ?

श्री रामजीलाल सहायक—

(१) जी हां।

(२) एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति का लखनऊ विश्वविद्यालय अधिनियमों में कोई प्राविधान नहीं है।

*२९—श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

क्या यह सत्य है कि विद्यान्त हिन्दू डिग्री कालेज ने अपने मेन्टिनेंस तथा नान-मेन्टिनेंस फंड से विद्यान्त एजूकेशन ट्रस्ट को, जिसकी अचल सम्पत्ति केवल चालिस हजार रुपये की है, किस नियम के आधार पर १,६५,००० रुपया कर्ज दिया ? यदि हां, तो क्या यह धन वापस लिया गया या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामजीलाल सहायक—

जी हां। १,४६,४६१ रु० २१ पैसे का ऋण अनियमित रूप से दिया गया है। जिसको प्रबन्धक संस्था के भवन निर्माण में व्यय होना बतलाते हैं। इसकी वापसी के लिये उन्हें लिखा जा रहा है।

## बी० टी० सी० तथा एल० टी० के लिए प्रत्याशियों का चयन

*३०—श्री जगदीश गांधी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष बी० टी० सी तथा एल० टी० के प्रशिक्षण हेतु शासन द्वारा नामजद करने के लिये प्रत्याशियों की कोई मेरिट लिस्ट सरकार द्वारा तैयार की गई थी ?

श्री रामजी लाल सहायक—

इस वर्ष बी० टी० सी० तथा एल० टी० के प्रशिक्षण हेतु शासन द्वारा नामजद करने के लिये प्रत्याशियों की कोई मेरिट लिस्ट तैयार नहीं की गई थी।

*३१—श्री जगदीश गांधी—

यदि हां, तो क्या प्रत्याशियों का चयन उसी लिस्ट के आधार पर किया गया ?

श्री रामजीलाल सहायक---

प्रश्न नहीं उठता ।

## बरहद इन्टर कालेज, जिला आजमगढ़ के अध्यापकों का वेतन भुगतान

*३२---श्री जंगबहादुर यादव (जिला जौनपुर)---

क्या शिक्षा मंत्री जांच कराकर यह बताने की कृपा करेंगे कि बरहद इंटर कालेज, जिला आजमगढ़ के अध्यापकों को पिछले ८ मास से वेतन नहीं प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की ?

श्री रामजीलाल सहायक---

जी नहीं, वेतन ८ मास से शेष नहीं है ।

इस विद्यालय के सभी अध्यापकों एवं कर्मचारियों को अप्रैल, १९६९ तक वेतन भुगतान हो चुका है । इसके अतिरिक्त कर्णिक वर्ग एवं निम्न वर्ग के कर्मचारियों को जून, १९६९ तक तथा १० अध्यापकों को मई, १९६९ और ६ अध्यापकों को वेतन जून तक भुगतान हो चुका है ।

दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

## इन्टरनेशनल कालेज, कादम्बरी कानन पिंडरा के छात्रों द्वारा धन का दुरुपयोग

*३३---श्री शम्भूनारायण सिंह (जिला फैजाबाद)---

क्या शिक्षा मन्त्री जांच कर बताने की कृपा करेंगे कि इन्टर नेशनल कालेज, कादम्बरी कानन पिंडरा, वाराणसी में छात्रावास सन् १९६६-६७ व १९६७-६८ में फीस के साथ हास्टल का धन भी लिया गया है ?

श्री रामजीलाल सहायक---

जी नहीं ।

*३४---श्री शम्भू नारायण सिंह---

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में शिक्षा सचिव व जिला विद्यालय निरीक्षक वाराणसी को शिकायती पत्र सन् १९६८ में दिया गया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामजीलाल सहायक---

सन् १९६८ में जिला विद्यालय निरीक्षक को इस सम्बन्ध में नहीं बल्कि विद्यालय को हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रों को दिये गये धन के दुरुपयोग के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर निरीक्षक द्वारा आवश्यक कार्यवाही की गई ।

## टेहरी-गढ़वाल के अध्यापकों का वेतन एवं सेवा नियम

*३५---श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)---

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला टिहरी गढ़वाल के रियासतकालीन जूनियर व बेसिक स्कूल के अध्यापकों के वेतन व सेवा सम्बन्धी नियमों को बदल कर नये वेतन तथा सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री रामजीलाल सहायक---

भूतपूर्व टेहरी गढ़वाल राज्य के प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापक उत्तर प्रदेश राज्य के वेतन क्रम में हैं और उन पर उत्तर प्रदेश राज्य के सेवा नियम लागू होते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के वेतन क्रमों में इनके स्थायीकरण का मामला विचाराधीन है।

## उन्नाव जिले के जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों का कथित आवेदन-पत्र

*३६---श्री भगवती सिंह विशारद---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले में योजनान्तर्गत खोले गये जूनियर हाई स्कूलों के सहायक अध्यापकों का वेतन जिला परिषद् तथा राजकीय हाई स्कूलों के सहायक अध्यापकों के वेतन-क्रम के समान करने के सम्बन्ध में सहायक अध्यापकों का ७ अप्रैल, १९६९ को कोई प्रार्थना-पत्र उसे प्राप्त हुआ है ?

श्री रामजीलाल सहायक---

उक्त पत्र शासकीय स्तर पर नहीं प्राप्त हुआ।

*३७---श्री भगवती सिंह विशारद---

यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री रामजीलाल सहायक---

प्रश्न नहीं उठता।

## कानपुर में बोगस स्कूल

*३८---श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मई, जून, जुलाई, १९६९ में कानपुर में तीन बोगस स्कूल पकड़े गये ? यदि हां, तो उन स्कूलों तथा प्रबन्धकों के नाम क्या हैं और उनको वित्तीय वर्ष १९६८-६९ में कितना-कितना सरकारी अनुदान प्रदान किया गया था ?

श्री रामजीलाल सहायक---

जी हां, प्रश्नगत स्कूलों तथा उनके प्रबन्धकों का नाम और उनको वित्तीय वर्ष १९६८-६९ में प्रदत्त सरकारी अनुदान का विवरण संलग्न तालिका में अंकित है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ५२७ पर)

## फतेहगंज क्रय-विक्रय सहकारी समिति, लि० फैजाबाद में गबन

*३९---श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फतेहगंज क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि०, फैजाबाद में सहकारी सम्प्रेक्षकों द्वारा गबन की रिपोर्ट की बाबत आडिट वर्ष १९६६-६७ पर उसने क्या कार्यवाही की ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव---

समिति के तत्कालीन मंत्री व्यवस्थापक को तबादले के पश्चात् निलम्बित किया गया। समिति के संचालक मंडल का निलम्बन किया गया तथा बाद में सुपरसीड कर दिया गया। अपहरण की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी गई। पुलिस ने उसमें अन्तिम रिपोर्ट लगा दी है किन्तु ६६-६७ की आडिट रिपोर्ट की जांच का मामला सी० आई० डी० में चल रहा है।

*४०---श्री छेदालाल चौधरी--

[पुनरावत्ति के कारण हटा दिया गया ।]

*४१--४२--श्री तिरमल सिंह--

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

## पृथक तेलंगाना आन्दोलन से प्रभावित इन्जीनियरिंग के विद्यार्थी

*४३--श्री अनन्तराम जायसवाल तथा श्री वीरेन्द्र वर्मा--

क्या सरकार को पता है कि रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, वारंगल, तेलगांना, आन्ध्र प्रदेश की विभिन्न कक्षाओं में पढ़ने वाले उत्तर प्रदेश के १०० विद्यार्थी की पढ़ाई 'पृथक तेलंगाना' आन्दोलन के कारण जनवरी, १९६९ से बन्द है और उन्हें उस कालेज से अपनी पसन्द के किसी कालेज में भर्ती कराने के लिये नो आब्जेक्शन सर्टीफिकेट प्राप्त हो गया है ?

श्री रामजीलाल सहायक--

ऐसी सूचना रीजनल इंजीनियरिंग कालेज वारंगल के कुछ छात्रों ने २६ जुलाई, १९६९ को मुख्य मंत्री जी को लिखित रूप में दी है ।

*४४--श्री अनन्तराम जायसवाल तथा श्री वीरेन्द्र वर्मा--

यदि हां, तो क्या सरकार उपर्युक्त विद्यार्थियों को इस प्रदेश के इंजीनियरिंग कालेज में भर्ती दिलाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री रामजीलाल सहायक--

यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।

# अतारांकित प्रश्न

१--श्री मंजूर अहमद--

[५ वें मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या ७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

## किठौरा में उच्चतर माध्यमिक कन्या पाठशाला खोलने की प्रार्थना

२--श्री मंजूर अहमद--

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम किठौर, जिला मेरठ और उसके करीब १५ मील की परिधि में एक ही राजकीय जूनियर कन्या पाठशाला है ? यदि हां, तो क्या उसे उच्चतर माध्यमिक कन्या पाठशाला में बदलने का सरकार का कोई विचार है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री रामजीलाल सहायक--

जी नहीं ।

किठौर के अतिरिक्त एक दूसरा राजकीय बालिका जूनियर हाई स्कूल, गढ़मुक्तेश्वर में है, जो किठौर से केवल १० मील दूर है ।

उक्त विद्यालय को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बदलने के लिये कोई विचार नहीं है ।

## नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल खोलने के सम्बन्ध में जानकारी

३--श्री जगदीश गांधी--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में नर्सरी टीचर्स के प्रशिक्षण हेतु कुछ विद्यालयों की स्थापना करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री रामजीलाल सहायक---

प्रथम भाग---जी नहीं ।

द्वितीय भाग---प्रश्न नहीं उठता ।

४---श्री ज्वाला प्रसाद कुरील---

[६ठें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

५---श्री जयनारायण सिंह---

[६ठें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

## नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग विद्यालय

६---श्री जगदीश गांधी---

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने नर्सरी मांटेसरी स्कूल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं ? इनमें से कितनों को स्थायी, कितनों को अस्थायी मान्यता दी गई है ?

७--ऐसे मान्यता प्राप्त स्कूलों को वित्तीय वर्ष १९६८-६९ में अलग-अलग कितना अनुदान किया गया ?

८---प्रदेश में कितने मान्यता प्राप्त नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग विद्यालय हैं ? सन् १९६६ से १९६९ पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कुल कितना अनुदान उन्हें दिया गया ?

श्री रामजीलाल सहायक---

राज्य के समस्त जिलों से सूचना एकत्र की जा रही है ।

## प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी

एक सदस्य---

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । कृपया आप यह बतायें कि प्रश्नों को प्राथमिकता किस आधार पर दी जाती है ?

श्री अध्यक्ष---

पहले जिसका प्रश्न आता है उसको पहले रखा जाता है और बाद की तारीख में आने वाले प्रश्न बाद में रखे जाते हैं ।

एक सदस्य---

हमारे जिले में डकैती पड़ी लेकिन उसका प्रश्न ३२-३३ वें नंबर पर आया ।

श्री अध्यक्ष---

यह आपको किस प्रकार मालूम कि आपके प्रश्न से पहले और प्रश्न नहीं आये थे ?

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)---

मान्यवर मेरा प्रश्न १९वें नंबर पर था । हमारे यहां हाई स्कूल, जिला परिषद् ने बन्द कर दिया । उसका जवाब हमको नहीं मिल पाया । कहा गया है कि बिल्डिंग की व्यवस्था नहीं है । वह तो ५ साल से चल रहा था, अब बिल्डिंग की क्या जरूरत पड़ गयी ? नियम ४९ में इसकी इजाजत दी जाय ।

श्री अध्यक्ष--

आप मुझे लिख कर दे दीजिये ।

श्री बेतराम गंगवर--

कृपा करके आप मुझे आश्वासन दें ?

श्री अध्यक्ष--

आप लिख कर देंगे तब देखा जायगा । यहां आश्वासन नहीं दिया जा सकता ।

## उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ के अधीन वित्त विभाग की विज्ञप्ति*

वित्त मंत्री (श्री लक्ष्मी रमण आचार्य)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ की धारा ३--क के अधीन जारी की गयी वित्त (लेखा परीक्षा तथा बिक्री-कर) विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस०टी २८१७/दस--९००(८७)--६७, दिनांक १४ जुलाई, १९६९ को उक्त धारा ३--क की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

## उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का वार्षिक विवरण-पत्र,† १९६९-७०

उप मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से, मैं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का वार्षिक विवरण-पत्र १९६९-७० को इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, १९४८ की धारा ६१ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

## उत्तर प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) विधेयक, १९६९

सचिव विधान सभा--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) विधेयक, १९६९, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ है, सदन के पटल पर रखता हूं ।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ५२८--५२९ पर)

## कानपुर विश्वविद्यालय कोर्ट के लिए विधान सभा के पांच सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

शिक्षा मंत्री (श्री रामजीलाल सहायक)--

श्रीमन्, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, कानपुर विश्वविद्यालय के कोर्ट में कार्य करने के लिये कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६५ की धारा १५(१) के वर्ग ६ की मद (२) के अनुसार विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करें ।

---

†छापी नहीं गयी ।
*छापा नहीं गया ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, कानपुर विश्वविद्यालय के कोर्ट में कार्य करने के लिये, कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६५ की धारा १५ (१) के वर्ग ६ की मद (२) के अनुसार विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

## मेरठ विश्वविद्यालय कोर्ट के लिए विधान सभा के पांच सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

शिक्षा मंत्री (श्री रामजीलाल सहायक)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, मेरठ विश्वविद्यालय के कोर्ट में कार्य करने के लिए, कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६५ की धारा १५ (१) के वर्ग ६ की मद (२) के अनुसार विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करें ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, मेरठ विश्वविद्यालय के कोर्ट में कार्य करने के लिए, कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६५ की धारा १५ (१) के वर्ग ६ की मद (२) के अनुसार विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । )

## उत्तर प्रदेशीय अपराध निरोधक समिति की केंद्रीय कमेटी के लिये विधान सभा के चार सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती विद्यावती राठौर)---

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेशीय अपराध निरोधक समिति की केन्द्रीय कमेटी में कार्य करने के लिये, उक्त समिति के विधान-नियम के नियम १२ (ख) (आ) के अनुसार, चार व्यक्तियों का निर्वाचन करे ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेशीय अपराध निरोधक समिति की केन्द्रीय कमेटी में कार्य करने के लिये, उक्त समिति के विधान नियम के नियम १२ (ख) (आ) के अनुसार, चार व्यक्तियों का निर्वाचन करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । )

## उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय प्रबन्धक बोर्ड के लिए विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

चिकित्सा मंत्री (श्री कृष्णानन्द राय)---

श्रीमन्, मैं यह प्रताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के प्रबन्धक बोर्ड पर कार्य करने के लिए,

भूतपूर्व चतुर्थ विधान सभा के सदस्य श्री गोपाल राम दास तथा श्री रामचन्द्र जोशी, के रिक्त स्थानों पर, उनकी शेष कालावधि के लिये उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५८ की धारा २० एवं धारा १० की उपधारा (४) के परन्तुक के साथ पठित उक्त धारा १० की उपधारा (१) की मद (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करे।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के प्रबन्धक बोर्ड पर कार्य करने के लिये, भूतपूर्व चतुर्थ विधान सभा के सदस्य श्री गोपाल राम दास तथा श्री रामचन्द्र जोशी के रिक्त स्थानों पर, उनकी शेष कालावधि के लिए, उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५८ की धारा २० एवं धारा १० की उपधारा (४) के परन्तु के साथ पठित उक्त धारा १० की उपधारा (१) की मद (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियन्त्रण) अधिनियम, १९५६ के अधीन संगठित प्रशासकीय बोर्ड के लिए विधान सभा के तीन सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती विद्यावती राठौर)--

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियन्त्रण) अधिनियम, १९५६ की धारा ५ के अधीन दिनांक १ अक्तूबर, १९६८ से पुनः संगठित प्रशासकीय बोर्ड में उक्त अधिनियम की धारा ६ की उपधारा (१) के खंड (ख) के अनुसार विधान सभा के तीन सदस्यों, जिनमें एक महिला सदस्य भी होंगी, निर्वाचन करे।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियन्त्रण) अधिनियम, १९५६ की धारा ५ के अधीन दिनांक १ अक्तूबर, १९६८ से पुनः संगठित प्रशासीय बोर्ड में उक्त अधिनियम की धारा ६ की उपधारा (१) के खंड (ख) के अनुसार विधान सभा के तीन सदस्यों, जिनमें एक महिला सदस्य भी होंगी, का निर्वाचन करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## आगरा यूनीवर्सिटी सिनेट में विधान सभा के ५ सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

शिक्षा मंत्री (श्री रामजीलाल सहायक)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष, महोदय आदेश दें आगरा यूनिवर्सिटी सिनेट में, चतुर्थ विधान सभा के विघटन के कारण उसके द्वारा निर्वाचित ५ सदस्यों के रिक्त स्थानों पर, उनकी शेष कालावधि के लिये, आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ की धारा ३६ के साथ पठित धारा १४ की उपधारा (१) के वर्ग ५ के अनुसार विधान सभा के ५ सदस्यों का निर्वाचन करे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, आगरा यूनिवर्सिटी सिनेट में, चतुर्थ विधान सभा के विघटन के कारण उसके द्वारा निर्वाचित ५ सदस्यों के रिक्त स्थानों पर, उनकी शेष कालावधि के लिये आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ की धारा ३६ के साथ पठित धारा १४ की उपधारा (१) के वर्ग ५ के अनुसार विधान सभा के ५ सदस्यों का निर्वाचन करें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । )

## गया प्रसाद लाइफ सेविंग फन्ड, कानपुर की समिति में विधान सभा के एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव

समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती विद्यावती राठौर)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करती हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, 'गया प्रसाद लाइफ़ सेविंग फ़न्ड, कानपुर' की समिति में चतुर्थ उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा निर्वाचित श्री रामेश्वर सिंह के उक्त विधान सभा के दिनांक १५ अप्रैल, १९६८ से विघटन के कारण रिक्त स्थान पर उक्त फ़न्ड के प्रशासन की योजना के नियम २ के साथ पठित नियम १ के अनुसार विधान सभा के एक सदस्य का निर्वाचन करें ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, 'गया प्रसाद लाइफ़ सेविंग फ़न्ड, कानपुर' की समिति में चतुर्थ उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा निर्वाचित श्री रामेश्वर सिंह के उक्त विधान सभा के दिनांक १५ अप्रैल, १९६८ से विघटन के कारण रिक्त स्थान पर उक्त फ़न्ड के प्रशासन की योजना के नियम २ के साथ पठित नियम १ के अनुसार विधान सभा के एक सदस्य का निर्वाचन करें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

## उत्तर प्रदेश नर्सेज ऐंड मिडवाइफ्ज कौंसिल के लिये विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

चिकित्सा मंत्री (श्री कृष्णानन्द राय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश नर्सेज ऐन्ड मिडवाइव्ज कौंसिल में कार्य करने के लिये यू० पी० नर्सेज एन्ड मिडवाइव्ज, असिस्टेंट मिडवाइव्ज, आगजिलियरी नर्स मिडवाइव्ज ऐन्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९३४ की धारा ४ की उपधारा (१) के खण्ड (बी) के उपखन्ड (२) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों, जिनमें कम से कम एक महिला हो, का निर्वाचन करें ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश नर्सेज ऐन्ड मिवाइव्ज कौंसिल में कार्य करने के लिये यू० पी० नर्सेज ऐण्ड मिडवाइव्ज, असिस्टेंट मिडवाइफ्ज, आगजिलियरी नर्स मिडवाइव्ज ऐन्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९३४ की धारा ४ की उपधारा (१) के खण्ड (बी) के उपखण्ड (२) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों, जिनमें कम से कम एक महिला हो, का निर्वाचन करें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । )

## गोरखपुर विश्वविद्यालय कोर्ट में विधान सभा के ५ सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

शिक्षा मंत्री (श्री रामजीलाल सहायक)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, गोरखपुर विश्वविद्यालय की कोर्ट में गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ की धारा १७ की उपधारा (१) के वर्ग ७ के अन्तर्गत मद (१७) के अनुसार विधान सभा के ५ सदस्यों का निर्वाचन करे ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, गोरखपुर विश्वविद्यालय की कोर्ट में गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ की धारा १७ की उपधारा (१) के वर्ग ७ के अन्तर्गत मद (१७) के अनुसार विधान सभा के ५ सदस्यों का निर्वाचन करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । )

## उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् के लिए विधान सभा के चार सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

शिक्षा मंत्री (श्री रामजी लाल सहायक)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् में कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश प्राविधिकशिक्षा अधिनियम, १९६२ की धारा ४ के खण्ड (३) के अनुसार विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन करें ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् में कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, १९६२ की धारा ४ के खण्ड (३) के अनुसार विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । )

## किंग एडवर्ड सप्तम सैनिटोरियम, भुवाली की परामर्शदात्री समिति के लिए विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

चिकित्सा मंत्री (श्री कृष्णानन्द राय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, किंग एडवर्ड सप्तम सैनिटोरियम, भुवाली की परामर्शदात्री समिति में, विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करे ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, किंग एडवर्ड सप्तम सैनिटोरियम, भुवाली की परामर्शदात्री समिति में, विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

## इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्ट के लिए विधान सभा के पांच सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

शिक्षा मंत्री (श्री रामजी लाल सहायक)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्ट में विधान सभा द्वारा निर्वाचित पांच सदस्यों के कार्यकाल के दिनांक १४ दिसम्बर, १९६८ को समाप्त होने के कारण रिक्त स्थान पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२१ की धारा १७ की उपधारा (१ के वर्ग ३ के मद (१६) के अनुसार विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करे ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्ट में विधान सभा द्वारा निर्वाचित पांच सदस्यों के कार्यकाल के दिनांक १४ दिसम्बर, १९६८ को समाप्त होने के कारण रिक्त स्थान पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२१ की धारा १७ की उपधारा (१) के वर्ग ३ के मद (१६) के अनुसार विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

## लखनऊ विश्वविद्यालय कोर्ट के लिए विधान सभा के पांच सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

शिक्षा मंत्री (श्री रामजीलाल सहायक)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, लखनऊ विश्वविद्यालय के कोर्ट में दिनांक १५ अप्रैल, १९६८ को विधान सभा के विघटन के कारण विधान सभा द्वारा निर्वाचित पांच सदस्यों के रिक्त हुए स्थान पर लखनऊ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९२० की धारा ४१ के साथ पठित धारा १६ की उपधारा (१) की मद (१६) के अनुसार विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करे ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव में यह संशोधन रखवाना चाहता हूं—"यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें अध्यक्ष महोदय, जिस किसी को आदेश दें ।" तो इसमें यह संशोधन कर दिया जाये "यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय जिस किसी को आदेश दें ।" माननीय शिक्षा मंत्री जी ने यह जो प्रस्ताव पेश किया है इस पर मेरा यह संशोधन है। इस पर आप चाहें तो मत ले लें ।

श्री अध्यक्ष—

यह तो ऐक्ट के हिसाब से चल रहा है । इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है । प्रश्न यह है कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, लखनऊ विश्वविद्यालय के कोर्ट में दिनांक १५ अप्रैल, १९६८ को विधान सभा के विघटन के कारण विधान सभा द्वारा निर्वाचित पांच सदस्यों के रिक्त हुए स्थान पर लखनऊ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९२० की धारा ४१ के साथ पठित धारा १६ की उपधारा (१) की मद (१६) के अनुसार विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । )

## रुड़की विश्वविद्यालय सीनेट के लिए विधान सभा के चार सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

शिक्षा मंत्री (श्री रामजीलाल सहायक)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, रुड़की विश्वविद्यालय की सीनेट में रुड़की विश्वविद्यालय ऐक्ट, सन् १९४७ ई० की धारा १६ की उपधारा (१) के वर्ग (३) की मद (११) के अनुसार विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन करे, जिसका कार्यकाल उनके निर्वाचन के बाद सीनेट की प्रथम बैठक के दिनांक से तीन वर्ष तक अथवा उनके विधान सभा के सदस्य बने रहने तक, जो भी पहले हो, होगा ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, रुड़की विश्वविद्यालय की सीनेट में रुड़की विश्वविद्यालय ऐक्ट, सन् १९४७ ई० की धारा १६ की उपधारा (१) के वर्ग (३) की मद (११) के अनुसार विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन करे, जिसका कार्यकाल उनके निर्वाचन के बाद सीनेट की प्रथम बैठक के दिनांक से तीन वर्ष अथवा विधान सभा के सदस्य बने रहने तक, जो भी पहले हो, होगा ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । )

## वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय शिष्ट परिषद् के लिए विधान सभा के तीन सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

शिक्षा मंत्री (श्री रामजीलाल सहायक)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय की शिष्ट परिषद् में, चतुर्थ विधान सभा के विघटन के कारण उसके द्वारा निर्वाचित तीन सदस्यों के रिक्त स्थान पर, उनकी शेष कलावधि के लिये, वाराणेसय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ की धारा ३९ के साथ पठित धारा १९ की उपधारा (१) के वर्ग (३) की मद (१७) के अनुसार विधान सभा के तीन सदस्यों का निर्वाचन करे ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

श्रीमन्, मैं यह तरमीम करना चाहता हूं कि "तीन" के "जिनमें से एक महिला हो" शब्द रखे जायं ।

श्री अध्यक्ष—

इस में इस प्रकार की तरमीम नहीं हो सकती ।

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय की शिष्ट परिषद् में, चतुर्थ विधान सभा के विघटन के कारण उसके द्वारा निर्वाचित तीन सदस्यों के रिक्त स्थान पर, उनकी शेष कालावधि के लिये, वाराणेसय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ की धारा ३९ के साथ पठित धारा १९ की उपधारा (१) के वर्ग ३ की मद (१७) के अनुसार विधान सभा के तीन सदस्यों का निर्वाचन करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । )

## व्यवस्था के प्रश्न

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

व्यवस्था का प्रश्न है। आइटम नम्बर ३ पर श्रीमन् अभी उपमुख्य मंत्री जी ने जो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का वार्षिक विवरण पत्र सदन के पटल पर रखा है। आप कृपया एक दिन उस पर विवाद के लिये मुकर्रर करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

उसके लिये आप मुझे लिखित भेज दें। इस समय नहीं हो सकता।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, एक मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी जब प्रस्ताव पेश किये जा रहे थे तब समाज-कल्याण मंत्री जी ने भी दो प्रस्ताव पेश किये। मान्यवर जहां तक मुझे स्मरण है इसी सदन में अध्यक्ष पद से यह व्यवस्था दी गयी है कि मंत्री ओहदे से माने जायेंगे और अगर कोई मंत्री स्त्री हो तो वह मंत्राणी नहीं कही जायगी। तो जब यह प्रस्ताव पेश किया गया तो उन्होंने कहा कि "मैं प्रस्तुत करती हूं" अगर उसी शब्द को दोहराया जाय तो मैं समझता हूं कि उससे आपको भी बड़ी कठिनाई होगी। तो जैसा मेरा अनुभव है कि मंत्री चाहे स्त्री हो या पुरुष वह किसी प्रस्ताव को निश्चित भाषा में ही पेश कर सकेगा और अगर आप पढ़ते समय उसको मंत्री के स्थान पर मंत्राणी जी कहेंगे तो बड़ी मुश्किल होगी। इसलिये एक निश्चित भाषा में ही उसे रखें। आपके ही अध्यक्षपद से व्यवस्थायें दी जा चुकी हैं कि मन्त्राणी नहीं बल्कि माननीय मन्त्री कहा जाय। स्त्री को मुख्य मंत्री कहा जाता था मुख्य मन्त्राणी नहीं। आप स्पष्ट कर दें जिससे आगे यह कठिनाई न हो।

श्री अध्यक्ष—

मैंने तो मन्त्राणी नहीं कहा। अगर भाषा में वह "मैं कहती हूं" कहती हैं और "मैं कहता हूं" नहीं कहती हैं तो मैं उनको मजबूर नहीं कर सकता हूं कि "मैं कहता हूं" वे कहें।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

मेरा निवेदन यह है कि हमेशा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग यह दो शब्द चले आ रहे हैं। माननीय वर्मा ने जो कहा उसमें बड़ा भारी फ़र्क है। स्त्री स्त्रीलिंग ही शब्दों का स्तेमाल करे और पुरुष पुल्लिंग शब्दों का इस्तेमाल करेगा। इसमें कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

आप मेरी व्यवस्था पर व्यवस्था दे रहे हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

आज विभिन्न कमेटीज का गठन होने जा रहा है। मैं विरोधी दल की तरफ़ से यह प्रस्ताव करता हूं कि आप अपने विवेक से और स्वयं एक ऐसी कमटी का गठन करें जिसके सदस्य माननीय सदस्य बलिया के श्री मैनेजरसिंह और आजमगढ़ के श्री त्रिवेणीराय अवश्य रहें।

(हंसी)

## १९६९-७० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या ३१--राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य, अनुदान संख्या ३२--सिंचाई अधिष्ठान, अनुदान संख्या ४८--बहु-प्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय तथा अनुदान संख्या ४९--सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय (क्रमागत) †

श्री उदित नारायण (जिला फ़तेहपुर)--

श्रीमन्, कल इस सम्मानित सदन के सामने माननीय उपमुख्य मंत्री जी ने अपने सिंचाई विभाग का अनुदान पेश किया है और उस पर बोलते हुये उन्होंने काफ़ी उससे संबंधित विषयों पर प्रकाश डाला है। मुझे खुशी है कि उससे संबंधित सभी समस्याओं की ओर उन्होंने संकेत किया है। मैं पूर्ण सहमत हूं कि जिस सिंचाई विभाग के अनुदान पर चर्चा हो रही है वह ऐसा विषय है जिस पर हम आलोचना करने की कोशिश नहीं करेंगे बल्कि रचनात्मक सुझाव रखेंगे इसलिये कि हमारे प्रदेश और देश का भविष्य इसके ऊपर निर्भर करता है। इसी ध्यान से हम अपनी बातें उपमुख्य मन्त्री जी की सेवा में रखना चाहते हैं और वे इस पर विचार करें। जब से बजट पर चर्चा चल रही है हम यह देखते हैं कि सब लोग यह कह रहे हैं कि हमारा प्रदेश और प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत पिछड़ी हुई है और हमारी पर कैपिटा आमदनी सब से कम है। बिजली सब से कम खर्च करते हैं। इसका अर्थ यही है कि हम सब से पिछड़े हुये हैं आर्थिक विकास में। यह मानी हुई बात है कि हम आर्थिक विकास केवल कृषि के आधार पर कर सकते हैं और तरक्की कर सकते हैं। क्योंकि फ़िलहाल हमारे देश और खासकर हमारे प्रदेश का आर्थिक विकास कृषि के ऊपर निर्भर है। हमारी आर्थिक उन्नति कृषि के ऊपर आधारित है और निश्चयपूर्वक कृषि सिंचाई के ऊपर आधारित है। इसलिये यदि हम यह कहें कि सिंचाई के ऊपर अभी जो चर्चा हो रही है वह सारी चर्चा हमारे भविष्य के ऊपर हो रही है कि हमारा आर्थिक विकास होगा या नहीं होगा, जिसके ऊपर हमारा भविष्य निर्भर करता है और हमारा आर्थिक विकास होगा या नहीं होगा यह हमारे कृषि विकास पर निर्भर करता है। इसलिये मान्यवर, मैं ऐसा चाहता हूं कि इन सब पर ध्यान देकर उस पर विचार किया जाय। इस सिलसिले में हमारी राष्ट्रीय विकास परिषद् ने भी, हमारे गवर्नर साहब ने जो ऐड्रेस किया था उसमें भी और कल विशेषतौर पर माननीय उपमुख्य मंत्री ने भी जिस बात को कहा था, उस को ध्यान में रखें कि हमारे यहां क्षेत्रीय असंतुलन है। इन बातों को हमें समझ लेना चाहिये कि अगर यह बात सही है कि हमारा आर्थिक विकास कृषि पर आधारित है तो हम यह भी जानते हैं कि कृषि के लिये हमारे यहां भूमि सीमित है। जितनी भूमि हमारे पास है उसका अधिक से अधिक उपयोग अच्छे से अच्छे तरीके से हो जिससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें, यह भी आवश्यक हो जाता है।

उसी सिलसिले में क्षेत्रीय असंतुलन की बात भी की जाती है। मैं निवेदन करूंगा कि यह दुर्भाग्य की बात है जब हम क्षेत्रीय असंतुलन की बात कहते हैं जो यह हमारे प्रान्त में एक अहम् समस्या है, लेकिन जब लोग पूरब और पश्चिम की भाषा में बोलना चाहते हैं तो वह अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हम जहां विकास की बात कहते हैं, उसके बाद अपने आप उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम की बात करने लगते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि यह क्षेत्रीय असंतुलन जो है वह पूरब में भी है और पश्चिम में भी है। पश्चिम में कई ऐसे जिले हैं जहां उतनी ही अधिक असमानता

---

†२१ अगस्त, १९६९ की कार्यवाही से।

[श्री उदितनारायण]

है। आज आप आगरा जिलेमें चले जाइये और चम्बल की घाटी के किनारे चले जाइये, आप इटावा जिले में चले जाइये, वहां भी चम्बल की घाटी है, मैं मेरठ जिले में भी गया हूं, वहां जहां गंगा बहती है और कटाव करती है, उस क्षेत्र को आप देखें तो वहां उतना ही आर्थिक असंतुलन है जितना कि हमारे बुन्देलखंड में या कई दूसरी जगहों पर है।

दूसरी बात यह है कि हमारे यहां एक और समस्या स्केयरसिटी एरिया की है। यह क्षेत्र प्रतापगढ़ से शुरू होकर, वाराणसी की दो तहसीलें, इलाहाबाद की दो तहसीलें, बांदा की दो तहसीलें, फ़तेहपुर की एक तहसील और हमीरपुर जिला इटावा जिले में आता है जहां हमेशा स्केयरसिटी हुआ करती है। उस क्षेत्र के लिये सिंचाई की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस प्रश्न पर आपको सोचना व समझना है कि वहां सिंचाई के साधन हम कितना और किस मात्रा में उपलब्ध कर सकते हैं और वह समस्या ऐसी है या नहीं है। इसलिये आपसे मैं निवेदन करूंगा कि जब हम क्षेत्रीय असमानता की बात करें तो उस वक्त पूरब पश्चिम की बात न करें।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि यह बात मैं पसन्द नहीं करता और इसको मुनासिब नहीं समझता कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को उपेक्षित क्षेत्र कहा जाय। मैं उन्हें उपेक्षित इसलिये नहीं कहना चाहता हूं कि यदि हम हिसाब लगावें तो बुन्देलखंड के ऊपर और पूरब में भी सरकार ने जो धनराशि खर्च की है, वह किसी माने में दूसरी जगह जो धनराशि खर्च की गयी है उससे कम नहीं है। यह तो कुछ प्राकृतिक कारण हैं जिसके कारण अपने आप हम उपेक्षित हो गये हैं। हमारे बुन्देलखंड में कुछ बंधियां बांधी गयीं। बंधियों से कुछ सिंचाई होती है लेकिन बंधियों और बांध के जरिये जो सिंचाई होती है वह आज आउट डेटेड है। कारण यह है कि हमारे यहां बंधी बन गयी तो एक बीघे में आप ४-६, ७-८ मन पैदा कर लेंगे, इस से अधिक नहीं कर सकेंगे, क्योंकि पानी तो एक ही मिलेगा। इसलिये आज के जो नये बीज हैं उनको हम उसमें पैदा नहीं कर सकते हैं। वह तभी कर सकते हैं जब ४-५-६ पानी दे सकें। यह बंधी से संभव नहीं है और बांध जो बनते हैं उनसे भी नहीं। खेती दो चीजों पर निर्भर करती है--- या तो ट्यूबवेल या जिसका कल माननीय उप मुख्य मंत्री जी ने जिक्र किया था। डाल सिंचाई योजना या पंप कैनाल। इसी सिलसिले में एक निवेदन कर दूं कि इस तरह के जितने क्षेत्र हैं जिनको अविकसित कहा जाता है उनकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट, जैसे आपका रामगंगा या गंगा का या यमुना का प्रोजेक्ट बनाकर नहरें ले जाना संभव नहीं है। और वे ऐसे क्षेत्र हैं---मैं आंकड़े दूंगा---कि जिनसे आपको सबसे अधिक लाभ हो सकता है। इन क्षेत्रों से केवल माइनर इर्रीगेशन के जरिये से ही विकसित कर सकते हैं।

यह दुख की बात है, मैं कहना चाहता हूं, आरंभ से ही कह रहा था कि मैं आपके दावे को कबूल करने के लिये तैयार नहीं हूं कि आपका बजट नियोजित है। आज उसकी चर्चा नहीं है, वरना मैं कहता कि वह समाजवादी भी नहीं है, लेकिन इस संदर्भ में उसकी कहीं गुंजाइश नहीं दिखाई देती। नियोजित नहीं है ऐसा इसलिये कहूंगा कि आपने पहले चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो ७० करोड़ का प्राविधान माइनर इर्रीगेशन पर था। उसका आकार कम हुआ, छोटा किया गया और जब छोटा किया गया तो स्वाभाविक था कि उसमें कटौतियां होंगी। मैं इसलिये नियोजित इसको नहीं कहता कि आपने सब जगह कटौती कर दी, यह नहीं देखा कि कहीं नहीं भी होनी चाहिये थी। माइनर इर्रीगेशन ऐसी एक जगह थी, ऐसा स्थान था कि जहां पर कटौती नहीं होनी चाहिये। कितनी हुई? ७० करोड़ से आपके ४० करोड़ ही है। इस ३० करोड़ की कमी से जितनी स्कीमें थीं वह सब बेकार हो जायेंगी, जिस नींव के ऊपर दीवार उठाना चाहते थे वही गायब हो जायगी।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां जो अविकसित क्षेत्र हैं वे तीन प्रकार के हो सकते हैं। एक तो पर्वतीय क्षेत्र है, एक पूर्वी क्षेत्र है और एक मध्यवर्ती क्षेत्र है जिसमें बुंदेलखंड आता है। उनकी तीन विशेषतायें हैं। मैं यह नहीं कहता कि कोई क्षेत्र ऐसा है कि जिसको

विकसित न किया जाय, लेकिन श्रीमन्, विकास की क्षमता किस किस में कितनी है इसमें भी ध्यान देना चाहिये। जहां तक पर्वतीय क्षेत्र का ताल्लुक है, यह सही है कि वहां पर कृषि के विकास की क्षमता ही कम है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसका विकास ही न किया जाय, बल्कि जहां तक संभव हो उतना किया जाय। पूर्वी क्षेत्र की एक विशेषता है कि वहां जो जमीन है उस पर आबादी का वजन इतना है, वहां की पापुलेशन इतनी अधिक है कि वहां पर भी आप को ज्यादा विकास की गुंजाइश नहीं है। लेकिन श्रीमन्, एक तीसरी क्षेत्र किसी दूसरे क्षेत्र की जमीन बुंदेलखंड है जहां पर जमीन प्रचुर मात्रा में है, असाधारण रूप में अधिक और वहां की जमीन किसी से उर्वरा शक्ति में कम नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हम यह देखना चाहें कि किस जमीनमें कितनी क्षमता है पैदा करने की तो मैं समझता हूं कि इस क्षेत्र में बुंदेलखंड और जो उसके आसपास के जिले हैं, कुछ कानपुर का, फतेहपुर का भी आता है, दूसरी तरफ का भी आता है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि श्रीमन् को अधिक अनुभव है, वहां से आते हैं और यह भी विश्वास है कि माननीय उप मुख्य मंत्री जी भी हालांकि वहां के नहीं हैं लेकिन वहां की सभी बातों से भलीभांति परिचित हैं। मैंने एक मर्तबा माप-दंड दिया था कि किसी जमीन को बराबर का पानी दे दीजिये और फिर देखिये कि किसमें कितनी पैदावार होती है।

उससे आपको मालूम हो जायेगा कि किसमें कितनी क्षमता पैदा करने की है। बुंदेलखंड में मार जमीन है जहां गेंहूं पैदा होता है। जब दूसरी जगहों पर कुछ भी पैदा नहीं होगा तो भी वहां पैदा होगा। एक मर्तबा जोत कर वहां बो देते हैं और काट लेते हैं। अगर इस तरह से दूसरी जमीनमें बोया जाय तो डंठल भी नजर नहीं आयेगा। जरा-सी बारिश हो जाती है तो भी उसमें पैदावार हो जाती है। श्रीमन्, आपको मालूम होगा और उपमुख्य मंत्री को भी मालूम होगा कि रबी क फसल के मौसम में वहां पर जितनी दूर तक नजर जायगी केवल गेहूं की बाल दिखेगी और ऐसा मालूम होता है कि गेहूं के समन्दर के बीच में खड़े हैं, ऐसी जमीन इस क्षेत्र की है। श्रीमन्, झांसी जिला ऐसा है जहां से ६ एम० एल० ए० आते हैं, हमीरपुर से पांच और बांदा से भी पांच एम०एल०ए० हैं, लेकिन गोरखपुर से २०, २५ एम०एल०ए० आते हैं। देवरिया से भी ऐसा ही है और ऐसे ही शेष जिले हैं लेकिन श्रीमन, पैदावार आदमियों को खिलाने के लिये है वह तो एकड़ के हिसाब से करनी है। श्रीमन्, माननीय उप मुख्य मंत्री जी जानते होंगे कि झांसी जिले में सारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कृषि योग्य भूमि है। आपकी पुस्तिका में २० लाख एकड़ जमीन लिखी है और श्रीमन् इसमें केवल एक लाख एकड़ जमीन ऐसी है जिसमें सिंचाई होती है। यह सभी जगहों से कम है। श्रीमन् एक विशेषता यह है कि बुन्देलखंड के यह तीन जिले झांसी, हमीरपुर, और बांदा ऐसे हैं जहां की आबादी सबसे कम है और वहां जमीन सबसे ज्यादा है। एकाध जिलों में छोड़ दें तो श्रीमन्, सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि झांसी, हमीरपुर और बांदा में ही है। श्रीमन्, यहां सारी जमीन ऐसी है जिसमें पैदावार और अधिक की जा सकती है।

उप मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--

आपने कहा कि बांध और बंधियों से काम नहीं चलेगा। यह आउट डेटेड हो गये हैं। यह भी कृपया बतला दें कि बुन्देलखंड में सिंचाई के क्या साधन किये जा सकते हैं। ट्यूबेल के बारे में अभी सर्वेक्षण हो रहा है कि वह बन पायेंगे कि या नहीं।

श्री उदित नारायण--

श्रीमन्, मैं यह कहने जा रहा था। यह क्षेत्र ऐसा था जहां अभी तक ऐसा खयाल किया जाता था कि यहां पर ट्यूबवेल कामयाब नहीं होंगे। श्रीमन्, एक तो यह कि वहां ट्यूबवेल बने हैं और कामयाब हैं तो कोई कारण नहीं कि वहां ट्यूबवेल न बनाये जायं। श्रीमन्, मैंने माननीय केन्द्रीय सिंचाई मंत्री जी से संविद सरकार के समय में बुन्देलखंड का सर्वेक्षण कराने के

[श्री उदित नारायण]

लिये कहा था और वह किया गया था उसके विभाग के पास आंकड़े होंगे। करीब दो, तीन महीने हमीरपुर और जालौन में वहां के लोगों की टीम पड़ी रही थी और उन्होंने कुछ सर्वेक्षण करके आंकड़े दि हैं। मैं श्रीमन्, दो बात निवेदन करना चाहता हूं। जहां तक इस क्षेत्र का संबंध है इसमें एक तो निश्चयपूर्वक ट्यूबवैल लगा सकते हैं। मैं सिर्फ यह निवेदन कर दूं कि जितनी म्युनिसिपैलिटीज हैं इस क्षेत्र में वहां पर जितने कुएं बनवाये गये हैं, वहां पर नल के वास्ते जो पानी दिया जाता है, जो कुछ भी वहां जल का इंतजाम किया गया है वह सारा का सारा ट्यूबवैल्स से किया गया है। इस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। जितने वाटर वर्क्स हैं वह सब ट्यूबवैल्स से हैं और वह कामयाब हुये हैं। यह सही है कि आज तक यहां पर एक भी सरकारी ट्यूबवैल नहीं बनाया गया। श्रीमन्, हमीरपुर जिला ऐसा है जहां पर एक भी सरकारी ट्यूबवैल नहीं है। आज किसी दूसरे से यह बात कही जाय तो वह विश्वास शायद न करे। इसी प्रकार बांदा में कमी है। एक क्षेत्र फतेहपुर का भी ऐसा है जहां पर कमी है। हमीरपुर और बांदा दो ट्यूबवैल लगवाये गये और वह कामयाब हुये। हमीरपुर में इंजीनियर साहब ने लिख कर दे दिया कि यहां ट्यूबवैल कामयाब नहीं हो सकते, लेकिन एक व्यक्ति अकेले जुटा रहा और उसका प्रयास सफल हुआ। इस सिलसिले में एक बात और निवेदन कर दूं। उप मुख्य मंत्री जी गौर करें कि इस किस्म के जो क्षेत्र हैं उन्हें अलग निकालें। नियोजन के माने यही हैं कि किस जगह कौन-सा काम करना है। जितनी बड़ी-बड़ी नहरें हैं चाहे रामगंगा हो, गंगा हो, जमुना हो या बेतवा हो वहां जितनी जगह ऐसी हैं जो टेल एंड पर हैं वहां किसी को पानी नहीं मिलता। लोगों को तकलीफ होती है। पैसा तो वे लोग देते हैं लेकिन आप उनको पानी नहीं देते। फतेहपुर में सारी की सारी नहर टेल एन्ड पर है। जो जगह ऐसी हैं जो टेल एंड पर हैं तो वहां के लिये चाहे आप लिफ्ट योजना बनवायें या ट्यूबवैल की योजना बनवायें। मैं श्रीमन्, बधाई दूंगा कि आप नलकूप की क्षमता को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यह बड़ी अच्छी बात है। अभी तक डेढ़ क्यूजेक या तीन क्युजेक पानी के नलकूप बनते थे। इलाहाबाद में एक नलकूप बनाया है जिसकी क्षमता पांच क्युजेक की है। श्रीमन्, इसकी क्षमता दस की भी हो सकती है। डेढ़ लाख में डेढ़ क्युजेक का ट्यूबवैल बना करता था और मेरा खयाल गलत नहीं है तो ढाई लाख में ५ क्युजेक का बना? मितव्ययिता केवल कर्मचारियों की तनख्वाहों से ही नहीं वरन् अन्य प्रकार से होना चाहिये। जो ट्यूबवैल डेढ़ लाख और तीन लाख में बनता है उसमें आप एक लाख रुपया बचा सकते हैं। यह करने की कोशिश करें।

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, दस मिनट और। मैं जल्दी ही अपनी बात खत्म करने की कोशिश करूंगा।

श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप ट्यूबवैल में ऐसी कोशिश करें कि उसकी क्षमता अधिक हो। मैं बड़ा ही मशकूर हूं माननीय उप मुख्य मंत्री जी का। कल उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में बिजली नहीं गयी है वहां पहले सरकारी ट्यूबवैल लगवायेंगे। यदि ऐसा हो सका तो बहुत बड़ा उपकार होगा। यह वे अवश्य करें। वे क्षेत्र, जहां के लिये कहा जाता है कि ट्यूबवैल नहीं लग सकते हैं, ऐसे हैं जहां पर प्रचुर मात्रा में नदियों का जल उपलब्ध है। चम्बल में चम्बल का पानी है। जमुना, धसान, बेतवा और केन ऐसी ही जो नदियां हैं जिनमें काफ़ी पानी है। मैं उप मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस इलाके का सर्वेक्षण कराएं और साथ ही यह देखें कि वहां की नदियों का एक बूंद पानी भी दूसरी जगहों पर न जायें। दूसरी जगहों में क्या होता है श्रीमन्, आप देखें, कि वहां की नदियों का पानी दूसरे प्रान्त में नहीं जा पाता है। हमारे प्रान्त का कितना पानी बाहर जा रहा है और उसका हम कोई इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हमीरपुर जिले में एक स्कीम बनी। उस सोहरापुर स्कीम से ३०,००० एकड़ जमीन सींची जा सकती है। बड़े दुःख की बात है कि वह स्कीम इसलिये पूरी नहीं हुयी क्योंकि वह नो प्राफ़िट नो लोस बेसिस पर न आ सकी केवल ९ प्रतिशत की कमी

के कारण। मुझे इस बात पर कोई एतराज नहीं है कि सिंचाई योजनायें नो प्राफ़िट नो लोस बेसिस पर हों, पर मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि फ़िर सभी क्षेत्रों में नो प्राफ़िट नो लोस बेसिस पर स्कीम से होनी चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि एक जगह पर एक तरह की स्कीम हो और दूसरी जगहों पर दूसरी स्कीम्स हों और खास तौर से उन क्षेत्रों में जहां कि पहले से सिंचाई के कोई भी साधन उपलब्ध नहीं हैं। वहां तो अवश्य ही सरकार को सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी चाहिये। मेरी सूचना के अनुसार जितने सरकारी ट्यूबवैल्स काम कर रहे हैं वे २०-४० प्रतिशत घाटे पर चल रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप ढाल के जरिये से सिंचाई की योजना को पसन्द कर लें। श्रीमन्, इस सिलसिले में मैं आंकड़े तो नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि समय बहुत कम है। झांसी के पास चिरगांव में एक नहर बनी थी। यह नहर एस० बी० डी० सरकार के जमाने में बनी थी और २० रोज के अन्दर तैयार हो गयी थी। इस नहर पर डढ़ लाख रु० खर्च हुए थे और ५ क्यूजेक पानी मिला। श्रीमन्, आप बुन्देलखंड के इलाके में और आगरा और इटावा में ऐसा कर दें कि वहां की नदियों का एक बूंद पानी भी बाहर न जाय और वहीं इस्तेमाल हो। आप यदि यह कर देते हैं तब हम समझेंगे कि आप इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं हैं वहां आप उन्हें जुटा रहे हैं।

कल ट्यूबवेल्स के वास्ते दूवे टेरिफ़ का जिक्र किया गया था। यह स्कीम एस० बी० डी० सरकार के जमाने में बनी थी और तब उसकी बड़ी ही आलोचनाएं की गयीं और यह कहा गया था कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर इसको गौर से देखा जायगा तो पता चलेगा कि इससे किसानों को बहुत लाभ होगा। काश्तकारों का ४-५ पानी के बिना काम नहीं चलता है। अगर ३ पानी तक उसको किसान ले लें तो उन्हें साधारण दर की बनिस्बत पानी सस्ता पड़ने लगता है। जहां-जहां ट्यूवेल्स नहीं हैं वहां सिंचाई का प्रबन्ध होना चाहिये। आपने ४ फ़र्लांग वाली स्कीम को लागू करके बड़ा अच्छा काम किया है, और इसके लिये आप बधाई के पात्र हैं प ४ फ़र्लांग तक तो आप बिजली देंगे, मगर क्योंकि आपके साधन सीमित हैं इसलिये अगर आप इसको २ फ़र्लांग कर देते तो दुगुने आदमियों को फ़ायदा होता। मान लीजिये ४ फ़र्लांग के स्कीम को लागू करके २५ आदमियों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं तो २ फ़र्लांग की स्कीम लागू करके ५० आदमियों को आप आसानी से लाभान्वित कर सकते हैं।

सिंचाई के संबंध में डिपाजिट स्कीम निकली थी। वह स्कीम बहुत अच्छी थी। क्योंकि इसका नाम डिपाजिट स्कीम था इसलिये उसको बदनाम कर दिया गया। इसमें क्या बुराई है कि अगर एक आदमी रुपया लगाता है और उसके बदले में उसे बिजली उपलब्ध हो जाती है और उसके जरिये से वह अपनी उपज बढ़ाता है? वास्तव में वह डिपाजिट की नहीं कर्ज की स्कीम थी। मैं इसको तसलीम करता हूं कि इससे बहुत फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि हमारे पास साधन बहुत सीमित हैं और घाटा उठा कर हम सब को बिजली नहीं दे सकते हैं इसलिये डिपाजिट स्कीम का लागू होना नितान्त आवश्यक है। क्या यह अन्याय नहीं होगा कि जो लोग अपना रुपया लगाना चाहते हैं और बिजली देना चाहते हैं और हम उन्हें बिजली नहीं देते हैं? यह स्कीम हमारी मदद करने वाली स्कीम हैं।

*श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)---

मान्यवर, उपमुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने प्रदेश में सिंचाई की समस्याओं को हल करने हेतु सिंचाई आयोग की घोषणा की है। बजट में किसानों को बहुत सी सुविधाओं के देने का प्रयास किया गया है, यह बड़े ही हर्ष की बात है। मैं माननीय शर्मा जी, जो अभी बोल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुधामाप्रसाद गोस्वामी]

रहे थे और हमारे बुन्देलखंड के हैं, से निवेदन करना चाहता हूं। उन्होंने बुन्देलखंड के बारे में बहुत सी बातें कहीं हैं। मान्यवर, उप मुख्य मंत्री जी के जमाने में बुन्देलखंड में सिंचाई के बहुत साधन उपलब्ध हुए हैं। मैं एस० बी० डी० सरकार के जमाने की बात कहना चाहता हूं। माननीय शर्मा जी केबिनेट के मिनिस्टर थे और सिंचाई विभाग भी उनके पास था। मैं श्रीमन्, कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। मैं सारे प्रदेश में पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण की बात नहीं कहता हूं, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बुन्देलखंड का मंत्री होते हुये और सिंचाई विभाग भी उन्हीं के पास था तब खयाल नहीं रक्खा लेकिन आज है। तो जो खयाल किया है उसके लिये बधाई के पात्र हैं।

श्री उदित नारायण—

मेरा नाम लिया गया इसलिये सूचित कर देना चाहता हूं कि बुन्देलखंड में लार्ज साइज परियोजना में जो मेरे काल में काम हुआ है वह आज तक नहीं हुआ है। इसका चौथा भाग भी किसी ने नहीं किया है और सारी की सारी स्कीमें जो मैंने बनवाई थीं, बंधी हुई पड़ी हैं।

श्री सुधामाप्रसाद गोस्वामी—

श्रीमन्, १९६७–६८ में बुन्देखंड और दूसरे क्षेत्रों में सिंचाई के जो साधन दिये गये उनका रकबा सिंचाई के अनुसार पर्वतीय जिलों में ७१७ हजार एकड़ है, पश्चिमी जिलों में १ लाख ३६ हजार है और पूर्वी जिलों में २ लाख ३० हजार है परन्तु बुन्देलखंड में १३ हजार एकड़ ही है। श्रीमन्, यह स्थिति संविद के जमाने में हुई है, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो अन्याय उस समय हुआ है उसको पूरा करने के लिये प्रयास किया जाय। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि प्रदेश में २४६ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होती है जिसमें कि ६.७० लाख एकड़ बुन्देलखंड में सिंचाई होती है जो कि प्रदेश के अनुपात का ३ प्रतिशत है। बुन्देलखंड में ४३ लाख एकड़ भूमि में कृषि होती है जो कि पूरे प्रदेश में होने वाली कृषि का लगभग ९ प्रतिशत है। क्षेत्रफल के हिसाब से भी बुन्देलखंड पूरे प्रदेश का १० प्रतिशत भाग है।

श्रीमन्, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सिंचाई के लिये ३५४३.६१ लाख रुपया व्यय किया गया जिसमें कि १७७.०३ लाख रुपया बुन्देलखंड पर व्यय हुआ है। द्वितीय योजना में ४००९.८५ लाख रुपया सिंचाई पर व्यय हुआ जिसमें से २००.८० लाख रुपया बुन्देलखंड पर व्यय हुआ है। तृतीय योजना में ८०५०.०५ लाख व्यय सिंचाई पर व्यय किया गया है जिसमें से बुन्देलखंड में ४०४.०४ लाख रु० व्यय हुआ है। श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बुन्देलखंड में अधिक भूमि है। बुन्देलखंड वह क्षेत्र है जो कि संकट के मौके पर सबसे ज्यादा गल्ला पैदा करता है और सबसे कम सिंचाई बुन्देलखंड में होती है। यदि हम गल्ले में आत्म निर्भर होना चाहते हैं तो पानी की व्यवस्था कीजिये। झांसी की एक बड़ी योजना है। उस योजना से झांसी, जालौन और हमीरपुर–तीनों जिलों की जरूरत पूरी हो जावेगी। श्रीमन्, राजघाट योजना को जब केन्द्रीय मंत्री, श्री राव ने देखा तो बड़े प्रभावित हुए और कहा कि इस योजना को तो सबसे पहले लिया जाना चाहिये था। उस समय उप मुख्य मंत्री जी भी मौजूद थे। श्रीमन्, इस योजना से २ लाख ५ हजार किलोवाट बिजली पैदा होने का अनुमान है और ६ लाख एकड़ रकबे की सिंचाई हो सकेगी। इससे बुन्देलखंड की समस्या काफ़ी हद तक हल हो जावेगी। यही नहीं मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्सों की सिंचाई हो जावेगी। श्रीमन्, उप मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि इसको चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जावेगा। मुझे आशा है कि जो आश्वासन दिया है उसको पूरा करने की कृपा करेंगे और इस योजना को निश्चित रूप से शामिल कराने का प्रयास करेंगे।

श्रीमन्, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि जो जामिनी बांध की योजना चल रही है इसको तीसरी योजना में पूरा होना चाहिये था। यह बहुत ढीली चल रही है। मैं कोई टेक्निकल आदमी तो नहीं हूं लेकिन मेरा खयाल है कि अभी इसमें दो-तीन वर्ष और लगेंगे।

जबकि सारी नहरें बन गयीं। उससे पेय जल योजना भी बनायी गयी, पाइप लाइन भी बिछ गयी, लेकिन अभी पक्के काम का नाम नहीं है। इस ओर भी मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नारायणी बांध की योजना है। १० लाख के करीब उस पर पिछले समय में खर्च भी हो चुका था। वह रोक दी गयी। उसको भी पूरा किया जाय। उससे ललितपुर सब डिवीजन की सिंचाई हो सकती है। राजघाट की योजना अगर नहीं बनती है तो माताटीला की क्षमता आगे चल कर समाप्त हो जायगी क्योंकि माताटीला में सिल्ट होती जाती है। माता टीला की नहर झांसी, जालौन और हमीरपुर को सींचती है और नारायणी बांध की योजना से ललितपुर सब डिवीजन की सिंचाई हो सकती है। बुन्देलखंड के लिये लिफ्ट इरीगेशन आवश्यक है। हमारे यहां अनेकों नदियां ऐसी हैं, अनेकों पानी के जखीरे हैं, जमीन ऊंची है और पानी नीचे है, वहां बिजली के द्वारा पानी को उठाया जा सकता है। जामनी नदी है, सजनाम है, पिसनट है, यहां पम्प से पानी उठा कर सिंचाई हो सकती है। इसी तरह से बिजली से पानी उठा कर बेतवा कैनाल से पारीध के पास गढ़मऊ नहर में डाल दें तो काफ़ी एरिया झांसी और माठ तहसील का सींचा जा सकता है।

जहां तक ट्यूबवेल्स की बात है, महरोनी, माठ, गरोठा और मऊ तहसील में कामयाब हो सकते हैं, जालौन जिले में निश्चित रूप से होंगे और बांदा और हमीरपुर में भी इनकी सम्भावना है। एक योजना बम्होरी तालाब की है जो करीब साढ़े पांच लाख की है और बहुत दिनों से पड़ी हुई है। बुन्देलखंड में अगर आमदनी और खर्चे का हिसाब लगायेंगे तो योजना हमारे यहां महंगी पड़ती है। बुन्देलखंड में ऊंची नीची जमीन होने के कारण केवल नहरों से ही समस्या हल नहीं होगी। छोटे बांधों, तालाबों और नालों को बांध कर और पानी लिफ्ट करके वहां की समस्या हल की जा सकती है। मान्यवर, कवि रहीम ने कहा है—कछुक दिनन को रमि रहे रहिमन अवध नरेश, जहिं पर विपदा परत है सो आवत यह देश। श्रीमन्, हमारे यहां चित्र कूट है। वहां पर भगवान रामचन्द्र को शांति मिली थी। मैं समझता हूं कि उप मुख्य मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखेंगे कि वह भूमि जहां भगवान राम को शांति मिली थी उसकी प्यास दूर करने का प्रयास अवश्य करेंगे। (लाल बत्ती जलने पर)

श्रीमन्, दो-तीन मिनट और दे दें। पूरा कलां के पास जामनी नदी से पानी लिफ्ट करके हजारों एकड़ रकबा सींचा जा सकता है। मान्यवर, माताटीला से बिजली निकली, लेकिन झांसी जिले का आधा हिस्सा ऐसा है जहां बिजली नहीं है, ललितपुर तहसील का कुछ हिस्सा है, महरोनी तहसील में शून्य है, गरोठा तहसील में शून्य है, वहां बिजली का नाम नहीं है। महरौनी से लगे हुए क्षेत्र में एक-दो मील पर मध्य प्रदेश की बिजली है। हम उनसे बात करके लेने को तैयार हैं। सरकारी स्तर पर बात हो तो वह समस्या हल हो सकती है। श्रीमन्, सुकुवा-भकुवा बांध की बिजली की योजना पड़ी हुयी है, उसमें काफ़ी खर्चा हुआ, लेकिन पाकिस्तान युद्ध के मौके पर वह योजना रोक दी गयी थी। मेरा निवेदन है कि माननीय उप मुख्य मंत्री जी उस योजना को चालू करने का प्रयास करें।

एक बात और कहना चाहता हूं। गढ़मऊ तालाब से जो नहर निकली है उसके कारण सैकड़ों एकड़ जमीन बरबाद हो गयी है। अगर उस ४ फ़र्लांग के एरिये को पक्का करा दिया जाय तो वहां की काफ़ी जमीन जो उपजाऊ है वह काम में आ सकती है और खेती योग्य बन सकती है।

इसके अलावा हमारे यहां तेंदोल और कोलवा गांव सभा में लोगों ने २०-२० हार्स पावर्स के इंजिन पानी उठाने के लिये लगा रखे हैं, लकिन गांव सभा के पास इतना पैसा नहीं है कि वह इस लिफ्ट योजना को चालू रख सके। इसलिये जो आपका लिफ्ट इरीगेशन विभाग है उसको इसे अपने हाथ में ले लेना चाहिये।

[श्री सुधामा प्रसाद गोस्वामी]

एक निवेदन और है। हमारे यहां किसानों से तिगुना पैसा सिंचाई का वसूल किया जा रहा है। जब लोग सपरा डिवीजन के एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर के पास गये तो उसने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, जो फ़ाइल में होगा मैं वही करूंगा। उसने २६ तारीख को फ़ाइल दिखाने के लिये बुलाया। बेतहाशा बारिश के कारण २६ को लोग उनके पास नहीं पहुंच सके, वे ३० को पहुंचे, लेकिन उन इन्जीनियर महोदय ने फ़ाइल दिखाने से मना कर दिया यह कह कर कि वे लोग २६ को क्यों नहीं आये। उस इन्जीनियर ने लोगों को काफ़ी परेशान कर रखा है। मेरी प्रार्थना है कि उन इन्जीनियर महोदय को झांसी डिवीजन से हटा कर आप और कहीं भेज दें तो बड़ी कृपा होगी।

(श्री राम सागर का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मनेजरसिंह (जिला बलिया)—

श्रीमन्, हमारे बलिया जिले में बाढ़ की विभीषिका आई हुई है और बैरिया-बलिया बांध फट चुका है . . .

श्री अध्यक्ष—

आपका कोई प्वाइन्ट आफ़ आर्डर नहीं है, आप कृपया बैठें, मैंने दूसरे माननीय सदस्य को बुला लिया है।

श्री मैनेजरसिंह—

मैं आपके विवेक को जगाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप डिस्टर्ब करते हैं। आप कृपा करके बैठें। इसके लिये मैं आपको शाम को मौका दूंगा। (इसके बाद श्री मैनेजर सिंह अपने स्थान पर बैठ गये)

श्री रामसागर (जिला जौनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सिंचाई विभाग जैसे महत्वपूर्ण अनुदान पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपको बधाई देता हूं। मान्यवर, यदि हमारे प्रदेश में सिंचाई के समुचित साधन उपलब्ध करा दिये जायं तो प्रदेश का लड़खड़ाता हुआ आर्थिक ढांचा चन्द दिनों में ही दुरुस्त हो सकता है। यदि हमारे प्रदेश और देश की सरकार मुख्य ४ बातों की ओर ध्यान दे और उन्हें कार्यान्वित करे तो हमारे प्रदेश की तमाम समस्यायें हल हो सकती हैं। हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, हर बच्चे की पढ़ाई, हर रोग की दवाई, ये चार चीजें मुख्य रूप से विचार करना आवश्यक है और उसको समुचित रूप से लागू भी करने की आवश्यकता है। इससे हमारी अनेक समस्याओं का निराकरण हो सकता है। अन्न के उत्पादन के मामले में जहां हर एक खेत को पानी पहुंचाने का प्रश्न है, मैं समझता था कि सिंचाई के बजट में माननीय उप मुख्य मंत्री इस बात की घोषणा करेंगे कि अमुक समय तक हम प्रदेश को सिंचाई के साधनों से पूर्ण कर देंगे। तो इससे प्रदेश को बहुत लाभ होगा।

मान्यवर, जहां पर उप मुख्य मंत्री महोदय ने कुछ घोषणाओं को करके धन्यवाद देने का काम किया है वहीं हमें इस बात की तकलीफ़ है कि सिंचाई के साधनों को अधिक उपलब्ध कराने के लिये जितनी गहराई से काम करना चाहिये था उस गहराई तक उप मुख्य मंत्री ने पहुंचने की कोशिश नहीं की है। यह जो सिंचाई विभाग की तरफ़ से पुस्तिका बांटी गई है उसमें यह लिखा है कि हमारे प्रदेश में निकट भविष्य में ८६० लाख एकड़ स्थूल क्षेत्र में कृषि होगी। मैं किसी क्षेत्र विशेष के बारे में जिक्र नहीं करना चाहता क्योंकि हम विधान सभा के सदस्य यद्यपि किसी विशेष क्षेत्र से चुन कर आते हैं तो भी यहां विधान सभा में एक ही रूप में सारे

प्रदेश के बारे में सोचते हैं। जहां पर जैसी समस्यायें हों उनके निराकरण के लिये हम सभी का सहयोग अपेक्षित है। इसलिये हम आपसे यह निवेदन करना चाहते हैं कि तेईस साल के शासन में अपने प्रदेश को यदि पांच हिस्सों में बांट दिया जाय तो अच्छा होता। मैं इसको जिलावाईज नहीं करना चाहता। पर्वतीय क्षेत्र में, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, गढ़वाल, चमोली, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी और देहरादून हैं। जिसमें खेती करने लायक भूमि १२२२६.४ एकड़ है और योजना के पूर्व इस क्षेत्र में सिंचाई होती थी ४०.१ एकड़ भूमि पर और १९६९–७० तक प्रदेश में पूर्ति का जो लक्ष्य है वह है १७१.१ एकड़ भूमि का। इसी तरह पश्चिमी क्षेत्र में, सहारनपुर, मजफ़्फ़रनगर, मेरठ, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, मनपुरी, एटा, फ़र्रुखाबाद, इटावा, बिजनौर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपर, मुरादाबाद और रामपुर हैं। इस क्षेत्र में २०२९८.१ एकड़ भूमि है जो खेती करने लायक है और योजना के पूर्व ५१७४.३ एकड़ भूमि में सिंचाई होती थी और सन १९७० तक ६४८३.१ एकड़ में सिंचाई होगी। मध्यवर्ती क्षेत्र में, फ़तेहपर, लखीमपर खीरी, सीतापुर, कानपुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी आते हैं। उसमें खेती करने लायक जमीन १२४४५.१ एकड़ है। योजना के पूर्व ५६१.५ एकड़ पर सिंचाई होती थी और १९७० तक पहुंचने का लक्ष्य है ११३७.८। पूर्वी क्षेत्र में, वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, आजमगढ़, देवरिया, बस्ती, गोंडा, बहराईच, फ़ैजाबाद, सुल्तानपर, इलाहाबाद, और प्रतापगढ़ हैं। इस डिवीजन में खेती करने लायक जमीन २२०२० एकड़ है और योजना के पूर्व सिंचाई २३५.२ एकड़ थी और सन् १९७० तक ३०९८.४ एकड़ लक्ष्य रक्खा गया है।

सिंचाई मंत्री ने कल अपने भाषण में कहा था कि सिंचाई योजना पर अरबों रुपया खर्च हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या अरबों रुपया खर्च करने के बाद भी हम उस लक्ष्य तक पहुंच गये हैं जहां पर २३ साल में हमको पहुंचना था? तो इसका सीधा उत्तर है कि उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हैं। इसका मुख्य कारण एक है कि सिंचाई विभाग में ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार इतनी जड़ जमा चुका है कि सिंचाई विभाग का पचास फीसदी रुपया सीधे सीधे इंजीनियर से लेकर ओवरसियर के पाकेट्स में चला जाता है। मैं इसका एक आंकड़ा आपको दूं जो मुझे उसी विभाग के बहुत निकटवर्ती सूत्र से पता चला है कि सिंचाई विभाग का पचास फीसदी रुपया इस तरह से उनके पाकेट में जाता है।

(इस समय १२ बज कर ४५ मिनट पर, उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुये।)

१० प्रतिशत जिले के इंजीनियर लेते हैं, १० प्रतिशत छोटे इंजीनियर लेते हैं, १५ प्रतिशत ओवरसियर लेते हैं, ५ प्रतिशत नीचे के बाबू लोग लेते हैं और १० प्रतिशत ठेकेदार। इस तरह से कुल ५० प्रतिशत तो बड़े इंजीनियर से नीचे तक बट जाता है। तो हमारा कैसे विश्वास हो कि सरकार का जो रुपया कृषि योजनाओं पर व्यय होगा वह कृषि के काम में व्यय होगा? मैं जौनपुर की मिसाल दूंगा कि सन ६८ में वहां जून मास में सिंचाई विभाग का आडिट हुआ, तो वहां पर लाखों रुपय की गड़बड़ी पाई गई। वहां के कुछ जागरूक नागरिकों ने और ठेकेदारों ने हजारों नोटिस छपवा कर सिंचाई विभाग के उच्च अधिकारियों, राज्यपाल तथा उपमुख्य मंत्री जी के पास भी भेजे, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी इंजीनियर या ओवरसियर यदि केवल २ साल तक इस विभाग में काम कर लेता है तो उसका लाखों रुपये का बैंक बैलेन्स हो जाता है और हवेलियां उसकी खड़ी हो जाती हैं। मैं माननीय उप मुख्य मंत्री जी के पास यह कापी भेज दूंगा इसमें लिखा है कि हमारे यहां के अधिशासी अभियन्ता की हवेली इलाहाबाद में बन गई, सहायक अभियन्ता की हवेली फैजाबाद में बन गई, ओवरसियर की आजमगढ़ में बन गई है और इस संबंध में तमाम हल्लागुल्ला के

[श्री राम सागर]

बावजूद कोई कार्यवाही नहीं होती । बनारस में सब अधिकारी उप मुख्य मंत्री जी के साथ आये थे और डायरेक्टर वगैरह सब थे । हमने उनसे कहा कि इस तरह की गड़बड़ी विभाग में फैली है और फलां फलां कर्मचारियों पर गबन के आरोप हैं उनको निलम्बित करें या हटा दें ताकि जौनपुर जिला ऐसे लोगों से साफ हो जाय और सिंचाई के कार्य में राहत मिले, वह एक सूखा पीड़ित इलाका है और बड़े दुख की बात है कि उन में से किसी पर कोई कार्यवाही नहीं हुई ।

एक का ट्रांसफर ४ बार हुआ लेकिन बार बार रोक दिया गया । एक वीरेन्द्र नारायण सिंह स्टोर कीपर हैं उनका भी तबादला ४बार हुआ लेकिन रोक दिया गया । एक हैं श्री सी० बी० शुक्ल उन के ऊपर भी गबन के आरोप हैं उनका भी ४ बार तबादला हुआ लेकिन रोक दिया गया । एक तबादला केवल ऐसे कर्मचारी का हुआ जो कि इंजीनियर को कमीशन नहीं देता था जो ठेकेदारों से पैसा नहीं लेता था और केवल ईमानदार होने के नाते उसका तबादला हो गया, उसका मैं नाम यहां नहीं बतलाना चाहता । इस तरह से तमाम रुपया ठेकेदारों के द्वारा लिया जाता है । जितनी नलकूपों की नालियां बनती हैं उनमें सीमेंट का अनुपात १:३ का होना चाहिये, लेकिन १:८ के अनुपात से लगाया जाता है, अगर ऐसा न करें तो नीचे से ऊपर तक जब कैसे भरे और कमीशन कहां से आये । मंत्री जी ने कहा कि हर साल विभाग में घाटा होता है, उसका कारण यही है कि जब इस तरह से सीमेंट बचाया जायगा तो बार बार नालियां टूटेंगी और बनेंगी और कमीशन मिलेगा, अगर एक बार मजबूत बन जायं तो सारी आमदनी ही खतम हो जाय । अगर कर्मचारियों की जेब में ऐसे पैसा जायगा तो घाटा तो होगा ही । जौनपुर गाजीपुर, बनारस, इलाहाबाद और प्रतापगढ़ के सूखे की बार बार चर्चा की गई, सरकार ने मान भी लिया, लेकिन केवल घड़ियाली आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा, वहां आज तक कोई नलकूप नहीं लगे और कह दिया गया कि अब तो बरसात आ गई है जब कि राजा साहब जौनपुर ने कहा कि सूखा क्षेत्र में सिंचाई का प्रबन्ध होना चाहिये । लेकिन बरसात वहां हमेशा तो नहीं रहेगी, जब खत्म हो जायगी तो क्या होगा, फिर सूखे से किसान तबाह होंगे । मैं सूखा पीड़ित जिलों की तरफ मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि जिन जिलों को सूखा पीड़ित मान लिया गया है कम से कम वहां तो सिंचाई की समुचित व्यवस्था होना चाहिये ।

दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि नदियों के किनारे जो क्षेत्र पड़ते हैं, वहां की भूमि, पानी के अभाव में, इतनी उपजाऊ नहीं है । नदियों के किनारे पर कुएं बनाने में भी काफी खर्च पड़ता है । ऐसी दशा में अगर वहां पर स्माल टयूबवेल लगाय जायं तो काश्तकार को बहुत ही फायदा हो सकता है । इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

श्रीमन, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आज जो गाड़ी गोंडा से बलरामपुर आती है उसमें बुडवल स्टेशन पर एक डिब्बे में घुस कर यात्रियों को लूट लिया....

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । व्यवस्था जो हो, उसे ही उठाना चाहिये । अगर कोई गम्भीर प्रश्न ही भी तो कार्य-स्थगन उठाने की भी प्रक्रिया है । व्यवस्था के अन्तर्गत ही आप अपनी बात कह सकते हैं ।

श्री होती लाल अग्रवाल (जिला इटावा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी—त्रिपाठी जी, को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने सिंचाई व्यवस्था से संबंधित नियमों में परिवर्तन करने के लिये एक सिंचाई आयोग की नियुक्ति की घोषणा की है । हमारे यहां नहर सम्बन्धी जो कानून या नियम हैं, वे बहुत ही पुराने हैं और उनमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनमें परिवर्तन होना नितान्त आवश्यक है । मुझे आशा है कि यह जो आयोग बैठाया गया है वह पुराने कायदे और कानून सबको बदलेगा ।

मैं समझता हूं कि इस काम को करके हमारे सिंचाई मंत्री जी किसानों के हित में बड़ा भारी काम करेंगे।

श्रीमन्, आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जिले में ३-४ तरह की भूमि है और उस भूमि में सिंचाई करने के ३-४ प्रकार के प्रबन्ध हो सकते हैं। जब से आजादी हुयी है, हमारे जिले में, तब से आज तक सरकार की तरफ से सिंचाई की कोई योजना खास तौर से नहीं बनी है। न वहां पर ट्यूबवेल्स ही हैं और न किसी योजना के अन्तर्गत ही कोई काम हुआ है। एक क्षेत्र हमारा है जो सबसे दक्षिण में यमुना और चम्बल के बीच में है। दोनों ओर नदियां है। इस क्षेत्र में कोई नहर नहीं जा सकती है। वहां पर पानी बहुत गहराई पर है। सौ फिट के करीब पर वहां पानी मिलता है। इसलिये वहां पर केवल सरकारी ट्यूबवेल ही बन सकते हैं, कोई दूसरा सिंचाई का काम हो नहीं सकता है। दो-तीन वर्ष हुए लगभग १० ट्यूबवेल बने थे। पहले तो यह कहा जाता था कि इस क्षेत्र में ट्यूबवेल कामयाब ही नहीं होंगे लेकिन इन १० ट्यूबवेल्स के बनने से इतना तो साफ हो गया है कि वहां पर एक बहुत अच्छा स्ट्रेटा है, अतः वहां पर पानी मिल सकता है, जिससे सिंचाई होगी। इस क्षेत्र की जमीन अच्छी है, उपजाऊ है, और सारे हिन्दुस्तान में मशहूर है। काली मिट्टी में बहुत पैदावार होती है और यही पार पट्टी में है। अगर वहां पर पानी का प्रबन्ध हो जाय, तो पैदावार दुगुनी हो सकती है। वहां पर आज कल केवल खरीफ की ही फसल हो सकती है। रबी की नहीं हो पाती है। वहां पर चम्बल और यमुना इतनी गहराई पर हैं कि लिफ्ट इरीगेशन का काम नहीं हो सकता है। वहां पर चम्बल और यमुना से पानी उठा कर नहर नहीं निकाली जा सकती है अतः वहां पर केवल सरकारी ट्यूबवेल्स ही लगाये जा सकते हैं। निजी ट्यूबवेल्स वहां पर काश्तकार की सामर्थ्य के बाहर हैं।

आज यह क्षेत्र डकैतों का क्षेत्र बना हुआ है। सभी जानते हैं कि डकैतों की समस्या, आगरा इटावा और भिंड के इलाकों में बड़ी जबरदस्त है। आये दिन लोग डकैतियां करते हैं क्योंकि वहां कोई धन्धा नहीं है। अगर ट्यूबवेल्स लग जायं तो अच्छी खेती होने लग जायं और लोग उसमें लग जायं। जमीन उपजाऊ है जिससे काफी पैदावार बढ़ सकती है। वहां के लोग बड़े मेहनती हैं। वहां पशुपालन के अलावा कोई काम इस वक्त नहीं हो रहा है। बिजली की लाइन अभी निकली है और १० ट्यूबवेल अभी लगे हैं जिनसे सिंचाई होने लग जायगी। लेकिन जितने ट्यूबवेल की वहां जरूरत है उतने लग जाने चाहिये। वह टुकड़ा ६० मील लम्बा और १० मील चौड़ा है और उसमें १५ मील तक यह लाइन गयी है। काफी ट्यूबवेल्स उसमें बन सकते हैं।

दूसरा क्षेत्र बीच का है जो जमुना नदी से लेकर सेंगर नदी के ऊपर तक गया है। वहां जमीन उपजाऊ है और फसल अच्छी होती है लेकिन सिंचाई के साधन उतने अच्छे नहीं हैं जितने होने चाहिये। वहां के लोग साधन सम्पन्न हैं और ट्यूबवेल लगा सकते हैं। वहां पैसा भी कम खर्च होगा। उनको अगर कुछ पैसे की मदद सरकार से मिल जाय तो वे निजी ट्यूबवेल लगा सकते हैं। यदि किसी ट्यूबवेल में २० हजार लगता है तो १० हजार काश्तकार स्वयं खर्च कर सकता है और १० हजार का कर्जा थोड़े दिनों के लिये उसे सरकार से मिल जाय तो वहां हजारों ट्यूबवेल लग सकते हैं। इस प्रकार सिंचाई का इन्तजाम करके वहां जमीन काफी उपजाऊ बनाई जा सकती है, २ व ३ फसलें पैदा करके अन्न की समस्या हल की जा सकती है।

कुछ इलाके दो नदियों के बीच के हैं जैसे सिरसा तथा सेंगर नदी का इलाका। वहां सरकारी ट्यूबवेल लग जायं तो यह दुआब काफी अच्छा हो जायगा। यहां पानी का स्ट्रेटा

[श्री होती लाल अग्रवाल]

ऊंचा है जब कि पार पट्टी का स्ट्रेटा बहुत नीचा है। ५० फुट पर यहां पानी मिल जाता है। अगर सरकार उनको कर्जा दे दे तो वे अपने ट्यूबवेल लगा सकते हैं। इससे उनकी दिक्कतें दूर हो सकती हैं।

हमारे यहां नहरें बहुत कम हैं और जो हैं भी उनका कमांड एरिया बहुत बढ़ गया है। टेल पर तो काश्तकार को पानी मिलता ही नहीं है क्योंकि बीच में काश्तकार खन्दी कर लेते हैं जिससे आगे पानी नहीं जा सकता। जब रामगंगा का पानी इन नहरों में आ जाय तो फिर कमान्ड एरिया न बढ़ाया जाय और इसमें सख्ती बरती जाय कि जितना कमांड एरिया आज है उतना ही रखा जाय और पानी की किसानों को जितनी जरूरत हो उतना उनको दिया जाय।

इटावा के काश्तकारों की दिमागी हालत बहुत अच्छी है। वह अच्छी खाद वगैरह का प्रयोग करते हैं और अगर पानी का इन्तजाम हो जाय तो मेरा विश्वास है कि इटावा जिले की गल्ले की पैदावार दूनी तो बहुत जल्दी हो सकती है। हमारे यहां धान और गेहूं दोनों पैदा होते हैं। अगर पानी का इन्तजाम ठीक हो जाय तो सारी समस्यायें दूर हो सकती हैं। मैं चाहता हूं कि कमांड एरिया उतना ही रहे जितना हमारे पास पानी हो नहीं तो आपस में झगड़ा होता है, मुकदमे बाजी होती है और कोई फायदा नहीं होता। पतरौल वगैरह छोटे आदमी हैं। ये पैसा लेकर पटरी कटवा कर लोगों को पानी दिला देते हैं। यह सब चीजें तभी रुक सकती हैं जब लोगों को पर्याप्त पानी मिल जाय। इससे ला ऐंड आर्डर की भी हालत सुधर जायगी और हमारे जिले में बहुत काम होगा।

श्री मैनेजरसिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से निवेदन करना चाहता हूं कि आज बलिया जनपद का लगभग आधा भाग पानी में डूबा हुआ है। बलिया का प्रमुख बांध बलिया-बेरिया एक जगह पर कट चुका है और उसी के पास दो, तीन जगह और कटने की स्थिति में है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की लापरवाही के कारण आज बलिया की यह दुखद स्थिति है। मैं माननीय उप मुख्य मंत्री जी की दलगत और संकुचित नीति का विरोधी हूं किन्तु इतना अवश्य मानता हूं कि माननीय उप मुख्य मंत्री जी जब सिंचाई मंत्री थे तो इनके कार्यकाल में हमारे बलिया में और अन्य पड़ोसी पूर्वी जिलों में सिंचाई विभाग का अच्छा कार्य हुआ और इन्हीं के कार्यकाल में बलिया बेरिया बांध, तुरतीपार- श्रीनगर बांध, बकुल्हा-संसार टीला बांध और बेरिया-संसार टीला बांध स्वीकृत हुये और उनका निर्माण भी हुआ, केवल बेरिया संसार टीला बांध रह गया। वह आज भी नहीं बना है। बकुल्हा संसार टीला बांध को बना दिया गया था वह सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं की अकर्मण्यता के कारण हर साल की वर्षा में कट कर क्षत विक्षत पड़ा हुआ है। कहा जाता है कि केन्द्रीय वाटर ऐंड पावर कमीशन के आदेश से रुका हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय पावर कमीशन के निर्णय के अनुसार दोनों प्रदेशों के अभियन्ताओं ने संयुक्त रूप से निरीक्षण करके यह सहमति दे दी थी कि बकुल्हा संसार टीला निर्मित बांध की मरम्मत करा दी जाय। परन्तु पिछले चार साल से मरम्मत नहीं करायी जा रही है जिसके कारण पूर्वी बलिया के सैकड़ों गांव डूबे हुये हैं। इससे बढ़ कर इस विभाग की अकर्मण्यता का और क्या उदाहरण हो सकता है?

मैं आपकी आज्ञा से निवेदन करना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं के खेल के कारण बलिया जनपद के अधिकांश ग्रामीणों का जीवन दूभर हो गया है। बलिया बेरिया बांध पर गायघाट के निकट जो कटान का प्रकोप पिछले कई वर्षों से पैदा हुआ है उसमें इस विभाग के अभियन्ताओं ने बहुत कुछ अकर्मणयता की है और अपनी नालायकी का उन्होंने प्रदर्शन किया है। श्रीमन्, गायघाट कटान के विषय में हर वर्ष कहा जाता है कि सर्वेक्षण होगा, सर्वेक्षण की रिपोर्ट आयगी और उसके बाद अन्वेषण होगा रुड़की और पूना में। जिस वर्ष का सर्वेक्षण होता है,

नक्शा बना कर भेजा जाता है, उसके आधार पर रिपोर्ट आती है और तीसरे साल उसके आधार पर कार्य की बात की जाती है, जब तक कि पानी के कटाव के कारण सारी स्थिति ही बदल जाती है। भला फिर उस सर्वेक्षण और अनुसंधान के ऊपर जो काम होगा उसका क्या नतीजा हो सकता है। गायघाट के पास आपने ३ बार में १५–१६ लाख रुपया व्यय कर दिया, केवल कच्च काम झाऊ वगैरह डाल कर। इससे अधिक आपके अभियन्ताओं की बेवकूफी और क्या हो सकती है? क्यों नहीं कांक्रीट की ठोकरें वैसी बना दी गयी जैसी घाघरा के किनारे सुरेमनपुर में बनायी गयी हैं। यह जो १०–१५ लाख इस तरह से कच्चे कामों पर व्यय किया गया है क्यों नहीं १०–२० लाख और खच करके सुरेमनपुर पर बनायी गयी पक्की ठोकरों की तरह पक्की ठोकर बना दी गयी। उससे बार-बार की परेशानी भी बच जाती और रुपया भी जो खराब हो गया है वह बच जाता।

माननीय उप मुख्य मंत्री जी ने बताया कि २ करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इसलिये कठिनाई है। लेकिन मेरी तो यह धारणा बन चली है कि पूर्वांचल का कोई इंजीनियर ऊंचे पद पर नहीं है, कुछ खास जिलों के रहन वाले ही लोग ऊंचे पदों पर हैं, इसलिये पूर्वी इलाकों में कोई कार्य होने ही नहीं देते। येनकेन प्रकारेण ऐसी रिपोर्ट देते हैं कि पूर्व में कोई कार्य ही न होने पाये। उप मुख्य मंत्री जी इस बांध को भली भांति जानते हैं। उनक कार्य काल में ही इसका निर्माण हुआ था और उनके कारण से ही हुआ था। जिसके कारण हजारों एकड़ भूमि बची हुई है। आपका सारा कार्य खतरे में है। इसको समाप्त होने से बचाइये। आप बताइये कि कब आप अपनी आंखों से वहां की स्थिति को देखने के लिये चल रहे हैं। लेकिन आपकी अन्तरात्मा तो दिल्ली भाग रही है। आप उसको रोकिये और बताइये कि बलिया आप कब चल रहे हैं। आपके जो नालायाक इंजीनियर हैं, जो पूर्वी जिलों के दुश्मन हैं, उनकी बात को न मानिये कोई ठोस कदम उठाइये जिससे धन, जन, जीवन की रक्षा हो सके, बलिया के जो लाखों लोग बाढ़ में डूबे हुए हैं उनकी रक्षा हो सके। सकड़ों डूबे हुए गांवों को राहत पहुंचाने का कार्य २२ अगस्त तक भी प्रारम्भ नहीं हुआ था। जिलाधिकारी ने जबानी आदेश दिये थे लेकिन मातहत अधिकारियों ने उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया। कल मैंने उनको भी यह बात बतायी। मैं माननीय उप मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि यदि आप चाहते हैं कि वहां के लोगों का दुख दर्द दूर हो तो अगले सप्ताह में किसी दिन वहां चलने की कृपा कीजिये और इंजीनियरों पर विशेष दबाव डाल कर उसको निर्माण कराइये। वे निरंकुश हो गये हैं बिना आपके अंकुश के वे कुछ कार्य न करेंगे। वे तो ऐशआराम में पड़े हुए हैं। इन शब्दों क साथ म माननीय उप मुख्य मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि वे अगले सप्ताह में बलिया कब चल रहे हैं? बलिया चल कर स्वयं आप हमारी कठिनाइयों का निरीक्षण करें। इन शब्दों के साथ मैं पुनः माननीय उप मुख्य मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं।

मैंने आग्रह किया कि माननीय उप मुख्य मंत्री इस सप्ताह में बलिया चलें। वाकई आधा बलिया पानी में डूबा हुआ है और खतरे में है।

श्री भगौती प्रसाद शुक्ल (जिला फैजाबाद)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं जो आपने पहली बार मुझे सदन में बोलने का मौका दिया। श्रीमन्, मैं उप मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान फैजाबाद जिले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा जिला फैजाबाद ऐसा जिला है जो न पूर्व में गिना जाता है न पश्चिम में गिना जाता है। वह त्रिशंकु की तरह लटक रहा है। माननीय उपाध्यक्ष

[श्री भगौती प्रसाद शुक्ल]

महोदय, उसे या तो पूर्व में या पश्चिम में ले जाने की कृपा करें। मैं कटहरी क्षेत्र से पहली बार जीत कर आया हूं और जनता ने बहुत बड़ी आशा लगा कर हमें यहां भेजा है। दो लाख जनता की आशा लेकर मैं आपके सामने आया हूं। अपने क्षेत्र की बातें आपके सामने रख रहा हूं। मेरा क्षेत्र दो नदियों मड़हा और बिसुई से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र के बीच में से दो नदियां पूर्व को जाती हैं। इन दोनों नदियों के १२–१४ मील लम्बे टुकड़े में न नदी पर कोई पुल है न आने जाने का रास्ता है। छः महीन रास्ता बन्द हो जाता है। इस क्षेत्र में कुछ ही नलकूप लगे हुए हैं। एक नहर दस बीस गांवों में होती हुई पूर्व को चली जाती है फलतः सारा क्षेत्र पानी के अभाव में पड़ा है। इसलिये माननीय उप मुख्य मंत्री मेरे क्षेत्र कटेहरी की ओर विशेष ध्यान देने की कृपा करें। जो नहर बनी भी है उसमें कुलाबे बहुत कम हैं। एक मील पर, दो फर्लांग पर, एक फर्लांग पर कुलाबा बना हुआ है। कुलाबों के बीच में ५० एकड़ तक जमीन नहर के किनारे टूट जाती है। वह जमीन असिंचित रह जाती है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं मेरी गलती क्षमा करें, मेरे क्षेत्र से कुछ किसानों के प्रार्थना-पत्र आये हैं। जिसको आपने जिले में भेज दिया है। वहां अधिकारी महोदय ने पतरौल को भेज दिया। पतरौल साहब खजावां के पुरवा समैसा में गये। पतरौल महोदय कहते हैं कि आर्डर तो आया है लेकिन हम उत्तर तरफ को कुलाबा ले जायंगे। तो किसान कहने लगे कि हमने दरख्वास्त दिया था कि दक्षिण को कुलाबा जाय और आप उत्तर को ले जायंगे। पतरौल महोदय ने कहा कि कुछ पूजा चढ़े तो शायद हो जाय नहीं तो होना बहुत मुश्किल है। तो वही मसला है कि कहे तो मां मारी जाय नहीं तो भात कुत्ता खाय। दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे क्षेत्र में जो इतना पिछड़ा हुआ है और जिसमें दो बड़े नेता रहते थे, एक श्री मदन मोहन वर्मा और दूसरे श्री जयराम वर्मा, यह दोनों राजनीतिक वर्जिश करते थे। कोई अध्यक्ष होता था कोई मिनिस्टर होता था। लेकिन क्षेत्र का एक डब्बल भर काम नहीं किया। वहां की जनता त्राहि त्राहि कर रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे मुकाबले में बड़े-बड़े दिग्गज लोग खड़े हुए, लेकिन जनता ने मुझे ही चुन कर भेजा और यह कह कर भेजा कि मैं उन क्षेत्रों की बात यहां तक पहुंचाऊं।

अब कुछ नलकूपों के लिये श्रीमान् जी से प्रार्थना करना चाहता हूं जो पुराने नलकूप हैं जिनको लगे १० वर्ष हुए उनमें अब १ बटा ३ पानी कम हो गया है, अर्थात् दो हिस्सा पानी कम हो गया है। लकिन उसका रेट तो वही है। इसलिये कुछ प्रबन्ध किया जाये क्योंकि यदि पानी कम आता है तो उसका चार्ज कम किया जाय।

तीसरी बात यह है कि सरकारी ट्यूबवेलों में जब मोटर जल जाता है तो महीनों तक किसान हाथ पर हाथ रखे बैठा रहता है। आपरेटर कहता है कि थोड़ी देर के लिये गया है ठीक हो जायगा। इसके लिये एसी व्यवस्था होनी चाहिये कि हर समय मोटर बनाये रखें। ताकि जैसे ही मोटर जल तो एक दो दिन के बाद दूसरी मोटर फिट हो जाय।

हमारे क्षेत्र में कोई पावर स्टेशन नहीं है, वहां बिजली ८–८ व १०–१० दिन तक के लिये चली जाती है, उस समय किसान हाथ पर हाथ रखे कर बैठा रहता है। उसका कुछ ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये। मेरे क्षेत्र में महरूआ गोला में एक पावर स्टेशन बनवाने की कृपा की जाय। मेरे क्षेत्र में रामपुर गिरन्ट व बनगांव के करीब सरकारी ट्यूबवेल ४–५ कोस के अन्दर लगाने का प्रयत्न किया गया था, लेकिन सफल नहीं हुए। और अब वहीं पर लोगों ने प्राइवट ट्यूबवेल लगवाये हैं जो सफल हुए। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि उस जगह फिर से सरकार द्वारा ट्यूबवेल लगवाये जायें क्योंकि वहां पर पानी की बहुत कमी है। श्रीमन्, जो लोग सरकार से बिजली लकर अपने प्राइवेट ट्यूबवेल लगवाते हैं, और यदि उस क्षेत्र में सरकारी ट्यूबवेल नहीं है, तो वहां पर वे लोग दूसरों को पानी देने के लिये ५ रुपया व ६ रुपया घंटा चार्ज करते हैं। इसकी भी सरकार व्यवस्था करे कि लोग सरकार से बिजली लेकर गरीब

किसानों को इस तरह से परेशान करते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि उन प्राइवेट ट्यूबवेल वालों पर कोई ऐसा नियंत्रण किया जाय कि वह सही रूप से ही कर वसूल करें। श्रीमन्, सिंचाई की व्यवस्था सरकार को अच्छी तरह से करनी चाहिये,। कौन किसान नहीं चाहता कि हम अच्छे कपड़े पहनें, अच्छे घर में रहें और अच्छा काम करें, लेकिन क्या करें पानी की कमी से खेती में बहुत कमी हो गई। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि खेती पर बिजली का कर भार कम कर दिया जाय। और किसानों के लिये अधिक बिजली का प्रबन्ध किया जाय। श्रीमन्, मेरे क्षेत्र में दो तीन जगहें ऐसी हैं जहां पर नहरें ट्यूब वेल आदि सिंचाई का कोई साधन नहीं है। ये जगहें लोरपुर पाल्हन, मूसेपुर गिरट आमी के पास अमोघा, व लोहरा बरामद पुर, बनगांव आदि हैं। यहां पर नलकूप अवश्य लगवाने की कृपा की जाय।

श्री श्यामलाल (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने सिंचाई के विषय पर मुझे बोलने के लिये समय दिया। सिंचाई के साधनों का पूरे प्रदेश में अभाव है। आप जानते हैं कि लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत देहातों के अन्दर ट्यूबवैल्स, पम्पिंग सेट्स और कुओं के द्वारा सिंचाई अधिकांश किसान करते हैं। सरकार ने १९६९-७० में कुल १६७ करोड़ में से १७ करोड़ रुपया लघु सिंचाई योजनाओं के लिये देने की बात कही है। मैं आप से निवेदन करता हूं कि आज राज्य के अन्दर ८० फीसदी किसान लोग रहते हैं और जिनकी एक मात्र जीविका खेती है और वे खेती की बदौलत अपना पेट भरते हैं और पूरे समाज का पेट भरते हैं, राष्ट्र और देश का पेट भरते हैं आज वे सारे के सारे पानी के बिना आसमान की तरफ आंख लगाये हुये बैठे हैं। २२ वर्षों के बाद भी सरकार की ओर से कोई निश्चित हल नहीं निकला, यह बड़े खेद की बात है। आप जानते हैं कि सरकार की ओर से जो योजनायें चालू की जाती हैं वे खास करके शहरों और नगरों में की जाती हैं। देहातों में कोई भी योजनाबद्ध काम नहीं किया जाता है। सन् १९४७ से लेकर अब तक पूरे राज्य के अन्दर करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी किसान आसमान की तरफ आंख लगाये बैठा है। जिस ढंग से १९४७ के पहले मिर्जापुर, बांदा, इलाहाबाद, आजमगढ़ और बनारस के जो इलाके थे, जहां बराबर सूखा पड़ता था, वहां आज भी वही हालत है। सरकार की यह योजनायें उनके लिये कारगर साबित नहीं होती हैं। आज भी वहां सूखा पड़ रहा है। आज भी वह लोग तबाह हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और बर्बाद हो रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि योजनाओं का लक्ष्य चौतरफा विकास का होता है। कभी निश्चित अवधि के लिये सिंचाई के लक्ष्य की पूर्ति के लिये योजना को कार्यान्वित किया जाय तो निश्चित उससे लाभ होगा लेकिन उस दिशा में कोई ऐसी बात नहीं की जाती है। पहली योजना में नदी घाटी योजना पर अधिक बल दिया गया था। हमारी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं ने उसी समय कहा था कि यदि सरकार निश्चित अवधि के लिये कार्यक्रम लघु सिंचाई के लिये तैयार करे और सात साला योजना के अन्तर्गत इन बहुत से कामों पर ज्यादा बल दे तो किसान निश्चित रूप से इस माने में बहुत आगे बढ़ सकता है, आत्म निर्भर हो सकता है, लेकिन सरकार ने इस बात को नहीं माना।

आज जो देश की हालत चल रही है, इस राज्य की जो हालत चल रही है उसको देखते हुए कहना पड़ता है कि सारी जो कार्यवाही सरकार की ओर से चल रही है वह सिर्फ पेपरों पर चल रही है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि रिहन्ड डैम की बिजली के लिये सरकार की ओर से हल्ला मचाया गया लेकिन मैं आप के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जब बिजली सप्लाई की जाने लगी तो उससे अधिक फायदा बड़े बड़े पूंजीपतियों को और बड़े बड़े सरमायेदारों को हुआ। जब कि सरकार की ओर से ऐलान किया गया था कि उससे फायदा किसानों को होगा। किसानों को खेती के लिये और लघु उद्योगों के लिये बिजली दी जायगी। लेकिन

[श्री श्यामलाल]

हुआ क्या ? बड़े बड़े सरमायेदारों को इसका फायदा मिला। कांग्रेस सरकार के मालिक बड़ सेठ बिड़ला साहब को इससे फायदा मिला। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो रिहन्ड डैम की बिजली का रेट अपने सेठ मालिकों के लिये २ पैसा यूनिट और किसानों के लिये १८ पैसा यूनिट निर्धारित किया। इसी प्रकार से अन्य लघु उद्योगों के लिये ३० पैसे से लेकर ३५ पैसा बिजली का रेट निर्धारित किया है। आज किसान की हालत क्या है ? आप जिस ढंग से बात करते हैं उससे देख कर तो यह कहा जाता है कि आप की सरकार किसानों की सरकार नहीं है, गरीबों की सरकार नहीं है, मध्यम श्रेणी के लोगों की सरकार नहीं है। आपकी सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, बिड़ला टाटा की सरकार है और आपकी सरकार धन्ना सेठों की सरकार है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज किसानों की क्या हालत है, वे भूखों मर रहे हैं, तबाह और बरबाद हो रहे हैं। उसकी उन्नति के लिये आपकी कोई भी योजना सार्थक नहीं होती और आपकी सरकार लाखों करोड़ों रुपया कन्द्रीय सरकार से कर्जा लेती है, अरबों रुपया विदेशों से कर्जा लेती है। लेकिन इसके बाद भी देश कंगाल होता जा रहा है।

मैं रिहन्द डैम की बात कह रहा था। सरकार का स्वभाव है कि वह जीभ से तो समाजवाद का मंत्र जपती है लेकिन कर्मों के द्वारा पूंजीवाद और सामंतवाद को बढ़ावा देती है। यह सरकार अकाल की सरकार है, बाढ़ और सूखा की सरकार है। हमारे पास गोरखपुर जिले से जो समाचार मिला है वह यह है कि बासगांव तहसील के बारीगांव में आम की गुठली खाने से ४ आदमियों की मृत्यु हो गयी है। सफेर अली, उसकी मां, उसकी पत्नी और उसका साला, ये चार आदमी आम की गुठली खाने के कारण मर गये। जब योजनाओं पर इतना रुपया हमारा खर्च हुआ तब भी देहात के आदमियों को इस तरह की खराब चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है यह बड़े दुख की बात है। मैं निवेदन करूंगा कि इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये। सिंचाई की तरफ और लघुउद्योग धंधों की तरफ खासतौर से ध्यान दे तभी कोई हमारी योजनायें कारगर हो सकती हैं।

मैं आप से खासतौर से अपने जिले आजमगढ़ की बात इस समय करना चाहता हूं। वहां पर बिजली के कनेक्शन के लिये दो साल से किसान परेशान हैं। अधिशासी अभियन्ता इसकी ओर ध्यान नहीं देते। जिन उपभोक्ताओं से उन्हें पैसा मिल जाता है उनको बहुत आसानी से बिजली कनक्शंस दे देते हैं और जिनसे उनको पैसा नहीं मिलता है बिजली कनेक्शंस उनको प्राप्त नहीं होता है। मैं आप से बताऊं कि सन् १९६८ से सन् १९६९ के १५ जून तक आजमगढ़ जिले में ट्यूबवेल के बिजली कनेक्शंस के लिये ३,४२८ दरख्वास्तें पड़ी थीं और उनमें से १,७९५ दरख्वास्तें मंजूर की गयी हैं और शेष १,६३३ ज्यों की त्यों पड़ी हुई हैं उन पर सरकार ध्यान नहीं देती, अधिशासी अभियन्ता ध्यान नहीं दे रहे हैं। देहातों में छोटे छोटे खेतिहर किसानों, मजदूरों के पास पैसा नहीं होता इसलिये उनके पास न ट्यूबवेल्स हैं, न कुयें हैं न पम्पिंग सेट्स हैं और वे तालाब और पोखरी के पानी से अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। आज देहातों के अन्दर बड़े-बड़े जमींदार, बड़े पैसे वाले, तिकड़म करने वाले लोग क्या क्या बदमाशियां नहीं करते हैं। गरीबों को उन पोखरियों का पानी तक सिंचाई के लिये नहीं देते हैं, लेखपालों से मिलकर उन पोखरियों का पट्टा या वर्ग ४ अपने नाम लिखवा लेते हैं। नतीजा यह होता है कि छोटे खेतिहर की वह जमीन असिंचित रह जाती है। छोटे खेतिहरों के तरफ सरकार ध्यान दे। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का जोरदार समर्थन करता हूं और आदरणीय सदन से कहता हूं कि इस सरकार को भी रुपये की खर्च करने की इजाजत न दें।

*श्री हरबंश प्रसाद (जिला बांदा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का बड़ा आभारी हूं कि मुझे आपने बोलने का अवसर प्रदान किया। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के बाद आज इतने प्रयास के बाद मुझे बोलने का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अवसर मिला है। मैं उप मुख्य मन्त्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं। मेरा निवेदन यह है कि हमारा यह प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और यहां पर अधिक संख्या में कृषक ही रहते हैं। कृषकों के सामने बहुत सी दिक्कतें हैं। यह सर्वविदित ही है कि अन्न बिना पानी के पैदा नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश में बुन्देलखंड इस मामले में सबसे पिछड़ा हुआ है। यह दुर्भाग्य की बात है कि इस ओर कोई भी विशेष प्रगति वहां पर नहीं हुई। मैं उसी बुन्देलखंड में एक पिछड़े हुये जिले बांदा का रहने वाला हूं और वही मेरा क्षेत्र है। बांदा जिले में आज तक कोई भी सिंचाई की योजना चालू नहीं की गई है। मुझे ऐसा लगता है जैसा कि प्रश्नोत्तर से उस दिन ज्ञात हुआ कि फिलहाल वहां पर कोई भी योजना चलने वाली नहीं है। अक्सर जब वहां के लिये नलकूप की मांग की जाती है तो यह सुनने में आता है कि वहां पर नलकूप सफल नहीं हो सकता है। मैं यह निवेदन करूंगा कि बांदा जिले में २००, ४०० नलकूप लगे हैं और वह सफलता पूर्वक चल रहे हैं। स्वतः मेरे पास नलकूप है जो जिले में सब से अच्छा नलकूप है और बहुत अच्छा उसका रिजल्ट है। इसलिये यह कहना कि बांदा जिले में नलकूप सफल नहीं हो सकता है, गलत है। वहां पर नलकूप लगाये जायं तो वे सफल हो सकते हैं और पानी मिल सकता है।

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि नलकूप से पानी कम हो जाता है। यह बात सही है और हमको भी यह अनुभव है कि पानी का स्तर, जो पानी की क्षमता है वह कम हो जाती है। जब सूखा पड़ता है या ऊपर की वर्षा नहीं होती है तो उसकी क्षमता घट जाती है। मेरा सुझाव है कि जहां पर लिफ्ट सिंचाई के साधन हैं या नाले या नदी हैं वहां पर लिफ्ट को चालू किया जाय। मेरे जिले में नदी, गड्ढे हैं वहां पर यह लिफ्ट सिंचाई की योजना चालू की जाय। मन्त्री जी इसकी जांच करा लें। वहां बहुत अच्छे तरीके से वह चल सकती है। बंधी की सिंचाई का तरीका पुराना हो गया है लेकिन बांदा जिला ऐसा है जहां पर इस योजना को चालू किया जा सकता है। जिस स्थिति में आज सिंचाई की सरकार की योजना चल रही है उसमें हमारे क्षेत्र में सिंचाई के साधन उपलब्ध जल्दी नहीं होने वाले हैं इसलिये बंधी का ऐसा तरीका है जिससे हमारे सिंचाई के मामले हल हो सकते हैं। वहां पर भूमि संरक्षण की योजना चल रही है। उससे किसानों का कोई लाभ नहीं है बल्कि उससे तो मैं कहता हूं किसानों का नुक्सान ही होता है। नकशे बनते हैं और सलाह ली जाती है, लेकिन अधिकांश में काश्तकारों को तब ही पता चलता है जब वसूली का बिल पेमेन्ट के लिये उनके पास आता है।

श्रीमन्, मैं नहरों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। हमारे यहां सिंचाई के लिये मुख्य साधन नहरें हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा बांदा जिला और खासतौर पर मेरा क्षेत्र नहरों से गुथा हुआ है किन्तु उन पर कोई शिकायत की जाय, उनसे कोई मांग की जाय तो वह व्यर्थ है। उसका मुख्य कारण यह है कि उनके सामने निश्चित मापदंड है कि हमारी इतनी क्षमता एक निश्चित एरिया की सिंचाई के लिये है। काश्तकार जब पूछता है तो उसको बढ़े हुए आंकड़े बतला देते हैं कि इतनी हमारी क्षमता है और इतनी सिंचाई हम कर चुके हैं, आगे के लिये हमारी क्या जिम्मेदारी है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है, जितनी भी सिंचाई होती है वह अपूर्ण होती है। अगर आदमी वर्षा का सहारा न करे, छोटे-छोटे गड्ढों का सहारा न करे, रात-दिन परिश्रम न करे, नहरें न काटे, झाल न बांधे जो कि गैरकानूनी काम हैं, तो उसकी सिंचाई की समस्या हल नहीं हो सकती। श्रीमन, ९० या ९९ परसेंट कुलाबों पर पानी नहीं चढ़ता। उसका कारण यह है कि एक दो साल पहले एक नयी स्कीम चलायी गयी थी टेल पर पानी पहुंचाने की। उसमें ऐसी व्यवस्था की गयी है कि जब जरूरत पड़ेगी तब काश्तकार मांग करेगा तो उसे तख्ते या पटले दिये जायेंगे, जो कि व्यावहारिक रूप में मैं समझता हूं कि सम्भव ही नहीं है। कुलाबों के सम्बन्ध में मैं कहता हूं कि यह बिलकुल सत्य है कि कुलाबे बिलकुल पानी देते ही नहीं हैं।

[श्री हरबंश प्रसाद]

बजाय इसके कुछ लोग या काश्तकार अपने तरीके से झाल बांध कर, या पुस बांध कर सिंचाई करें तभी बड़ी मुश्किल से आपकी समस्या थोड़ी बहुत हल हो सकती है। टेल पर पानी दिये जाने का जहां तक सम्बन्ध है, बड़ी लड़ाई-झगड़ के बाद कभी एकाध महर की किसी टेल पर पानी पहुंच जाय यह बड़े सौभाग्य की बात है। मैं समझता हूं कि इससे सिंचाई की समस्या हल नहीं हो सकती है।

इसके अलावा कुछ और समस्यायें हैं जिनको मैं आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहता हूं। नहर के सम्बन्ध में एक बात मैं भूले जा रहा हूं कि क्षेत्रफल को किस तरह से बढ़ा लिया जाता है। हमारे यहां एक नदी है, उस नदी का पानी काश्तकारों ने अपने तरीके से सिंचाई के लिये लिया था लेकिन उसे सम्बन्धित पतरौल ने उसे नहर से पानी लेने वाले क्षेत्र-फल में दिखला दिया। जब सम्बन्धित पतरौल से इस सम्बन्ध में पूछा गया तो पहले तो उसने आनाकानी की, लेकिन बाद में उससे जवाब तलब हुआ और उसे सजा दी गयी। इस चीज को मैं मुनासिब नहीं समझता हूं कि काश्तकार नदी का पानी अपने तरीके से, अपने परिश्रम से लेकर खेतों का सिंचन करे तो बजाय इसके कि उसे कोई इनाम दिया जाय, उल्टा उस पर सिंचन कर लगा दें। हमारे यहां एक लमेड़ा धान होता है। फसल काटते वक्त जो धान गिर जाता है वह जब उगता है तो उसे काश्तकार चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उस पर भी वही महसूल लगा दिया जाता है जो धान या खड़ी फसल पर लगता है।

बिजली की दर जो है वह बहुत बड़ी है यानी उसकी दर बहुत लम्बी है। अगर कोई छोटा काश्तकार अपने ट्यूबवेल के लिये बिजली लेना चाहता है, और वह कोई कारखाना या कोल्हू वगैरह नहीं लगाता, तो वह एक निश्चित वार्षिक रकम कैसे और कहां से दे सकता है, इस पर भी विचार होना चाहिये। मैं आप का आभारी हूं कि आप ने मुझे समय दिया।

*श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप का बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का समय दिया। यह तो सभी जानते हैं कि आज हमारे प्रदेश में शक्ति के कितने साधन हैं और सिंचाई न होने से कितनी हमारी जमीन गैरउपजाऊ हो गयी है। इसका कारण यह है कि हमारी योजनाएं तो सही हैं लेकिन उनको पूरा करना अधिकारियों का काम है। जिस को हम समय से लेते हैं वह पूरी नहीं हो पाती, दुगना खर्चा पड़ जाता है और वह किसानों पर जाकर पड़ता है। मिसाल के तौर पर रामगंगा पर दुगना और गंडक पर तिगुना और चौगुना खर्चा हो चुका, लेकिन सरकार का ध्यान नहीं जाता कि जिस चीज को बनाना था वह बनायी जाती। कारण यह है कि जितना भी प्रदेश पर खर्च बढ़ता जा रहा है वह डेफिसिट बजट में दिखलाते चले जा रहे हैं, तो जो बड़ी-बड़ी योजनाएं हम चलाते हैं उनकी वजह से बड़ा-बड़ा घाटा उठाना पड़ता है। गंडक योजना पर कई बार जो बांध बांधा गया, कई बार इस बात की योजना की गयी कि कितने अधिकारी भ्रष्ट थे उनके विरुद्ध कार्यवाही की गयी, लेकिन दंड नहीं दिया गया। सिंचाई के साधन जुटाने में किसी का ध्यान नहीं है।

सिंचाई के ऊपर सभी ने ज्यादा कहा है, बिजली एक ऐसी चीज है कि यह सिंचाई, डिफेंस, इंडस्ट्री और डोमेस्टिक परपज के काम में ज्यादा आती है। अगर यह देश में नहीं बढ़ती तो मैं समझता हूं कि सिंचाई के साधन जो उपलब्ध हम करना चाहें वह नहीं हो पायेंगे। इसलिए चाहे बिजली की वजह से बांध बांधें, कुछ भी करें लेकिन बिजली पैदा करें। मुझे एक किताब मिली "स्टेटिस्टिकल डायरी"। उसमें पर-कैपिटा जेनरेशन इलेक्ट्रिसिटी का स्टेट्स का दिया है। तो उत्तर प्रदेश में कुल ३९.६९ है जबकि दूसरे प्रदेशों में आप देखें, गुजरात, पंजाब, आसाम इत्यादि में सब से ज्यादा बिजली उत्पन्न हुई है और वहां का पर-कैपिटा कंजम्पशन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी ज्यादा है, ज्यादा खर्च किया जा रहा है। इसका कारण यह है कि उन प्रदेशों में जहां बिजली पैदा की गयी उससे उन्हें धन मिला और उन्होंने अपने साधन जोड़े।

दूसरे, यहां पर हमारा कासिमपुर पावर हाउस है उसमें थर्ड स्टेज खत्म हुआ है, चौथे पर पहुंचने जा रहे हैं, उसको हम समझते हैं कि जल्दी से जल्दी लगा देंगे, लेकिन सन् १९४२ से कई स्टेज आ चुके हैं, बन नहीं पा रहा है। वह एक साल की बात करते हैं, मैं कहता हूं कि दो साल में भी वह नहीं कर पायेंगे, क्योंकि हमारे इंजीनियर साहब जो हैं उनके लड़के ठेकेदार हैं, और कारपोरेशन कम्पनी है उसको ठेका देना चाहते थे लेकिन जबरन उसको दिलवाया गया। वह तो अपने स्वार्थ के लिये कभी जल्दी पूरा न होने देंगे। मैं दो साल की गारंटी देता हूं अगर वह इससे पहले पूरा कर दें। यही ओबरा का हाल है। वहां कहा गया कि बिना योजना सहायता के बनाया जा रहा है। वहां ३ मशीनें बांधी गयी हैं, कहा गया कि जून, १९६९ में चालू करने जा रहे हैं, लेकिन अगस्त भी चला गया, अब सितम्बर की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि १९६९ तो क्या सन् १९७२ में भी नहीं कर पायेंगे। वजह यह है कि खर्चा ज्यादा पड़ता है और उसको आप काश्तकारों की बिजली पर डाल देते हैं। गवर्नर शासन काल में ८ परसेन्ट बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन जब यहां की पब्लिक ने चिल्लाना शुरू किया तब ऐग्रीमेंट में ९० से १०० और १०० से ११० रु० कर दिया गया और रेट भी बढ़ा दिया गया।

श्रीमन्, मीटर सिस्टम से बड़ी बेईमानी होती है। सील तोड़ी जाती है और कंज्यूमर का फायदा कराते हैं और खुद ट्यूबवैल आपरेटर अपनी जेब भरते हैं और विभाग का नुकसान होता है। हमारे नजदीक हरियाना स्टेट है वहां मीटर सिस्टम नहीं है। मान्यवर, बड़ी-बड़ी मिलों में बिजली की चोरी होती है और गरीबों को टैक्स देना पड़ता है जिसकी वजह से हमारे किसान दबते चले जा रहे हैं। कम से कम आप इनके लिये इतना तो कर दें कि जब उनका ट्यूबवल बन्द रहे और वह बिजली खर्चा न करें तो उनको पैसा न देना पड़े। मैंने अभी १९ तारीख को क्वैश्चन किया था लेकिन दुर्भाग्य से वह आ नहीं पाया। उसमें श्रीमन् यह था कि १९६२ से एक करोड़ साल का घाटा हो रहा है। अब तक ७ करोड़ का घाटा हो चुका है और यह आगे भी इसी तरह होता रहेगा, क्योंकि ब्वायलर जो खरीदा गया वह ठीक नहीं है और उसको जब खरीदा गया चीफ इंजीनियर वहां मौजूद थे जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन थे उन्होंने जाकर उसको खरीदा। उस समय इसको क्यों नहीं देखा गया? उस ब्वायलर को आप गोमती में लाकर पटक दें नहीं तो यह एक करोड़ सालाना का घाटा कब तक आप देते रहेंगे?

अलीगढ़ में एक पावर हाउस है जो काफी दिनों से बन्द है, लेकिन उस पर खर्चा हो रहा है, और बताया गया कि इतने मजदूर हैं जब कि वह बिल्कुल बन्द पड़ा है। यह देखने की बात है। २३,९८,७०० रु० उस पर खर्च हो रहा है, जब वहां बिजली नहीं पैदा हो रही है। कमेटी की शायद रिकमेन्डेशन होगी कि उसको हटा दिया जाय। सरकार उसकी तरफ नहीं देखती कि इसकी वजह से खर्चा होता है। श्रीमन्, आज ट्यूबवैल्स की सारी सड़कें खुदी पड़ी हैं। लोग ट्रैक्टर खरीद लिये हैं और उससे सड़कें टूटती हैं लेकिन चालान उन लोगों का होता है जिनके पास गाड़ी नहीं है। अगर ट्यूबवैल आपरेटर को रिश्वत दें तो ठीक है, नहीं तो गरीब आदमी परेशान किया जाता है। गूल सिस्टम पर गवर्नमेन्ट के पास एक रिपोर्ट आई थी। हिन्दुस्तान टाइम्स में २३–२–१९६६ को एक रिपोर्ट गूल सिस्टम पर निकली थी जिसमें कहा गया था कि यह सिस्टम बड़ा खराब है। चकबन्दी के समय इसका ध्यान नहीं रखा गया और पहले की गूलें जो थीं वह भी समाप्त हो गईं। पुरानी गूलें समाप्त हो गईं और नई गूलें नहीं बन पाईं। जहां तक कुलाबों का ताल्लुक है, फसली कुलाबे दिये जाते हैं। मुझे बहुत कम टाइम दिया है।

[श्री रामप्रसाद देशमुख]

मैं बहुत-सी बातें कहना चाहता था क्यों ये चीजें ऐसी हैं जिनमें कि कम से कम घाटे वाली बात न की जाय। वहां घाटा बढ़ता जा रहा है, अनियमिततायें बढ़ती जा रही हैं। कम से कम मैं इंजीनियरों की बात कह दूं। एक ही अच्छा इंजीनियर था जो चला गया। आपका कोई आदमी सिफारिश करे तो आप रोक दें और क्योंकि मैं बी० के० डी० का हूं तो मेरी बात नहीं मानी जायगी। मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि कम से कम आपने मुझे सन् १९५२ से देखा है। मैं कभी गलत बात कहने के लिए आपके पास नहीं आया हूंगा। हमेशा साथ देने के लिये ही रहा। इसलिये कम से कम सही बात तो आप मानें। मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये बाइलर नहीं हटाये तो दूसरे पावर हाउस को भी खराब कर देगा। आप चाहें टेक्निशियंस से पूछ लें। ये बाइलर आप को हटाने पड़ेंगे। वहां यही नहीं, लाखों रुपये की चोरियां होती हैं, सामान गायब होता है। आपने एक कमीशन सिंचाई के लिए तय किया है। मैं कहना चाहता हूं कि एक कमेटी आप बना दें जो इसकी भी जांच कर ले। करोड़ों, लाखों रुपये का घाटा हो रहा है। चोरियां हो रही हैं। कोयला चोरी होता है, सामान चोरी होता है। घाटे की बात है तो जो अधिकार ऊंचे से ऊंचा बैठा है वह आप को टेक्निकल मामला कह कर धोखा देता है, वह नहीं चाहता जांच कराना। आप देखें कि वहां वे बाइलर लगे जो कि दुनिया में कहीं नहीं लगे। वे लोग कोठियां बना रहे हैं। तो यह भी देख लें। मुझे उपाध्यक्ष महोदय ने टाइम नहीं दिया। बहुत-सी अनियमितताएं हैं जिनको आप को देखना पड़ेगा। बिजली में कभी घाटा हो नहीं सकता। आपका कंजम्पशन नहीं बढ़ता है, बिजली नहीं बढ़ती है, मशीनें बंद पड़ी हैं। तीन चार मशीनें आज बन्द हैं। एक जापानी मशीन है जो बन्द है, एक जर्मनी मशीन बन्द है, एक ब्रिटिश मशीन बन्द है, एक रशियन मशीन बन्द है।

एक बात और कहना चाहूंगा। एक चुनाव हुआ एम० आईज़० का और उसमें इतनी गडबड़ी हुई जितनी कि हो सकती थी। मैंने अपनी रिपोर्ट दी थी और उसमें यहां तक लिख दिया था कि इसको कैंसिल किया जाय और जिन लोगों ने जांच की है उन्हें आगे कभी अधिकार न दिया जाय कि वे जांच में बैठें। यह रिपोर्ट फाइल पर है जिसे मंगाकर आप देख लें। जो ट्रक ड्राइवर्स थे वे इंसपेक्टर्स बनाये गये हैं। काट काट कर नम्बर बढ़ाये गये हैं। मैंने लिखा था कि इसको कैंसिल किया जाय और इसकी जांच कराई जाय। उस समय मिनिस्टर साहब जो थे उन्होंने भी और चौधरी साहब ने कहा कि मर जायगे, गल्ती जरूर है। मैंने कहा कि इनके करेक्टर रोल में एन्ट्री जरूर कर दें कि कभी भी जांच में न बैठें। यह जो घाटा हो रहा है और जनता के साथ अन्याय हो रहा है तो इसको भी आप देखें।

श्री रघुनाथ सिंह वर्मा (जिला मैनपुरी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आप ने इस अनुदान पर बोलने के लिए समय दिया। मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं सिंचाई एवं विद्युत् मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, हमारे प्रदेश में सिंचाई का बहुत महत्व है। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और ८०—८२ प्रतिशत पापूलेशन देहात में रहती है और उनका खास धंधा खेती है। खेती और सिंचाई का घनिष्ठ सम्बन्ध है। ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं।

(श्री उमादत्त शर्मा के फ्लोर क्रास करने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य श्री उमा दत्त शर्मा को इस प्रकार फ्लोर क्रास करके नहीं आना चाहिये।

श्री रघुनाथ सिंह वर्मा—

श्रीमन्, हमारे प्रदेश में सिंचाई के ५ साधन हैं—नहरें, ट्यूबवैल, कुएं, तालाब तथा नदी। हमारे प्रदेश में पानी की बहुत बड़ी कमी है जिसके कारण अधिक अन्न नहीं उपजाया जा सकता है। बरसात में नदियां पानी से भरी रहती हैं। यदि सिंचाई मंत्री इस पानी का सदुपयोग

करें तो काफी मात्रा में सिंचाई हो सकती है। इससे प्रदेश की भी भलाई होगी और देश की भी भलाई होगी। उस पानी को इस्तेमाल करने से हमारी खाद्य समस्या भी सुलझ सकेगी।

आज कल हमारे यहां हाई ईलिडंग वेराइटीज खेती के काम में आ रही हैं। इन वैराइटीज के लिए पानी की बहुत आवश्यकता होती है। हमारे जो नल कूप हैं वे उतना पानी नहीं दे पाते हैं जितनी कि आवश्यकता है। यह नितान्त आवश्यक है कि पानी के अधिक से अधिक साधन उपलब्ध कराए जाएं। इस संबंध में सबसे मुख्य चीज यह है कि पानी समय पर मिलना चाहिए ताकि उपज अधिक हो सके। मेरा सुझाव है कि सिंचाई विभाग और कृषि विभाग एक ही मन्त्री के अधीन होने चाहिए जिससे कि दोनों विभागों की जिम्मेदारी एक ही जगह केन्द्रित हो सके। हमें खाद, बीज तो समय पर मिल जाते हैं, परन्तु पानी नहीं मिल पाता है। पानी न मिलने के कारण किसान का जीवन बड़ा कष्टमय हो जाता है और साथ ही उसे कर्जा लेना पड़ता है। यदि किसान को इस कष्ट से बचाना है तो इन दोनों विभागों को एक कर दिया जाए। ऐसा करने से प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी।

तहसील जसराना जिला मैनपुरी में दो नहरें हैं—एक लोअर गंजेज और दूसरी अपर गंजेज। इस लोअर गंजेज की दो शाखायें हैं—एक इटावा और दूसरी भोगनीपुर। मैं चाहता हूं कि शाखा भोगनीपुर में मदीपुर गांव में एक ठोकर बनवा दी जाए ताकि उस इलाके के लोगों को आसानी हो सके। श्रीमन्, नहरों के सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहता हूं। नहरों के किनारे जो सड़कें हैं वे चौड़ी नहीं हैं। उन्हें चौड़ा और पक्का कर दिया जाए तथा यातायात के लिए खोल दिया जाये। जिससे यातायात की समस्या सुलझ सके। नहरों के किनारे पेड़ लगाये जाते हैं। इन पेड़ों से रास्ता और रुक जाता है और आना-जाना मुश्किल हो जाता है। यदि यातायात के लिए सड़कें चौड़ी हो जाएंगी तो जमीन भी बच जाएगी। इटावा ब्रांच पर ग्राम देवली पर सेंगर नदी तथा आरोंज पर सिरसा नदी की पुराने जमाने की यानी ब्रिटिश शासन काल की साइफन्स बनी हुयी है। इन साइफन्स में बरसात में पानी रुक जाता है और पानी लोगों के घरों में भर जाता है। ये साइफन्स बहुत तंग हैं। इसलिए मेरा सिंचाई मन्त्री जी से निवेदन है कि इन को चौड़ा करवाएं। १९६७ में फ्लड कमेटी की एक मीटिंग हुयी थी। उस मीटिंग में भी हमने यह प्रस्ताव रखा था, परन्तु आज तक उस पर कोई कार्य नहीं हुआ है। हर साल वहां के लोगों की फसल नष्ट हो जाती है। विशेष तौर से खरीफ की फसल तो बिल्कुल ही बर्बाद हो जाती है।

माइनर इर्रीगेशन स्कीम बहुत ही उपयोगी स्कीम है और मेरी प्रार्थना है कि इसकी ओर विशेष ध्यान दिया जाए। सरकार को इस स्कीम में अधिक से अधिक पैसा खर्च करना चाहिए। बहुत बड़े-बड़े बांध बनाये जाते हैं। परन्तु उनसे उतना रिटर्न नहीं मिलता है जितना कि मिलना चाहिये। हमें आजाद हुए २० साल हो गए हैं, परन्तु जो योजनाएं हमें चलानी चाहिए थीं, वे नहीं चलायी गयीं और उनकी जगह पर बड़े-बड़े बांध बनाए गए, जो कि हर साल टूटते जा रहे हैं। क्या बताएं, कहीं कुछ होता है और कहीं कुछ होता है। नानक सागर बांध टूट गया। जिन लोगों की गलती से बांध टूटते हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलना चहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री रघुनाथ सिंह वर्मा—

श्रीमन्, दो मिनट और दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—

कोई नई चीज हो तो कह दीजिये।

श्री रघुनाथ सिंह वर्मा—

श्रीमन्, मुझे राजकीय नलकूपों के बारे में कहना है। राजकीय नलकूप नो प्राफिट नो लास बेसिस पर चल रहे हैं लेकिन इनसे वास्तव में सरकार को लास होता है। मैं पिछली बार पी० ए० सी० में था तो उसमें सिंचाई विभाग के दो-तीन ट्यूबवेल्स का जिक्र आया था। एक जगह मीलों नालियां बना दी गईं लेकिन पानी नहीं मिला और वह पैसा बेकार हो गया। तो पहले से ऐसे प्लान न बनाये जायं कि पानी न निकले और ट्यूबवल सफल होने पर ही नालियां बनाई जावें।

प्राइवेट ट्यूबवेल्स के बारे में ४ फर्लांग तक कनेक्शंस लाइन फ्री है लेकिन कनेक्शन देने का अधिकार जिलाधीश को दे दिया गया है जहां पर कि बहुत भ्रष्टाचार है। इस कारण किसानों की दरख्वास्तें ६ महीने और एक साल तक पड़ी रहती हैं। तो मेरा निवेदन है कि ट्यूबवेल की जो दरख्वास्तें आवें उनको पंडित जी यहीं स्वीकृत कर दिया करें जिससे किसान अपना ट्यूबवेल शीघ्रातिशीघ्र लगा सकें। बिजली के बारे में ऐसा है कि नवम्बर और दिसम्बर में जब रबी की फसल भरने का समय होता है ८, ८ और १०, १० दिन तक बिजली गायब रहती है। इससे फसल चौपट हो जाती है। तो फसल के भरने के दिनों में निश्चित रूप से बिजली का प्रबन्ध कराया जाय। पिछली जून में मेरे क्षेत्र में जब शंकर मक्का आदि बोने का समय था तो बिजली नहीं आई और वह नहीं बोई जा सकी। इसका कारण राजकीय नलकूपों के आपरेटरों का रिश्वत लेना है। वह पहले दो रुपया जब अपनी जेब में रख लेते हैं तब पानी देते हैं। अपने यहां के इंजीनियर मुरारी लाल गुप्ता के बारे में मुझे बड़ी शिकायत है। मैं तीन चार बार गया लेकिन मुलाकात भी नहीं हो सकी। उन्होंने मिस्त्री के चुनाव में अपने यहां के चपरासी का चुनाव कर लिया लेकिन एक ट्यूबवेल आपरेटर का जिसके पास वायरमैन का सर्टीफ़िकेट भी था सिलेक्शन नहीं किया। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ़ सरकार को सख्त से सख्त कार्यवाही करना चाहिए।

श्री मुस्तफ़ा कामिल किदवाई (जिला बाराबंकी)—

श्रीमन्, कल मैंने अपने मंत्री जी की स्पीच बहुत गौर से सुनी। इस स्पीच में डिगनिटी भी थी, जहानत भी थी, हमदर्दी भी थी और बोल भी अच्छे थे। उस स्पीच को सुनने के बाद दिल में यह खयाल आया कि जो कुछ उन्होंने कहा है उसपर यकीन कर लूं, मगर एक शक सा ने आता है। पहला तो यह है कि यह जो वादे इस स्पीच में इर्रीगेशन मिनिस्टर ने किए हैं वह नए वादे नहीं हैं। हर साल गुजिश्ता २२ साल से कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने बजट पेश किये और हर बजट में यही वायदा किया कि हम ज्यादा से ज्यादा काश्तकारों की बहबूदी, उनकी बेहतरी, और फ़ायदे के वास्ते अपने काम को चलायेंगे, मगर हालत यह है कि बहुत से लोगों का ख्याल है कि सिंचाई का महकमा और नहरें ब्रिटिश रूल के जमाने में जब कम भी थीं तब काश्तकारों के वास्ते ज्यादा फ़ायदेमन्द होती थीं बनिस्बत अब के। दूसरी चीज जो मेरे दिमाग में आती है वह यह है कि यह बजट पेश करने वाले हमारे त्रिपाठी जी हैं। वह बनारस के रहने वाले हैं, ब्राह्मण हैं और यह चीज तो जानते ही हैं कि दूसरे की जेब से पैसा कितनी आसानी से निकाल लिया जाय। यह मुमकिन है कि बजट पास करा लें और हमसे तमाम वायदे कर लें और उसके बाद साल के आखीर में जिस वक्त हम इनके पास जायं तो यह कहें कि हमारे चरण छू लो या हम तुमको आर्शीवाद देते हैं और आइन्दा साल इन्तजाम कर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य को ऐसा नहीं कहना चाहिये। कोई जाति-पांति या चरण छूने की बात नहीं कहनी चाहिये। यह अनुचित है।

श्री मुस्तफ़ा कामिल किदवाई--

मैं तब भी यकीन करता हूं चूंकि त्रिपाठी जी ने कहा है उस पर बहुत कुछ अमल होगा। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि इर्रीगेशन महकमे के बहुत से अहलकारान और खासतौर से लोअर ग्रेड स्टाफ़ बहुत ज्यादा डिस्सैटिस्फ़ाइड है और उस डिस्सैटिस्फ़ैक्शन के बहुत से वजूहात हैं। सन् ४७ में जिस वक्त हिन्दुस्तान को आजादी मिली और कांग्रेस के हाथ में हुकूमत आयी उस वक्त इर्रीगेशन और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में लोअर स्टाफ़ की सैलरी बिलकुल एक थी। सन् ४७ में पे कमीशन मुकर्रर हुआ और उन्होंने भी यही तय किया कि ट्यूबवैल आपरेटर, पतरौल और अमीन की वही सैलरी होनी चाहिये जो पटवारी, कानूनगो और नायब तहसील-दार की होती है। सन् ४७ के बाद फ़िर ५४ में लेखपाल मुकर्रर किये गये और लेखपालों को वही काम दिया गया जो पटवारियों का था लेकिन लेखपाल को सैलरी ज्यादा दी गई। उस पर अमीनों, ट्यूबवैल आपरेटर्स और पतरोलों ने रिप्रेजेन्टेशन किया। आपसे कहा गया कि हमारी भी सैलरी वही होनी चाहिये जो आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में देते हैं। उस पर कोई गौर नहीं किया गया। सन् ६६ में फ़िर एक रेशनेलाइजेशन कमीशन मुकर्रर किया गया और उसका मतलब यह था कि एक ही तनख्वाह पाने वाले एक ही काबलियत के लोगों की सैलरी एक ही होनी चाहिये। उम्मीद यह की जाती थी कि रेशनेलाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट के बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट और इर्रीगेशन डिपाटमेंट में लोअर स्टाफ़ की सैलरीज एक हो जायेगी। मगर वह नहीं हुआ। एक तरफ़ रेशनेलाइजेशन कमीशन न रेवेन्यू डिपार्टमेंट की सैलरीज को और बढ़ाया और दूसरी तरफ़ इन बेचारे पतरौल, ट्यूबवैल आपरेटर और अमीनों का स्टेटस और गिरा दिया। अब नतीजा यह है कि ट्यूबवैल्स आपरेटर्स, अमीन्स, पतरौल वगैरह जिनकी इल्मी तालीम वही होती है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोगों की होती है, मगर इनकी सैलरी बहुत कम होती है। इनके मुत्तल्लिक मंत्री जी के सामने एक रिप्रेजेन्टेशन भी है और मुझे उम्मीद है कि वे उस पर गौर करेंगे। यह जरूर है कि जब ऐसे फ़ाइनेन्सेज एक सूबे के हों जो आजकल यू० पी० के हैं तो उसमें पे राइज करने के सवाल तकलीफ़ दे होते हैं, वह सवाल जरूर तक-लीफ़देह होता है और खासकर मंत्री साहबान को गुस्सा भी बहुत आ जाता है। लेकिन मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि यह सवाल इन्हान्समेंट आफ़ सैलरी का नहीं है, यह सवाल रेश-नलाइजेन का है। इसलिये मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस पर गौर करें। एस० वी० डी० के फ़ाइनेंस मिनिस्टर साहब भी इस नतीजे पर पहुंचे थे कि इर्रीगेशन विभाग के लोअर स्टाफ़ की सैलरी बढ़नी चाहिये। वह रेवेन्यू डिपार्टमेंट के स्टाफ़ के बराबर होनी चाहिये। इर्रीगेशन मिनिस्टर साहब इस पर फ़िर से गौर करें अगर उनको इस सिलसिले में कुछ और समझने के लिये मेरी जरूरत हो तो मैं उसके लिये हर वक्त हाजिर हूं।

अब दो चार अल्फ़ाज मुझे इर्रीगेशन के मामले में कहने हैं। मैंने १७ वर्ष बाहर रहने के बाद भी जब यहां के इर्रीगेशन डिपार्टमेंट के वाटर सप्लाई की हालत देखी तो मुझे उसमें पहले से कोई बेहतर हालत नजर नहीं आई। जिस मौजे में मैं रहता हूं, वहां पर उसी नाम से एक कैनाल है, लेकिन मैंने देखा कि दो साल से वहां पानी ही नहीं है। पानी अगर आता भी है तो वक्त से नहीं आता है। आपसे दरख्वास्त है कि आप कम से कम इतनी कोशिश तो करें कि काश्तकारों को वक्त से पानी मिल जाया करे।

दूसरी बात मुझे यह कहना है कि नहरों के किनारे जो सड़कें हैं वह बहुत खराब हालत में हैं। यह एक तो पोचिंग के कारण भी है और दूसरे इसका कारण यह भी होता है कि किसी जगह पर पहुंचने के लिये उस नहर रोड के अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं होता है। इस सवाल पर आपको गौर करना चाहिये कि किस तरह पोचिंग को रोका जाय। आपको पी० डब्लू० डी० से कोआर्डिनेट करके कोई ऐसी चीज निकालना चाहिये जिससे इस

[श्री मुस्तफा कामिल किदवाई]

पोंचिंग को रोका जा सके। नहर के किनारे सड़कों को आप पक्की करा दें और अगर ऐसी फ़ैसीलिटी दे दें कि जिससे हर आदमी आ जा सके तो उससे आपका काफ़ी पैसा भी बचेगा और लोगों को आराम भी पहुंचेगा।

हमारे इर्रीगेशन मिनिस्टर साहब ने और बहुत से ट्यूबवैल्स लगवाने का इरादा किया है बहुत अच्छा खयाल है। हमारी गुड विशेज उनके साथ हैं। मगर उनको इसका खयाल रखना है कि ट्यूबवैल्ल के जरिये से काश्तकारों का एक्सप्लाइटेशन भी हो रहा है। इसका भी इन्तजाम होना चाहिये कि ट्यूबवैल्स का पानी उसी कीमत पर काश्तकार को मिले जिस पर नहरों का पानी मिलता है। अक्सर लोगों ने तिजारत बना दी है। ट्यूबवैल लगा दिये और काश्तकारों से ज्यादा से ज्यादा पैसा वसूल करते हैं। (लाल बत्ती होने पर) मैं एक मिनट और चाहता हूं।

इर्रीगेशन मिनिस्टर साहब ने कहा कि एक कमीशन अप्वाइन्ट करेंगे। यह भी बहुत अच्छा ख्याल है और मुझे उम्मीद है कि उस इर्रीगेशन कमीशन और इर्रीगेशन बोर्ड जो अप्वाइन्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा से ज्यादा फ़ायदा होगा। अगर यह इर्रीगेशन कमीशन और इर्रीगेशन बोर्ड सिर्फ़ लखनऊ में आकर मिल जाता है और उसी तरीके से जिस तरीके से हम विधान सभा में स्पीचेज देते हैं, अगर उसी तरह से स्पीचेज देनी है तो फ़ायदा नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि जो कमीशन में होंगे या जो इर्रीगेशन बोर्ड में होंगे, मंत्री जी इसकी भी कोशिश करेंगे कि उनको ज्यादा से ज्यादा फ़ैसिलीटीज हों। वे खुद अपनी आंखों से नहरों को देखें और अपने मौजूं मशविरा दे सकें। मैं आपका मशकूर हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री बच्चा पाठक (जिला बलिया)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने सिंचाई के अनुदान पर हमको कुछ कहने का अवसर प्रदान किया। साथ ही साथ माननीय उप मुख्य मंत्री जी ने जो सिंचाई का अनुदान सदन में पेश किया है उसके लिये मैं उनका हार्दिक अभिनन्दन करता हूं। आज जब कि हमारे प्रदेश के अधिकांश हिस्से में जहां किसान रहते हैं उन किसानों की उन्नति के लिये हमारे प्रदेश में नहरों, नलकूपों आदि का प्रबन्ध किया गया है। इससे कुछ वर्ष पहले देखा जाता था कि उन स्थानों में जहां जंगल और पहाड़ थे, उन्हीं स्थानों में हमारी सरकार ने नहरों का और बिजली का ऐसा प्रबन्ध कर दिया जिससे यह मालूम होने लगा कि हमारे यहां भी विकास का कार्य हो रहा है। साथ ही साथ मैं अपने जिले की जो परिस्थितियां हैं उनके विषय में थोड़ा सा अवगत करा देना चाहता हूं। हमारा जिला उत्तर प्रदेश के बिलकुल पूर्वी छोर में है। घाघरा और गंगा इन दो नदियों के बीच में बसा हुआ है। दोनों नदियों के बीच में बसने के कारण यह देखा जाता है कि प्रत्येक साल जब बाढ़ का अवसर आता है तो हमारा जिला इन बाढ़ की समस्याओं से प्रभावित हो जाता है और प्रत्येक जगह जान, माल और खेती का नुकसान होता है। अभी जब कि सन् ५२ से सन् ५७ तक हमारे उप मुख्य मंत्री जी सिंचाई मंत्री थे उस समय हमारे जिले में इन दोनों नदियों के किनारे पर एक श्रीनगर-तुर्तीपार और बलिया बैरिया बांध का निर्माण हुआ परन्तु अभाग्य की बात है कि श्रीनगर-तुर्तीपार बांध चान्दपुर के पास से कट गया है। उसके बचाने के लिये एक रिंग बांध बनाया गया। परन्तु हमारा यह सुझाव है कि उस नदी और रिंग बांध के बीच में जो गांव पड़ते हैं उनकी यह स्थिति है कि जब बाढ़ का अवसर आता है तो उन गांवों में मवेशियों को, मनुष्यों को रहने का कोई स्थान नहीं मिलता है। हमारा यह सुझाव है कि इन स्थानों में रहने वाले लोगों के लिये वहां के गांवों को ऊंचा किया जाय। यह स्कीम पहले चली थी परन्तु बाद में यह स्कीम बन्द कर दी गई। हमारा यह सुझाव है कि जो नदी और रिंग बांध के बीच में गांव

हैं उनको बचाने के लिये गांवों को ऊंचा किया जाय। दूसरे, हमारा यह सुझाव है कि हम प्रत्येक वर्ष दोनों नदियों की कटानों से पीड़ित होते हैं तो सरकार ने जिस लिफ्ट योजना को आजकल चालू किया है अगर हमारी सरकार की तरफ़ से इन नदियों की एक लिफ्ट योजना चालू की जाय तो नदियों के कटाव से जो हानि होती है उससे भी बहुत लाभ हो सकता है और पानी भी खेती के लिये मिल सकता है। चान्दपुर के पास अगर घाघरा नदी से एक लिफ्ट योजना चालू की जाय तो उससे आस-पास के लोगों को लाभ पहुंच सकता है। गंगा नदी से भी लिफ्ट योजना चालू की जा सकती है। हमारे यहां कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहां पर नहरें हैं जैसे सुरहा ताल नहर से एक पंप नहर है और उसकी कई शाखायें हैं लेकिन उसमें ऐसी खराबी है कि सहतवार माइनर जो ५ मील की है उसकी ३ मील की अन्तिम टेल तक पानी नहीं पहुंचता। आसपास के लोगों को इससे बहुत कष्ट है। आपका नियम है कि नहर के कमाण्ड एरिया में कि राजकीय नलकूप या निजी नलकूप नहीं लग सकते, वहां पर नहरों के स्थान पर अगर राजकीय नलकूप लगायें तो वहां सिंचाई हो सकती है। हमारे क्षेत्र में एक मौजा कोड़र है जहां पर मुड़ियारी दह पानी से भरा रहता है। इस ताल से दो वर्ष पहले एक लिफ्ट योजना बनाई गई थी और २ मील नहर भी बनी थी लेकिन यकायक उसका काम बन्द कर दिया गया था, मेरा सुझाव है कि उस योजना को पुनः जल्द से जल्द चालू किया जाय जिससे कुड़र और आसपास की गांव सभाओं के क्षेत्र में पानी का प्रबन्ध हो सके।

इसके अतिरिक्त हमारे क्षेत्र में बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां पर बरसात का पानी जमा हो जाता है और उसके जरिये से २ तरह की हानि वहां के लोगों की होती है। एक तो उनकी खरीफ़ की फ़सल खराब हो जाती है और दूसरे रबी की बुआई ही नहीं हो पाती। अगर इन तालाबों के पानी की ड्रेनेज द्वारा निकासी का प्रबन्ध कर दिया जाय तो वहां दो लाभ होंगे। अगर उस जमीन का पानी निकल जायेगा तो खरीफ़ भी बच सकेगी और रबी की बुवाई भी उस क्षेत्र में हो सकेगी। उस पानी से आस पास की सिंचाई भी हो सकेगी। हमारे यहां मौजा खानपुर में सपहा ताल है, हरनहा ताल है और हुमरिया में कोठी ताल है, कोलनारा ताल है इस रेवती के पास के क्षेत्र में अगर पानी की निकासी की योजना हो जाय तो हजारों एकड़ फ़सल की बुआई समय से हो सकती है।

इसके अलावा हमारे यहां बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं कि जहां अभी तक बिजली की व्यवस्था नहीं है। मिसाल के तौर पर दो साल में जिन स्थानों पर बिजली पहुंची है वहां के किसान राजकीय नलकूप न होने पर भी निजी नलकूप बना कर अपनी सिंचाई का प्रबन्ध किये हैं। इस तरह से वहां की पैदावार बढ़ेगी। मैं चाहता हूं कि उस क्षेत्र में जहां बिजली नहीं पहुंची है जैसे मुनछपरा, छेरडीह, हुसेनाबाद, चांदपुर, बिसैली, खरौनी का क्षेत्र है जहां की भूमि बहुत उपजाऊ है लेकिन पानी का प्रबन्ध नहीं है। अगर वहां बिजली पहुंचा दी जाय तो नलकूप लग सकते हैं। साथ ही हमारा आपसे आग्रह है कि जिस समय पटेल आयोग बना था उस समय उसमें बलिया को नहीं जोड़ा गया और जब उसको लिया गया तो यह योजना वहां बन्द कर दी गई। मेरा सुझाव है कि उस क्षेत्र के विकास के लिये पूर्वी जिलों का अलग से एक विकास बोर्ड बनाया जाय जिसके द्वारा वहां की समस्यायें सुलझाने के लिये सब चीजें पूरी की जायं।

श्री कन्हैया लाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस सिंचाई के अनुदान के संबंध में बोलने का अवसर दिया।

मैं माननीय उप मुख्य मंत्री जी का ध्यान अपने प्रयागराज की ओर ले जाना चाहता हूं जिसको तीरथ राज कहा जाता है। सारी दुनिया के अन्दर प्रयाग ही, श्रीमन्,एक ऐसा स्थान

[श्री कन्हैया लाल सोनकर]

है जिसको तीरथ राज कहा जाता है और जहां पर हिन्दू जाति के सभी मत मतान्तर को मानने वाले लोग स्नान करने जाते हैं। उसकी दयनीय स्थिति की ओर माननीय सिंचाई मंत्री जी ध्यान देने की कृपा करें।

इलाहाबाद नगर के अन्दर गंगा और यमुना के बीच में एक दोआबा क्षेत्र है जिसके अन्दर ३ तहसीलें चायल, सिराथू और मंझनपुर हैं। इसी क्षेत्र से प्रान्त और देश को राजनीतिक व्यक्ति प्राप्त होते रहे हैं और एक संगठन, जो देश के अन्दर कांग्रेस के नाम का बना हुआ है, वह मजबूत होता रहा है। आज २३ वर्ष इस कांग्रेस शासन काल को हो गये हैं लेकिन आज तक भी वर्तमान सरकार द्वारा न तो सिंचाई का प्रबन्ध किया गया है और न ही बिजली पहुंचाई गई है। वहां पर गरीब जो कि अधिकतर पिछड़ी जाति के लोग हैं और हरिजन रहते हैं। इसका यह प्रमाण भी है कि जब से देश आजाद हुआ है उस समय से आज तक लोक सभा की सीट सुरक्षित रही है इसलिये उसको मैं हरिजनों का क्षेत्र कहता हूं। मेरी प्रार्थना है कि वहां के निवासियों की ओर माननीय सिंचाई मंत्री जी ध्यान देकर बिजली पहुंचाने की कृपा करें और अधिक से अधिक ट्यूबवैल लगवाने की कृपा करें। संविद की सरकार ने चायल क्षेत्र में १० महीने के शासन काल में ७ ट्यूबवैल दिये। मौजूदा सरकार ने उन ७ ट्यूबवैलों को उन स्थानों पर फ़िट कर दिया जहां पर बड़े-बड़े व्यक्तियों की जमीनें हैं और जिनके पास काफ़ी तादाद में खेत हैं। क्यों इन्हीं महानुभावों की जमीनों के पास ये ट्यूबवैल लगाये गये हैं? मेरे क्षेत्र में एक चरवा स्थान है। उसके अन्दर २ ट्यूबवैल लगाये गये हैं। चरवा में एक ही व्यक्ति है जिसके पास ३३ १ २ एकड़ जमीन है और दोनों ट्यूबवैल उन्हीं के खेत के पास लगे हुए हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि इनमें से एक गोहाती कलां में लगा दिया जाय, जहां पर हरिजन लोग हैं और जहां पर कुंवा भी नहीं है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वहां एक नया लगवा देंगे।

श्री कन्हैया लाल सोनकर—

७ ट्यूबवैल में ६ की जगह निश्चित हो चुकी है। एक ट्यूबवैल तो इनाम में माननीय मंत्री जी ने दे दिया। वह जो सातवां बचा हुआ है उसे भगवानपुर में लगाने की आज्ञा प्रदान करें क्योंकि अभी तक ७वें ट्यूबवैल का कोई स्थान निश्चित नहीं हुआ। यह भी मुझे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया था। तो ७वां ट्यूबवैल भगवानपुर गांव में चाइल तहसील के अन्तर्गत लगाने की कृपा की जाय क्योंकि वहां हरिजन बाहुल्य क्षेत्र है। यह गांधी शताब्दी वर्ष चल रहा है लिहाजा हरिजन बाहुल्य क्षेत्रों में अधिक से अधिक ट्यूबवैल बतौर इनाम के संस्वीकृत कर दिये जायं तो बड़ी कृपा होगी। ७ ट्यूबवैल जो लग रहे हैं वे बड़े-बड़े लोगों के दरवाजों पर लग रहे हैं। मैंने पिछली बार भी माननीय मुख्य मंत्री ने निवेदन किया था द्वाबा क्षेत्र में ससुर खदेरी नदी बड़े जोरों से उफ़नाती और समुद्र भी उसके मुकाबले कुछ नहीं होता लेकिन जब गर्मी आ जाती है तो वह सूख जाती है। मैं सिंचाई मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उस नदी पर १०,१० फ़ीट ऊंचे बांध स्थान-स्थान पर बंधवा दिये जायं तो समय-समय पर जो आवाज उठती है कि इलाहाबाद के द्वाबा क्षेत्र में सूखा पड़ गया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि वह हराभरा हो जायगा। मध्य प्रदेश में मैंने देखा कि जो बरसाती नदियां हैं उन पर मध्य प्रदेश सरकार ने स्थान-स्थान पर बांध बंधवा रखे हैं। उससे दो फ़ायदे होते हैं। एक तो पानी उनमें रुक जाता है। बांध की दीवार चौड़ी होती है लिहाजा उस दीवार से आवागमन भी होता है और गांव से गांव भी जुड़ जाते हैं। माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इस संबंध में भी वह सर्वे करवा लें। प्रयागराज में क्योंकि कुम्भ मेले पर वह भी वहां स्नान करने जाते हैं तो उनकी बड़ी कृपा होगी।

मंत्री महोदय से मेरा यह भी निवेदन है कि वह बिजली वहां पहुंचायें तो कुटीर उद्योग भी वहां खुल जायेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार का गोबर्धन ड्रेन के संबंध में राजस्थान तथा हरियाणा सरकार से यह समझौता हुआ था कि उसकी मरम्मत का सारा खर्चा ये दोनों सरकारें देंगी तो सिंचाई मंत्री जी बतलायेंगे कि अभी तक उसकी मरम्मत का पैसा क्यों नहीं लिया गया है। इसका भी वह प्रबन्ध करें।

लिफ्ट योजना जो संविद सरकार के जनसंघी मंत्री ने चालू की थी उसकी व्यवस्था भी मंत्री महोदय वहां उदारतापूर्वक करायें क्योंकि नहरें फेल हो रही हैं। वे उस समय पानी देती हैं जब भगवान पानी देता है जब कि जरूरत पानी की गर्मी के मौसम में होती है। संविद के शासन काल में १०० नलकूप सैंक्शन किये गये थे लेकिन उनकी संख्या कम कर दी गयी है। प्रयागराज के लिये वही १०० नलकूप बरकरार रक्खे जायं।

संविद सरकार के समय एक योजना चली थी "एक सप्ताह" जिसमें पूरे प्रान्त भर की गूलों की मरम्मत की योजना थी और उसके अन्तर्गत पूरे प्रान्त भर की गूलों की मरम्मत की गयी। फ़िर से उस कार्यक्रम को शुरू किया जाय।

प्रतापगढ़ में एक गांव है बजहा भीट, परगना मानिकपुर में वहां हरिजनों की बस्ती है। उधर ध्यान देकर ज्यादा ट्यूबवैल लगाने की कृपा की जाय। एक झील है डाही तहसील कायल जिला इलाहाबाद में। हजारों बीघा जमीन की इस झील से सिंचाई की जा सकती है बशर्ते एक बांध उस पर बंधवा दिया जाय। मेरे इन सुझावों पर मंत्री महोदय ध्यान देंगे। अभी मेरी नई उम्र है, मंत्री महोदय, मेरे सुझावों पर नाराज नहीं होंगे। श्रीमन्, मंत्री महोदय अपने फ़ाम का दौरा बहुत करते हैं। अब उनकी उम्र अधिक दौरा करने की नहीं रह गयी है। इसलिये वह बैठकर प्रदेश की गरीब जनता के हित के लिये ट्यूबवैलों का निर्माण करायें, लिफ्ट योजना को उदारतापूर्वक चालू करावें और प्रयागराज को कुछ देने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सुल्तान सिंह (जिला आगरा)---

श्रीमन्, सिंचाई की समस्या हर विधायक के क्षेत्र में है और बोलने का समय बहुत थोड़ा दिया गया है। इसलिये या तो कल का टाइम बढ़ा दिया जाय या जो विधायक न बोल सकें वह लिखित सुझाव माननीय मंत्री महोदय को दे दें। सन् १९६४ में भी ऐसा हुआ था।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय सदस्य ने जो अभी सुझाव रखा, अगर ५ मिनट में आप लोग अपनी बात कह सकें इस पर आप राजी हों तो जितने नाम हमारे पास आये हैं.....

श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)---

व्यवस्था का प्रश्न।

(कई सदस्य एक साथ बोलने लगे।)

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)---

चूंकि सभी सदस्य बोलना चाहते हैं इसलिये ५ ही मिनट दे दीजिये तो अच्छा रहेगा।

श्री सजीवन लाल---

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री रामशिरोमणि । कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है जिसमें आप व्यवस्था की बात कहें ।

श्री सजीवन लाल—

व्यवस्था की बात यह है कि आपने पिछले दिन यह बात कही थी कि मेरे पास कोई सिफारिश या पर्चा न लायें । फ़िर आप यह लिस्ट से ही क्यों नाम पुकारते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपकी सूचना के लिये निवेदन कर दूं कि मेरे पास कांग्रेस दल के सात सदस्य यहां आये, उनका नाम मैंने काट दिया । मेरे पास बी० के० डी० के मेरे मित्र चौधरी रघुराज सिंह तशरीफ़ लाये इसलिये उन पर मेरी नजर नहीं गयी । तो जो-जो मेरे पास आया उसको मैंने समय नहीं दिया ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मेरे एक मित्र सुझाव दे रहे थे कि अगर बोलने का समय न मिले तो लिख कर हम को दे दें । तो यह तो बड़ी अच्छी बात होगी और बड़ी कृपा होगी उनकी । अभी हमारे सोनकर जी बोल रहे थे । बड़ी लम्बी चौड़ी लिस्ट उन्होंने दी । अगर वह मुझे लिखा हुआ दे देंगे तो मैं अपनी शक्ति भर कुछ करने की चेष्टा करूंगा । ऐसे ही जो लोग न बोल पायें अगर वे लिखा हुआ दे देंगे तो मैं यथाशक्ति उस पर कार्यवाही करने की चेष्टा करूंगा ।

चौधरी रघुराज सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

आपने मेरा नाम काट दिया है या समय देंगे ?

श्री पाध्यक्ष—

मैंने जो कहा कि मेरी नजर आप पर नहीं गयी । वैसे आपने मुझसे नहीं कहा इसलिये वह विचाराधीन है ।

(व्यवधान)

श्री सजीवन लाल—

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री मुंशी लाल चमार (जिला मैनपुरी)—

आपने मुझे कभी समय नहीं दिया । मैं एक पार्टी का नेता हूं और रोज खड़ा होता हूं मगर फ़िर भी आपने मुझे कभी समय नहीं दिया ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप नेता हैं पार्टी के तो आपको जानना चाहिये कि व्यवस्था का प्रश्न किसी ने उठाया है तो बीच में नहीं उठना चाहिये ।

श्री मुंशी लाल चमार—

मैं एक पार्टी का नेता हूं । आपने मुझे एक मिनट का भी समय नहीं दिया ।

श्री उपाध्यक्ष—

एक व्यक्ति को मैंने व्यवस्था का प्रश्न पेश करने की अनुमति दी है । तो आप बैठ जायं । आपको यह जानना चाहिये ।

श्री सजीवन लाल--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि अपने-अपने सुझावों को लिख कर भेज दें तो क्या वे कार्यवाही में सम्मिलित कर लिये जायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

हर माननीय सदस्य को बोलने की इच्छा होना स्वाभाविक है। माननीय मंत्री जी ने आप लोगों की भावनाओं को देखते हुये यह कहा कि आप लिख कर भेज सकते हैं, उन पर वे विचार कर लेंगे। वसे भी माननीय सदस्य कोई बहुमूल्य सुझाव किसी भी माननीय मंत्री को देंगे तो वह उस पर अवश्य विचार करेंगे। अब माननीय मंत्री जी ने क्योंकि आश्वासन दे दिया है, वे तो अवश्य ही उस पर कार्यवाही करेंगे, लेकिन वह सदन की कार्यवाही का भाग नहीं हो सकता। उन्होंने वह सुझाव मुझे से पूछ कर नहीं दिया, अपनी तरफ़ से दिया है। इसलिये मैं समझता हूं वे उस पर जरूर ध्यान देंगे।

श्री राम शिरोमणि (जिला जौनपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं। माननीय सिंचाई मंत्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है, उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं। मैं माननीय पंडित जी का ध्यान अपने जिला जौनपुर की ओर दिलाना चाहता हूं। जौनपुर में पिछले ४-५ साल से बराबर सूखा पड़ रहा है। वहां पर अभी तक सिंचाई की कोई समुचित व्यवस्था नहीं हो पायी। माननीय पंडित जी उस जिले के चप्पे-चप्पे से परिचित हैं और उस जिले को मानते भी हैं इसलिये विशेष रूप से उनसे मैं आग्रह करूंगा कि हमारे क्षेत्र गढ़वारा में जब से मुल्क आजाद हुआ है, एक भी ट्यूबवैल नहीं लगा है तथा नहरों की शाखाओं के भी वह छोर पर है, इसलिये कभी भी समय से पानी नहीं पहुंच पाता है। बिजली भी उस क्षेत्र में नहीं है। मैंने पंडित जी से पहले भी आग्रह किया है और आज भी कर रहा हूं कि सुजानगंज से बिलवार तक बिजली की लाइन खिंचवा दी जाय जिस से वहां के लोग स्वयं अपने सिंचाई के साधन बना लें। इसके अतिरिक्त जहां-जहां नहरों से ठीक पानी नहीं पहुंच पाता है वहां पर मंत्री जी ट्यूबवैल देने की कृपा करें। ट्यूबवैल इंजीनियर ने मुझे बताया कि ट्यूबवैल्स वहीं लगाये जाते हैं जहां से बिजली की लाइन ज्यादा दूर न ले जानी पड़े। हमारे क्षेत्र में तो बिजली की लाइन ही नहीं है फ़िर वह क्षेत्र जो पिछले २३ साल से पिछड़ा हुआ है और पचासों साल पिछड़ जायगा, अगर इस प्रकार के कानून का पालन किया जायगा। और हमारे जिले में न तो बिजली ही पहुंच सकेगी और न ट्यूबवैल ही लग सकेंगे। यदि इस ढंग का कोई नियम है तो उसे खत्म कर देना चाहिये और जहां बिजली नहीं पहुंची है, ट्यूबवैल नहीं पहुंचे हैं, वहां उसे पहुंचाना चाहिये, तभी हमारी क्षेत्रीय समानता पैदा हो सकेगी। सिकरौरा और प्रतापगढ़ भी हमारे क्षेत्र से मिले हुये हैं, उसे मैं भली प्रकार जानता हूं। जहां पर इस प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। यदि ऐसी कोई चीज है तो उसे तोड़ना चाहिये।

मैं नहरों के संबंध में कहना चाहता हूं। जहां नहर टूट जाती है, चाहे वह पानी की अधिकता से टूटे या अन्य किसी कारण से टूटे, तो भी उस सारे गांवों की जनता से लगान वसूल जाता है जहां तक उसका उसकी पानी पहुंचने की सीमा थी, जब कि आगे फ़िर लोगों को पानी नहीं मिल पाता है। इसके साथ-साथ जुर्माना भी वसूला जाता है। मेरे क्षेत्र में बाहरपुर में रात में नहर टूट गई और गांव वालों ने स्वयं उसे बांधा, किन्तु फ़िर भी पांच गांव वालों पर जुर्माना किया गया है ऐसा कहकर कि उन्हीं लोगों ने नहर तोड़ी है। मैंने पंडित जी से निवेदन

[श्री राम शिरो णि]

किया, उन्होंने उसे स्टे किया । वहां एक इंक्वायरी भी की गई थी, हर गांव के लोगों ने कहा कि हमने स्वयं बांधा, लेकिन यह जुर्माना हमसे वसूला जा रहा है। यदि अपने आप कोई नहर कहीं से टूट गई है तो गांव वालों से यह जुर्माना न वसूला जाये। यदि यह नियम है तो उसे भी हटा दिया जाये । हमारे यहां एक करैलाताल है उससे नाली निकाल कर कुछ लोग सिंचाई करते हैं, लेकिन अब करैलाताल तबाह हो रहा है, इसलिये वहां पर रेगुलेटर लगा दिया जाये ।

श्री बैजनाथ (जिला वाराणसी)---

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, उसे आप सुन लीजिये । सवेरे से मैं यहां पर बैठा हूं, पार्टी की तरफ से मेरा नाम भी पहुंचा है । मैं बार-बार कोशिश कर रहा हूं कि आपकी निगाह मेरे ऊपर पड़ जाये, लेकिन आप समय नहीं दे रहे हैं। मैं ऐसे क्षेत्र से चुना गया हूं जो ६ वर्ष से लगातार तबाह हो रहा है। मेरा विनम्र निवेदन है कि मुझे दो मिनट का समय दे दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष---

आपको मौका इसलिये नहीं मिला कि आपने यहां पर आने का यत्न किया, नहीं तो आपको मौका मिल गया होता । फिर मैं बार-बार कहता हूं जो मेरे पास यहां पर सिफारिश करने आता है या सदन के बाहर भी जरूरत से ज्यादा कोशिश, सिफारिश करता है तो उनके संबंध में मैं सारी बातें भुलाकर यहां पर सदन के कर्तव्य की दृष्टि से जो भाव जगता है, उसके अनुसार मैं करता हूं ।

श्री बैजनाथ (जिला वाराणसी)---

एक निवेदन और है, उसे आप सुन लें, मैं आप से यह कहने के लिये नहीं गया था । मैं आपके पास इसलिये गया था कि चूंकि मेरा नाम पार्टी की ओर से गया था और मैं यह जानना चाहता था कि मेरा कौन-सा नम्बर है, जिस समय आप मुझे समय देने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष---

अब मैं यह बातें कुछ नहीं सुनना चाहता। आप बैठें । रामस्वरूप जी आप बोलें।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस विषय पर विचार प्रकट करने का मुझे मौका दिया। मुझे खेद है कि इस समय माननीय सिंचाई मंत्री सदन में नहीं हैं, रहते तो अच्छा रहता। सभी सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र की बातें कहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि सारे प्रदेश की समस्याओं पर भी कुछ प्रकाश पड़े। सारे प्रदेश की जो समस्यायें हैं उनको भी यहां रखा जाये। सबसे पहले मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि इस विभाग की ढिलाई का सबसे बड़ा सबूत यह है कि लगातार मैंने सन् ६० में बहुत जोर से कहा था और सिंचाई मंत्री ने आश्वासन दिया था कि सिंचाई विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट हर दूसरे साल प्रकाशित हो जायेगी। लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि सन् ६४-६५ की रिपोर्ट अभी प्रकाशित हुई है, जो विधान सभा पुस्तकालय में मौजूद है। अब वर्ष १९६९-७० का बजट आया है लेकिन ६४-६५ के बाद की कोई रिपोर्ट अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। तो कैसे हम ठीक से अपने विचार प्रकट कर सकें यह प्रशासनिक बजट उनकी सबसे प्रमाणिक पुस्तक हुआ करती है जिसके आधार पर माननीय सदस्यों को जानकारी हुआ करती है । तो पहली ढिलाई यह है कि सिंचाई मंत्री जी समय पर वह रिपोर्ट नहीं निकलवा सके बावजूद आश्वासन के ।

दूसरी बात यह है कि सिंचाई मंत्री ने बहुत से आश्वासन दिये और अपने भाषण में, अनुदान के, उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं जिससे कुछ लोगों को शायद संतोष हुआ होगा कि प्रदेश में कुछ हुआ है। परन्तु वास्तविकता यह नहीं है। हमें पूरे २० साल के शासन काल के जो आंकड़े उपलब्ध हैं, उन पर हमें विहंगम दृष्टि डालनी पड़ेगी। तो हम देखेंगे कि अंग्रेजी राज्य में १८५३–५४ में १ लाख ३५ हजार ३८८ एकड़ जमीन की सिंचाई हुई। १९४६–४७ में ५९ लाख ७१ हजार ६३९ एकड़ जमीन की सिंचाई हुई यानी ४४ गुना ९३ वर्ष में सिंचाई बढ़ी। १९६७–६८ के आंकड़े उपलब्ध हैं। १९६७–६८ में अंग्रेजी शासन काल को मिलाकर १ करोड़ ५४ हजार एकड़ जमीन की सिंचाई हुई। इसका मतलब यह है कि १.७ गुना वृद्धि अंग्रेजी राज्य के बाद २० वर्षों में की है, अंग्रेजी काल में जोड़ा जाय तो साढे नौ गुना तरक्की औसतन २० वर्ष में उनके काल में हुई। दूसरी तरफ देखें, १९४६–४७ में २६ हजार ८२ मील नहरों की नालियां थीं और १९६४–६५ में ५० हजार ९२९ मील नहरों की नालियां थीं यानी लगभग दूनी हो गयीं और सिंचाई का क्षेत्रफल १.७ गुना बढ़ा नालियां ज्यादा बना दी गयीं और पानी उसके लिये उपलब्ध नहीं है यह उनके प्रशासन की रिपोर्ट से साफ जाहिर होता है। एक बहुत ही सस्ती जनप्रियता प्राप्त करने के लिये, कहीं से कोई मांग हुयी, या दबाव पड़ा या वोट प्राप्त करने हुये तो कोई न कोई माइनर या नालियां बना देते हैं। लेकिन पानी का प्रबन्ध हुआ नहीं है जिसका नतीजा यह है कि १.७ गुना सिंचाई का क्षेत्र बढ़ा और दो गुना नालियां बढ़ीं। उसका परिणाम यह हुआ कि १९४६–४७ में सोख्ता जमीन १५ हजार ३२१ एकड़ थी और १९६३–६४ में, जिसके आंकड़े उपलब्ध हैं, ७४ हजार ७१८ एकड़ सोख्ता जमीन हो गयी। सोख्ता जमीन वह है जिसमें एक दफा पानी चला गया और उसके बाद पानी के अभाव में वह सूख जाती है। पांच गुना जमीन सोख्ता हो गयी। ऐसी योजना जिसका कोई मंसूबा न हो। इस से पता नहीं चल सकता, यह नक्शे वाली बातें जो माननीय सिंचाई मंत्री ने बतायीं उस से किसी प्रकार का मंसूबा जाहिर नहीं होता है, जैसे कोई लक्ष्यहीन गाड़ी का हंकवाहा चला जा रहा है, जिसे पता नहीं कि वह कहां जा रहा है, न हांकने का कोई लक्ष्य है न गंतव्य का पता है। इसी प्रकार सिंचाई मंत्री चले जा रहे हैं। जो कुछ विभाग वाले बना कर दे देते हैं वही चलने लगता है। इस से प्रदेश का हित होने वाला नहीं है।

(लाल बत्ती होने पर)

अध्यक्ष महोदय कह गये थे कि १५ मिनट मिलेंगे, आपने सात ही मिनट दिये ?

श्री उपाध्यक्ष—

उस समय १०–१५ मिनट की बात सब के लिये थी।

श्री रामस्वरूप वर्मा—

अगर पांच मिनट दे दें तो मैं उस हिसाब से कहूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप तो चतुर वक्ता हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा—

अच्छी बात है। तो अब यह है कि मैं संक्षेप में दो-तीन बातें कह दूं। एक तो यह है कि इन्होंने प्रदेश भर का सर्वे नहीं करवाया कि कहां सिंचाई पंपिंग कैनाल से होनी है, कहां नहरों से होगी है, कहां पर ट्यूबवैलों से होगी है और तालाबों से सिंचाई कहां होनी है। जब तक यह सर्वेक्षण नहीं होता है तब तक यह पक्षपात दूर नहीं होगा कि किसी सत्तारूढ़ दल के विधायक

[श्री राम स्वरूप वर्मा]

के क्षेत्र में ट्यूबवैल बन गया और कोई इलाका विरोधी पक्ष के विधायक का होने से बिलकुल खाली रह गया। मान्यवर, हमारे यहां एक अमरहट पम्प कैनाल योजना है। जमुना के क्षेत्र में यह सबसे पहले सबसे बड़ी योजना है जहां से अधिक पानी उपलब्ध हो सकता है। मैं इस संबंध में लगातार लिखता रहा हूं लेकिन विभाग कहता है कि खर्चा बरदास्त करो तो वह बन जायगी। जब उस पर किसान राजी हुये तो अब कहते हैं कि नहीं बनेंगी, दूसरी योजना में काम शुरू किया जायगा। तो श्रीमन् वह गन्तव्य विहीन है। मुझ से कांग्रेसी लोगों ने कहा यह बड़ी योजना है इसलिये नहीं लेना चाहिये क्योंकि यह आपके क्षेत्र में है, इसलिये इसके बनने पर आप चुनाव जीत ले जाओगे। तो मान्यवर, मैं मंत्री जी को आश्वासन देना चाहता हूं कि अमरहट पम्प-कैनाल योजना हमारे यहां लागू कर दें तो मैं फिर उस क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ूंगा। काम कुछ करो। आप काम करना नहीं चाहते हो। आपकी कोई योजना नहीं है, कोई गति नहीं है, कोई दिशा नहीं है।

श्रीमन्, एक बात और कहना चाहता हूं। इस विभाग में भ्रष्टाचार की यह हालत है कि वह कभी खत्म नहीं हो सकता है। इस विभाग के एक इंजीनियर साहब हैं, अब वह सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर हैं। अदालत से उनके खिलाफ फैसला हुआ। मेरठ के जुडिशियल आफिसर द्वारा उनके खिलाफ स्ट्रिक्चर पास हुआ और उनकी तरक्की कर दी गई, कनफर्म करके उनको सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर बना दिया गया है। मान्यवर, इस इंजीनियर के खिलाफ जे० ओ० ने लिखा है—

"Sri Pandit is an Executive Engineer and the Store-Keeper cannot dare disobeying his oral orders. It was, therefore, that he gave injectors to the Executive Engineer without demanding the written orders. As regards the return of injectors, the prosecution has not added any evidence to prove that the injectors were actually returned to the store-keeper. Sri Pandit himself admitted that he did not remember to whom he returned the injectors. Sri Pandit did not act in a responsible manner. It was his duty to have returned the injectors to the store-keeper from whom he had taken them. Such costly articles should not have been handled so lightly."

अन्त में लिखा है—

"From that above, I find that everything is normal in the Hastinapur Power House. A sorry state of affairs is in the existence and there appears to be inadequate control. It is, therefore, that such costly articles are removed for ulterior motives and the culprits are not locked."

तो मान्यवर, देखें कि इतना बड़ा स्ट्रिक्चर पास हुआ उस इंजीनियर के खिलाफ और उसको तरक्की दे दी गई। जिस डिपार्टमेंट में इतना भारी भ्रष्टाचार हो, जिनके अधिकारी के खिलाफ अदालत से फैसला हो गया कि इसका अल्टीरियर मोटिव है चोरी करने का—चार चार हजार के इंजेक्टर चले गये और यह कैसे हो सकता है कि उसको तरक्की दे दी जाये। मान्यवर, यह अवस्था है जिसकी वजह से विभाग की तरक्की असंभव है। कोई विश्वास नहीं किया जा सकता है जब तक कि माननीय सिंचाई मंत्री जी इस संबंध में उचित कार्यवाही करने का आश्वासन नहीं देते।

श्री अभिमन्यु प्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में बहुत महत्वपूर्ण अनुदान पर चर्चा चल रही है। हमारे प्रदेश की मौलिक आवश्यकता कृषि उत्पादन में वृद्धि की है। श्रीमन्, हमारे प्रदेश के किसानों का संबंध इस विभाग से बहुत बढ़ा है, और अब भी है और हमेशा बढ़ा करता है।

श्रीमन्, किसान चातक की तरह से इस विभाग की ओर दृष्टि लगाये रहता है और हमेशा इन्द्र भगवान की तरह इस विभाग के अधिकारियों की पूजा किया करता है कि ये प्रसन्न हो जायें जिससे उसके क्षेत्र में दो एक नल कूप या नहर बन जाय। श्रीमन्, यहां पर स्थिति यह है कि आज किसान प्रकृति के हाथों का खिलौना है, वह एक कठपुतली बन गया है। हमारे प्रदेश की दशा तब तक नहीं सुधरेगी जब तक प्रकृति के हाथों से किसान को निकाला न जाय और अपने हाथों में वह न आ जाये। श्रीमन्, मैं आप को एक बात बतलाना चाहता हूं। अगर किसान को उसकी आवश्यकता के अनुसार पानी दिया जाय तो हमारे प्रदेश की जो खाद्य समस्या है उसका समाधान हो जाये। हमारे प्रदेश में इतना गल्ला पैदा हो जाय कि हम जो दूसरों की तरफ हाथ फैलाते हैं, भीख मांगते हैं, यह हमेशा के लिये बन्द हो जाये। श्रीमन्, मैं आपका ध्यान कांग्रेस के २० साल के शासन की ओर ले जाना चाहता हूं। हमारे विरोधी पक्ष के लोगों ने कहा कि बहुत ही कुठाराघात कांग्रेस शासन ने अपने शासन काल में किया है और इन बीस सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मैं उनको बताना चाहता हूं कि बीस सालों में कांग्रेस सरकार ने क्या किया। संविद सरकार के आने से तीन-चार साल पहले के दौरान कांग्रेस की सरकार ने १५ करोड़ रुपये भूमि विकास बैंकों के जरिये से छोटे-छोटे ऋणों के रूप में किसानों में वितरित किया गया है। किसानों को पंपिंग सैट सेट्स खरीदने के लिये, ट्यूबवेल्स लगाने के लिये ऋण दिये गये, सब्सीडी दी गयी जिसके फलस्वरूप हमारे प्रदेश की पैदावार बढ़ी, किसानों के घरों में आशा के दीप जले और उनके गांवों में कोठियां बनाना प्रारम्भ हो गयीं लेकिन हमारे प्रदेश के दुर्भाग्य से हमारे प्रदेश में संविद जैसी अनिष्टकारी सरकार आयी और जो आशा का दीप कांग्रेस न जलाया थी वह बुझ गया। मैं इसके लिये उदाहरण देना चाहता हूं। मैं बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील में उस्का बाजार से आया हूं। मैं उस्का बाजार का प्रमुख था। मैं जानता हूं कि जो कांग्रेस सरकार वाली उदार नीति है उसके कारण हमारे ब्लाक में बीसों पंम्पिग सेट्स लगाये गये, ट्यूबवेल्स लगाये गये लेकिन संविद सरकार के चरणों के पहुंचते ही एक साल में उस्का बाजार में उन्नति क्या वह एक हैंड पाइप नहीं लगा सकी।

दूसरी बात मैं इनकी समाजवादी नीति के बारे में बता देना चाहता हूं किये बहुत ढिंढोरा पीटते हैं कि इन्होंने बहुत काम किया है लेकिन उन्होंने क्या काम अपनाये हैं। मैं बताऊं इनके आने के साथ उन्होंने क्या किया? एक कानून बनाया कि जो काश्तकार २० रुपये प्रति एकड़ ऐडवान्स देगा उसको २४ हजार गैलन पानी दिया जायगा लेकिन जो काश्तकार एडवांस नहीं देगा उसको सिर्फ १२ हजार गैलन पानी ही दिया जायगा और वह तब दिया जायगा जब पहले वाला किसान अपने खेत सींच चुका हो। हमारी कांग्रेस सरकार ऐडवान्स किसानों को देती थी और मेरी संविद सरकार किसानों से ऐडवांस लेती है। कांग्रेस की सरकार हमेशा किसानों को उनकी पैदावार का उचित मूल्य दिया करती थी। अगर बाजार में १६० रु० गल्ला फी क्विन्टल है तो कांग्रेस की सरकार १६२ रु० हमेशा उनको प्रदान किया करती है लेकिन मैं जानना चाहता हूं संविद के कर्णधारों से कि जब उन्होंने लेवी लगायी थी तो गल्ला किस भाव से वसूल किय था? उस समय कितना पैसा किसानों को दिया गया। हमारे यहां देहातों में एक कहावत कही जाती है "धमधूसर राजा, टका सेर भाजी टका सेर खाजा" चाहे गेहूं बोया हो चाहे न बोया हो लेकिन वसूल उनसे गेहूं किया गया और पैसा भी कितना दिया आपने। श्रीमन्, उस समय मारकेट रेट गेहूं का था १६० रुपये क्विटल लेकिन किसानों से ८० रुपये में खरीदा गया। और १०० रुपये क्विटल के हिसाब से उनको ही बेंचा गया। इतना मुनाफा तो हमारे टाटा और डालमिया भी नहीं करते।

श्री उपाध्यक्ष—

अब समय बहुत कम है, जो सिंचाई का विषय है उस पर कहिये।

श्री अभिमन्यु प्रसाद पांडेय—

मैं उसी विषय पर आ रहा हूं। हमारे यहां ४ मील के अर्द्धव्यास में ७ नदियां बहती हैं, थोड़ी-सी वर्षा होती है तो बाढ़ आ जाती है। पहले जब हमारे उप मुख्य मंत्री जी सिंचाई मंत्री थे तब एक योजना वहां के लिये बनी थी लेकिन बाढ़ के उग्ररूप को देखते हुये वह सब योजनायें नगण्य हैं। मैं उप मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह कूड़ा नदी के किनारे जो बांध है उसको अधिक आगे बढ़ाया जाय। इसके अलावा जो बानगंगा कैनाल बनायी गयी है वह गरमी में सूख जाती है और उसमें गरमी में पानी नहीं रहता।

मैं आपके द्वारा उप मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं कि उस वजह सागर से हजारों एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती है। बाढ़ की वजह से उसका तल ऊंचा हो गया है उसको अगर गहरा कर दिया जाय तो उसमें पानी इकट्ठा हो सकता है जिससे सिंचाई का काम किया जा सकता है।

(श्री सजीवन लाल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री बैजनाथ (जिला वाराणसी)—

मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि बी० के० डी० के विधायकों में कितने लोगों ने इस डिबेट में हिस्सा लिया है?

श्री उपाध्यक्ष—

आपको बता दिया जायगा।

श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

मेरा व्यवस्था का यह प्रश्न यह है, जैसा मुझे ज्ञात है कि जब कोई नया सदस्य आपसे प्रार्थना करता है तो आप उसको प्रायोरिटी देते हैं। मैंने आप से प्रार्थना की थी तो उस पर आपने क्या विचार किया?

श्री उपाध्यक्ष—

आपने प्रार्थना की होगी। उसके ऊपर समयानुसार विचार होगा।

श्री बैजनाथ (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, मैं केवल आपसे दो मिनट चाहता हूं। मुझे सारे सूबे के विषय में नहीं कहना है। मैं अधिक समय नहीं चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि आपकी सूचना मेरे पास थी। उसमें आपका नाम था। आप मेरे पास आयें तो वह बात रह गई।

श्री बैजनाथ (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, मैं अध्यापक हूं। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करूंगा कि आपके पास महज इसलिये गया था कि यह जान जाऊं कि मेरे दल के कितने लोग बोल चुके हैं और मेरा नम्बर कब आने वाला है। अगर ऐसी गलती हो गई तो उसका खयाल न करें। मैं केवल दो मिनट चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जायं। आप सदन का समय नष्ट कर रहे हैं। इस तरह से मैं समय नहीं दूंगा।

श्री सजीवन लाल--

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपना कटमोशन दिया था और सुझाव भी दिये थे। उसके अनुसार मैं यह बतलाना चाहता हूं कि पतरौल, जिलेदार और ओवरसियरों की वजह से जनता को नुकसान पहुंच रहा है। कारण यह है कि हमारे यहां एक रजबहा रतवतिया है जिसमें कोई कट नहीं हुआ मगर किसानों के ऊपर मुकदमा चला दिया गया। किसानों के ऊपर तावान लगा दिया जिसके संबंध में कई बार मंत्री जी तथा अधिकारियों से लिखा-पढ़ी की गई परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिस तारीख को वह कट बताया जाता है उस तारीख को नहर भी नहीं आयी थी। इसलिये फर्जी मुकदमा किसानों के ऊपर चलाया जा रहा है। मंत्री जी से निवेदन है कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाय, पहली पंचवर्षीय योजना में सरकार की तरफ से एक नारा निकला था "खेत-खेत में पानी और घर घर में बिजली"। तो पहली पंचवर्षीय योजना और इस योजना के बीच में १५ साल बीत चुके लेकिन यह पता लगाया जाय और देखा जाय कि क्या घर-घर में बिजली और खेत-खेत में पानी पहुंच गया या नहीं। मैं कहता हूं कि जो नारा दिया गया था वह सही नहीं रहा और उस नारे के आधार पर यहां अब तक जितना होना चाहिये था, वह कतई नहीं हो पाया। दूसरा निवेदन यह है कि इस समय पहले के ही जमाने के आधार पर, अंग्रेजों के वक्त में जो कानून थे, उन्हीं के आधार पर काम चलाया जा रहा है। नहरों के कानून और कायदे उसी वक्त के चल रहे हैं। कोठी जिस गांव में है, जहां निरीक्षण भवन बने हुये हैं, उस गांव के नाम पर वह कोठी नहीं है बल्कि दूसरे गांव के नाम पर है। किसानों पर मुकदमें चलते हैं, चाहे वे माल विभाग के हों, या नहर विभाग के हों। किसान जब उस कोठी पर पहुंचता है तो पता लगता है कि वह गांव कोठी से ४ मील दूर है और तीन-तीन गांवों की भूमि को पार करके वह स्थान किसान को मिलता है और उसी बीच में उसका मुकदमा खारिज हो जाता है। इस तरह से यह किसान के ऊपर अन्याय और अत्याचार होता है। इसलिये कोठियों के नाम बदले जायं। जिस गांव की भूमि में निरीक्षण भवन बना हुआ हो उस गांव के आधार पर उन कोठियों के नाम रखे जायं।

पतरौलों की नियुक्तियां जो हुई हैं, उस संबंध में मुझे यह कहना है कि इस बीच जोतों के रकबे बहुत बढ़ गये हैं और पतरौलों का काम भी बढ़ गया है इसलिये उनकी चौकियां बढ़ायी जायं और जिस हिसाब से रकबा बढ़ा है उसी के आधार पर उनको काम दिये जायं, चौकियों पर पतरौलों की नियुक्ति की जाय जिस से काम में कमी न आने पावे।

अब मुझे फसली कुलाबों के संबंध में कुछ निवेदन करना है। इस साल धान की पैदावार कम हो जायेगी। क्यों कम होगी? १५ जून तक फसली कुलाबों की लिस्ट ओवरसियर के पास कोठी में पहुंच जानी चाहिये थी लेकिन इस वर्ष वह लिस्ट अब पहुंच रही है। किसान नर्सरी में अपनी पेड़ी लगाने के लिये तैयार नहीं कर सके जिस से धान नहीं बो सके, कुलाबा न मिलने की वजह से किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है और इसकी जिम्मेदारी नहर विभाग के ऊपर होनी चाहिये।

नहरों की सफाई भी नहीं होती है। नहरों की कट होती है और दोष किसानों के ऊपर होता है। यह कहा जाता है कि नहर काट दी जाती है, नहर काटी बहुत कम जाती है। नहरें खुद कटती हैं और वह इस वजह से कटती है कि नहरों के अन्दर सिल्ट पड़ जाती है और पानी ऊपर को उठ जाता है, उसकी वजह से नहरों के किनारे को धक्का देकर नहरें कट जाती हैं। उसका नतीजा यह है कि उसका तावान किसानों पर लगता है और दोषी किसान ठहराये जाते हैं। ऐसी नहरों की सफाई होना बहुत जरूरी है। इसकी जांच-पड़ताल होनी चाहिये। नहरों की सफाई बहुत कम होती है। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि रजबहा, हसनगंज और ग्योतिनी

[श्री सजीवन लाल]

की सफाई होती ही नहीं है। अगर सफाई होती है तो बहुत अधूरी है जिसकी वजह से सिंचाई अधूरी रह जाती है। इसलिये इन नहरों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाय।

मुझे यह भी कहना है कि जो कोठियां इस समय बनी हुई है उनसे कोई काम नहीं लिया जाता है। जरूरत इस बात की है कि वहां जाकर अधिकारी ठहरें, महीने में एक बार जरूर जायं और उन कोठियों के क्षेत्र का मुआयना करें। हमने यह देखा है कि अधिकारी उन कोठियों पर नहीं जाते हैं जिसकी वजह से काम अधूरा रह जाता है। इस दिशा में उन कोठियों को स्कूलों में परिवर्तन किया जाय, या अस्पताल बनाये जायं या सीड स्टोर्स बनाये जायं लेकिन इन कोठियों को इस तरह से बेकार खाली न रखा जाय।

दूसरी बात यह है कि नहरों की जो सड़कें हैं उन पर चलने की किसानों को सुविधा दी जाय जिससे उनकी गाड़ियां भी उन पर चलें, और उनके घोड़े और उनकी साइकिलें भी उन पर चल सकें जिस से किसान आसानी से अपने सामान को मंडियों तक पहुंचा सके। अंग्रेजों के जमाने के कानून आज भी लागू हैं उन पर और कोई नहीं चल सकता सिवाय उन आफिसरों के। इसलिये उन सर्विस रोड्स को खोल देना चाहिये जिस से किसान भी उनके ऊपर चल सकें।

मुझे दो-तीन बातें और निवेदन करनी हैं। इस समय हरे चारे पर जो सरकार का महसूल है उसे खतम कर दिया जाय। इस समय गोबर को लोग ज्यादातर जलाने के काम में ले आते हैं चूंकि ईंधन की कमी है। अगर हरी खाद के लिये यह सुविधा दे दी जाय कि किसान भी उसे मंजूर करेगा तो खेती की पैदावार बढ़ेगी इसलिये इन चीजों को चारे के और हरी खाद के ऊपर से सिंचाई का महसूल हटा देना चाहिये। ड्रेनों की सफाई नहीं हो पाती। ड्रेनें इसलिये खुदवाई गई थीं कि उनसे पैदावार बढ़ जायेगी और आज तक सफाई नहीं हुई। निर्माण कार्य जितने हुए हैं वे सब अधूरे रहे हैं कोई मजबूत नहीं हुआ। इनकी जांच की जाय, कमीशन बनाया जाय और अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी जायं जिससे सही-सही काम हो सके। और यह जो शिकायत है कि सिंचाई के महसूल बढ़ते जा रहे हैं तो महसूल कम किये जायं। यही सरकार किसी जमाने में कह रही थी कि गंगा हमारी, जमुना हमारी, अंग्रेज पानी बेच रहे हैं और वहीं गंगा-जमुना रहीं लेकिन पानी का भाव बढ़ता जा रहा है। इसको देखते हुए जरूरी है कि सिंचाई महसूल कम किया जाय यही निवेदन है।

*श्री मुमताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई पर प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मान्यवर, आज जब कि कृषि की उन्नति की ओर सबका ध्यान है, एग्रीकल्चर के फील्ड में रेवोल्यूशन हो रहा है, क्रांति आ रही है तो सिंचाई की बहुत अहमियत है, वह लाइफ ब्लड है एग्रीकल्चर का। तो जितना भी सिंचाई की ओर ध्यान दिया जाय वह कम है। मुझको यह खुशी है कि हमारे उपमुख्य मंत्री जी ने जिनके पास यह विभाग है, इसको आगे बढ़ाने में और सिंचाई सुविधाओं को ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध करने में कोई कमी नहीं रखी है। यह बजट, जैसा कि उधर से शर्मा जी ने कहा था कि नियोजित नहीं है, यह गलत है। यह बहुत ही नियोजित ढंग से पेश किया गया है और इसमें जितनी बड़ी, दरमियानी और छोटी योजनायें हैं उन सभी का पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। चाहे पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो या दक्खिन, उत्तर प्रदेश में सभी अंचलों का ध्यान है और जहां कि सिंचाई की सुविधा नहीं है वहां उपलब्ध करने का राजकीय या निजी—पूरे तरीके से प्रयास किया गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, जहां तक कि नहरों का ताल्लुक है, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि नहरों के जरिये से सिंचाई बहुत सस्ते ढंग से होती है और किसानों को बहुत सस्ता पानी मिलता है बनिस्बत दूसरी सुविधाओं के। तो ऐसी सूरत में नहर जितनी ही अच्छी तरह से चलें अच्छा है, लेकिन किसान महसूस करता है कि वक्त पर जब आवश्यकता होती है तो नहरों से पानी उपलब्ध नहीं होता। कुछ तो ऐसा है कि सूखा पड़ जाती है या नदियों में पानी कम होता है, लेकिन हमारे जो अभियन्ता हैं उनका भी किया हुआ होता है कि सही समय से नहरों या माइनर्स में पानी नहीं पहुंचाते हैं और रेगुलेशन सही तौर से नहीं होता। एक बात जो वबा के रूप में सारे प्रदेश में फैलती जा रही है उसका रोकना बहुत ही जरूरी है। नहरों को काटकर आबपाशी करने की जो प्रथा बढ़ती चली जा रही है इसको रोकना चाहिये। लोग यह करते हैं कि नहर काटकर अपना खेत सींच लेते हैं और आगे के गांव के लोग पानी नहीं पाते हैं। सरकार को इसके लिये सख्त से सख्त सजा देनी चाहिये। इस समय इसके लिये जो तावान है वह बहुत कम है। इसको बढ़ाकर कई गुना कर दिया जाना चाहिये।

(लाल बत्ती होने पर)

आपने, मान्यवर, अभी से लाल बत्ती कर दी। मुझे बोलना बहुत है। बिजली के सिलसिले में मुझे यह कहना है कि बुलन्दशहर के जिन गांवों में विद्युतीकरण हुआ है वहां हरिजनों की आबादी को छोड़ दिया गया है या उनकी आबादी में बहुत कम किया गया है। इससे हरिजनों में बड़े असंतोष की भावना है। सरकार को इसे दूर करना चाहिये। नलकूपों की बुलन्द-शहर में होड़ लगी है। इस समय ३,००० ऐसी दरख्वास्तें हैं जो स्वीकृत हो चुकी हैं या स्वीकार हो जायेंगी लेकिन वहां ज्यादा से ज्यादा रुपया भेजा जाना चाहिये ताकि किसानों में जो यह होड़ है वह धीमी न होने पावें और वहां जो हरी क्रांति की भावना है उसको सहयोग मिले। अध्यक्ष महोदय, ट्रांसफार्मर की कीमत एक हजार रुपया कम हो गई है लेकिन किसानों से जो रकम पहले ली जाती थी वही अब भी ली जाती है। अब उनसे एक हजार रुपया कम लिया जाना चाहिये। श्रीमन्, अब मैं नीम नदी के मुताल्लिक कहना चाहूंगा। यह बरसाती नहीं है। बरसात में यह बड़ी भयानक हो जाती है और हजारों एकड़ भूमि कई गांवों की इसमें डूब जाती है और फसल बरबाद हो जाती है। वह नदी मेरे क्षेत्र में होकर भी गुजरती है। उसके लिये एक पुरानी योजना है लेकिन वह पूरी नहीं हो पाई। मैं प्रार्थना करूंगा और आशा करता हूं कि इस ओर उपमुख्य मंत्री जी ध्यान देने की कृपा करेंगे और उस नदी को और गहरी और चौड़ा करने की जो योजना है उसको जल्द से जल्द पूरी कराने की कृपा करेंगे जिससे वहां के लोगों को राहत मिल सके।

श्री सुखलाल पांडेय (जिला बस्ती)—

महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है? इस हफ्ते में हमारी पार्टी की तरफ से किसी ने कोई विचार व्यक्त नहीं किया और कल भी आपने मुझे बोलने नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

कल का कोई मामला आज नहीं उठाना चाहिए। आपने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया वह ठीक नहीं है। आपको बोलने को न मिला हो लेकिन आपकी पार्टी को तो शायद २०० सैकड़ा टाइम मिला है अन्य पार्टियों के मुकाबिले में।

*श्री बैजनाथ (जिला वाराणसी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत आभारी हूं कि आपने सिंचाई के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। दो ही मिनट आपने दिये हैं, काफी है। मुझे उससे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बैजनाथ (आरतगढ़ी)]

ज्यादा चाहिये भी नहीं। यह कटौती का प्रस्ताव है, मैं इस सिंचाई के अनुदान पर कटौती तो नहीं चाहता क्योंकि इसका किसानों से सीधा संबंध है। किसानों के लिये जितना भी रुपया माननीय सिंचाई मंत्री जी लेना चाहें ले सकते हैं लेकिन एक निवेदन जरूर है कि माननीय पंडित जी इस मामले पर अपने कर्मचारियों के ऊपर सख्त निगाह रखें जिससे कि इस रुपये का दुरुपयोग न होने पाये और उससे विकास काम आगे बढ़े।

आपके माध्यम से वाराणसी जिले के धानापुर क्षेत्र की ओर पंडित जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। पंडित जी का सारा जीवन उसी क्षेत्र में बीता और उस धरती के चप्पे-चप्पे से वे परिचित हैं। एक इंच भी जमीन नहीं है जिस पर उनका पैर न पड़ा हो। २२ वर्ष कांग्रेस राज्य के बीत गये लेकिन उधर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं यह निवेदन करूंगा कि उस इलाके में कोई साधन नहीं है सिंचाई का, बिजली का और एक भी सरकारी ट्यूबवैल नहीं बना है। न ही वहां नहर की कोई व्यवस्था हो पायी है। वहां टेल पर कभी पानी पहुंचता ही नहीं है। मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उधर शीघ्र ही ध्यान दें, बिजली व पानी की व्यवस्था करें। एक बात और है कि भूपौली की जो सिंचाई योजना बनाई है तो उसका इतना अधिक रेट हो गया है कि उस इलाके का किसान उस रेट को देने में असमर्थ है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप समाप्त करें। बाकी आप मंत्री जी को लिख कर दे दें।

चौधरी रघुराज सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल मैंने सिंचाई मंत्री जी के सुन्दर भाषण, म्युजिकल वायस और शीरीं जबानी को बड़े गौर से सुना। उन्होंने बहुत सी बातें ट्यूबवैलों के बारे में कहीं सिंचाई की स्कीम किस तरह से बढ़ाई जायेगी और उसकी पूरी शक्ल क्या होगी? उन्होंने नहर और पंपिंग कैनाल्स का भी जिक्र किया और ग्रीन रेवोल्यूशन की तसवीर को हमारे सामने इस सुन्दर तरीके से रक्खा कि मालूम होता था कि यह जल-चिकित्सा किसानों की सारी बीमारियों को तुरन्त दूर कर देगी। लेकिन जब दूसरी तरफ मेरा ध्यान गया और फिगर्स को देखा तो यह याद आया--

'हमने माना कि तुम्हें हुस्न खुदा देता है
पर उस पे नजाकत कौन सिखा देता है।'

मैंने स्टैटिस्टीकल डायरी, १९६९ से कुछ फीगर्स निकाले हैं जिन्हें मैं आपके सामने पेश करता हूं। इर्रीगेशन के संबंध में जो फिगर्स मैं पिलान पीरिएड के पेश करता हूं वे ये हैं। १९५०-५१ ३८.४ प्रतिशत सिंचाई कैनाल्स से होती थी और १९६६-६७ में वह ३८.३ प्रतिशत रह गई। इसके माने ये हुए कि-.१ प्रतिशत की कमी हो गई। १९५०-५१ में ट्यूब वैल्स से सिंचाई ३९.६ परसेंट होती थी और १९६६-६७ में ३४.६ रह गई, यानी .५ परसेंट इसमें भी कमी हो गई। १९५०-५१ में तालाब वगैरह हसे सिंचाई १६.२ परसेंट होती थी और १९६६-६७ में ५.५ परसेंट रह गई--माइनस १०.७ परसेंट की कमी हुई। अलबत्ता यह बात जरूर है कि ट्यूबवैल्स के जरिये सिंचाई में इजाफा हुआ है। १९५०-५१ में ५.८ प्रतिशत थी और अब १९६६-६७ में १७.९ प्रतिशत हो गई है, यानी+१२.१ परसेंट का इजाफा हुआ।

मैंने जो ऊपर फिगर्स दिये हैं उनके अनुसार माइनस की फिगर्स इस तरह हैं। -.१, -.५ और -१०.७ परसेंट। इनका टोटल -१५.८ परसेंट माइनस हुआ। ट्यूबवैल्स में इजाफा हुआ +१२.१ परसेंट। तो हिसाब लगाकर -३.७ परसेंट माइनस की फिगर्स आती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि १९५०-५१ में जितना इर्रीगेशन पोशियल था वह १९६६-६७ में घटकर माइनस ३.७ परसेंट रह गया। हमारा कुल

रकबा ४.१४ करोड़ एकड़ है जिसमें ३.३७ का हिसाब फैलाया जाए तो अब १९६६-६७ में १५ लाख एकड़ जमीन में कम आबपाशी होती है। कहा यह जाता है कि आबपाशी का रकबा बढ़ गया है। यह गलत है रकबा बढ़ा नहीं बल्कि आबपाशी का रकबा घटा है। ये फिगर्स इस स्टैटिस्टिकल डायरी, १९६९ में दी हुई हैं और इसके सफे ६७ पर देखने से मालूम हो जायेगा कि आबपाशी का रकबा घटा है। मैं इस संबंध में यह जिक्र करना जरूरी समझता हूं कि जो नई जमीन काश्त में आई है उसका इस हिसाब में ख्याल नहीं रखा गया है। अगर नई काश्त में आयी हुई जमीन को आबपाशी की फिगर्स से कम्पेयर किया जाय तो स्पष्ट हो जायगा कि रकबा आबपाशी घटा है, बढ़ा हर्गिज नहीं है। चूंकि मेरे पास समय कम है, इसलिये मैं सिंचाई मंत्री जी से कहूंगा कि वे इस हिसाब की ओर अपना ध्यान दें। हमारे यहां इर्रीगेटेड एरिया ३० परसेंट है और अनइरीगेटेड एरिया ७० परसेंट है। अगर प्रति वर्ष हम ५ परसेंट का भी इजाफा अपनी आबपाशी में करते तो यह पूरी कमी १४ साल में खत्म हो सकती थी। यह अब भी हो सकता है। मुझे अफसोस है कि बजाय आगे बढ़ने के हम पीछे हट रहे हैं।

वक्त की कमी की वजह से मैं इन थोड़ी सी ही बातों को आपके सामने रख पाया। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हाइडिल डिपार्टमेंट में बहुत ही करप्शन है और इसकी वजह से काश्तकार इन्तहाई परेशान हैं। अव्वल तो जब किसान बिजली की मंजूरी लेने जाते हैं तो बड़ी दिक्कतें पेश आती हैं, बिना रिश्वत काम नहीं चलता है। अगर मंजूरी मिल भी जाती है तो एग्रीमेंट के लिये दरबदर टक्कर खानी पड़ती है। बहुत पैसा देना पड़ता है तब कहीं एग्रीमेंट हो पाता है।

जो मैटीरिएल ट्यूबवैल के लिये दिया जा रहा है वह नाकिस है, अल्मोनियम के तार के कारण ट्रांसफार्मर्स फुंक जाते हैं। इससे प्राइवेट ट्यूबवैल्स वालों का भी बड़ा नुकसान होता है। अगर कम से कम ट्रांसफारमर से लेकर मोटर तक कापर वायर लगा दिया जाय तो यह दिक्कत रफा हो सकती है। इसके अलावा बिजली बड़े गलत तरीके से आती है। कभी कम आती है, कभी ज्यादा आती है। इसका नतीजा यह होता है कि ट्रांसफारमर्स और मोटरें बहुत ज्यादा तादाद में जल जाते हैं। इसका नुकसान किसानों के सर जाता है, इसलिये मैं मतालबा करता हूं कि मैंने जो फिगर्स मंत्री जी को दी हैं उन पर गौर करेंगे। इसी के साथ जो करप्शन है और जो किसानों को दिक्कतें हैं उस पर भी गौर करेंगे।

नहरों के बारे में मुझे खासतौर से कहना है कि जिन बरहों में पानी जाता है तो चाहे एक खेत में ही पानी क्यों न लगा हो सारे मुलहिक रकबे की चाही भर कर लोगों से पैसे ले लिये जाते हैं। यह ज्यादती की बात है इसलिये मैं उनका ध्यान इस ओर भी दिलाऊंगा। हमारा सबसे बड़ा दरिया घाघरा है उसके लिये आपने कहा कि योजना बन रही है लेकिन जिस ढंग से कार्य चल रहा है कभी पूरा न होगा। पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो वायदे किये गये और जिस तरह से वह पूरे किये गये हैं उससे मैं समझता हूं कि वह तो कयामत तक भी पूरे न होंगे। यह खास बातें हैं इसलिये मैं खासतौर से इनकी तरफ ध्यान दिलाते हुए कटमोशन की जोरदार हिमायत करता हूं।

*श्री शान्ति चरन पिड़ारा (जिला मथुरा)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई के संबंध में जो अनुदान की मांगें पेश की गई हैं उनका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। कल सिंचाई मंत्री जी ने जो घोषणायें की हैं उनका मैं स्वागत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शान्ति चरन पिड़ारा]

करता हूं और मंत्री जी को उनके लिये बधाई देता हूं। यह जो बजट के आंकड़े हम लोगों को दिये गये हैं उनका मैंने अध्ययन किया है और उनको सदन के सामने पेश करना चाहता हूं। कहा गया है कि यह जो हमारी इकनामी है वह डेवलपिंग है और डेवलपिंग इकानामी में खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ना ही चाहिये, कम नहीं होना चाहिये। मैं नहीं समझता कि क्या वह समय आ गया है कि इर्रीगेशन के मामले में सेचुरेशन प्वाइन्ट पहुंच गया है और मांगों में कमी की जानी चाहिये। यह ४८ नम्बर की मांग जो कि कैपिटल आउटले आफ मल्टी परपज रिवर स्कीम के बारे में है, इसमें १९६७-६८ में २४ करोड़ रुपया मांगा गया था और १९६८-६९ में २३ करोड़ मांगा गया तथा १९६९-७० में १३ करोड़ रुपया मांगा गया है। इसमें ११ करोड़ की कमी है। इस पर जहां तक प्लान का सवाल है इसमें १९६७-६८ में १४ करोड़, १९६८-६९ में ९ करोड़, १९६९-७० में ३ करोड़ मांगा गया है। यह कैपिटल आउटले है पर स्कीम्स के बारे में। इसी तरह से जो कैपिटल आउटले इर्रीगेशन वर्क्स हैं उसमें १९६७-६८ में १८ करोड़ मांगा गया, १९६८-६९ में १२ करोड़ मांगा गया और १९६९-७० में १५ लाख मांगा गया है। तो जहां खर्चा बढ़ना चाहिये वहां कम होता जा रहा है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय इसके ऊपर स्पष्टीकरण दें। जो राजस्व से सिंचाई के निर्माण कार्य की बात है उसमें २८ करोड़ मांगा गया है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि उस २८ करोड़ रुपये में १२ करोड़ रुपया केवल ब्याज का है जो इस विभाग को देना है। तो केवल १६ करोड़ ऐसा रह जाता है जिसके बारे में यह कहा जा सकता है कि यह राजस्व में से खर्चा किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के बारे में आज कुछ किताबें बंटी हैं। उनको भी मैंने देखने और समझने की कोशिश की है। श्रीमन्, ३ अरब ६४ करोड़ रुपया ऋण के रूप में हमारी प्रदेश सरकार ने इस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को दिया है। जहां इतनी लागत है वहां ग्रास रिसीट्स केवल ५१ करोड़ ९८ लाख की है। यानी जो रुपया लगा है रिसीट्स उसकी कुल साढ़े १२ या १३ परसेंट है। मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि जहां इतनी रिसीट्स है किस तरह से हमारा यह विभाग चल रहा है। एक और चीज है। ५१ करोड़ की रिसीट्स है और इस्टेब्लिशमेंट पर जो खर्चा है वह ४ करोड़ १३ लाख रुपया है, यानी ८ परसेंट इस्टेब्लिशमेंट पर खर्च है। तो इस ओर मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, लाल बत्ती जल गई है लेकिन कुछ चीजें मुझे कहनी थीं। मैं प्रार्थना करूंगा कि मुझको मौका दें। पिछले मार्च के अधिवेशन में गवर्नर साहब ने जो भाषण दिया उसमें यह बात कही गई कि बिजली के लिये ४ फर्लांग, ३ फर्लांग, २ फर्लांग, इस तरह से माफी दी जायेगी। इसके बाद क्या किया विभाग ने? विभाग के लोग मई-जून तक कहते रहे कि हमको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के आर्डर्स नहीं मिले हैं। जब उनसे कहा गया, गजट भी दिखलाया गया, तब भी वह इसको मानने के लिये तैयार नहीं हुए, जब तक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आर्डर्स न भेजे तब तक वह कुछ भी करने को तैयार नहीं थे। मैं मंत्री जी का ध्ययन इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हाइडिल विभाग, बिजली विभाग, पर कोई कंट्रोल किसी तरह का नहीं है। और विभागों के लिये उप समितियां बनी हैं जिला स्तर पर लेकिन बिजली के संबंध में कोई उप समिति जिला स्तर पर नहीं है। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस तरह की कोई उप समिति जिला स्तर पर बनावें जो बिजली के संबंध में लोगों की बात सुने।

मैं अधिक न कह कर केवल उस जिले के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं जिस जिले से मैं आया हूं। एक पुस्तिका विभाग की तरफ से बांटी गई है। उसमें यह दिया है कि १९५२ में यानी जब पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी उसमें और उसके बाद तथा आज तक क्या तरक्की हुई किसी जिले में। मथुरा जिले में १०० एकड़, १,००० एकड़ या ५०० एकड़ में भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है कि सिंचाई बढ़ी हो। केवल मथुरा जिला ही ऐसा है। मैंने कहा था कि मथुरा जिले ने तरक्की की है लेकिन सरकार ने कितना सहयोग दिया है यह इन आंकड़ों से साबित है। मैं इन शब्दों के साथ इन मांगों का समर्थन करता हूं।

१९६९–७० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ४९७ ३१—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य, अनुदान संख्या ३२—सिंचाई अधिष्ठान, अनुदान संख्या ४८—बहु-प्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय तथा अनुदान संख्या ४९—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय

श्री नगीनासिंह (जिला बलिया)—

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान बलिया जिले की तरफ दिलाना चाहता हूं। मेरा जिला एक बहुत ही अभागा जिला है क्योंकि उसके ऊपर प्रकृति का भी प्रकोप हुआ करता है। दूसरी तरफ सरकार का भी ध्यान उधर नहीं जाता है। हमारे जिले में दो बड़ी नदियां बहती हैं—पहली पूर्व–दक्षिण में गंगा और दूसरी तरफ उत्तर में घाघरा। जब इधर से पानी जाता है तो वहां का दृश्य बिलकुल कन्याकुमारी की तरह से हो जाता है जिसके एक तरफ हिन्द महासागर है और एक तरफ अरब सागर है। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां की विचित्र स्थिति है और इसलिये उनको वहां पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे यहां कोट गांव में एक नाला बहता है जिसका लेविल गंगा के लेविल के बराबर हो गया है और उसका संबंध मघई नदी से होता जा रहा है। गंगा की धारा उसी तरफ बढ़ रही है। अगर इसको न रोका गया तो पचासों गांव मटियामेट हो जायेंगे।

इसके अलावा हमारे यहां जो गोसलपुर–नसीरपुर बांध है। वहां एक रिटायर्ड बांध बनाया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि उस रिटायर्ड बांध की बिलकुल जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पिपराघाट पर पी० डब्लू० डी० का पुल बन चुका है। रेलवे पुल भी है। जो टोंस नदी है उसका कटाव भी नहीं हो रहा है। उस बांध को बनाने में जो सरकार लाखों रुपया खर्च कर रही है, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, बल्कि उससे नुकसान ही होगा। तमाम उपजाऊ भूमि उसमें चली जायेगी। एस० बी० डी० की सरकार के सामने भी यह चीज रखी गई थी। दिल्ली के किसी अफसर ने भी उसको जाकर देखा था और उन्होंने उसको स्थगित कर दिया था। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस रिटायर्ड बांध बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना रुपया आज सरकार इस बांध को बनाने पर खर्च कर रही है उतना रुपया अगर वह किसानों के लिये नलकूप लगवाने पर या जो वहां की जिला बलिया से गाजीपुर तक जाने वाली ३ मील सड़क बनानी रह गई है उसको पक्का कराने पर खर्च करे तो उससे जनता का बहुत लाभ हो सकता है।

इसके बाद एक मिनट और समय लेना चाहता हूं। हमारे यहां बिजली की कमी है। आप कुछ गांवों में और बिजली लगा दें तो मैं समझता हूं कि बहुत कुछ किसानों को लाभ हो जायेगा। एक नारायणपुर उठाऊ पम्प नहर योजना का प्रश्न किया था जिसको आपने स्वीकार किया है। श्रीमन्, उस योजना को लागू कर दें तो मैं कहता हूं कि जो बाढ़ वाले क्षेत्र हैं, जहां फसल बरबाद हो चुकी है वे गर्मियों में ही कोई एसी फसल तैयार कर लेंगे जिससे वहां के रहने वालों को राहत हो जायेगी। आप इस क्षेत्र पर अपनी दृष्टि रक्खें।

(माननीय उपाध्यक्ष द्वारा कन्हैयालाल बाल्मीकी का नाम पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

एक सदस्य—

मैं कल से उठ बैठ रहा हूं। आज भी १५ मिनट हो गये हैं।

श्री कन्हैयालाल बाल्मीकी (जिला हरदोई)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने आज इस महत्वपूर्ण अनुदान पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने की कृपा की। श्रीमन्, यह तो निर्विवाद है कि हमारे देहातों में ग्रामीण जनता सर्वप्रथम सिंचाई, बिजली और कृषि की सुविधाओं के लिये बेचैन रहती है और हम शहरों के रहने वाले लोग भी देहातों में रहने वाली जनता पर ही आश्रित रहते हैं। इस लिये यह ज्यादा मुनासिब और उचित है कि देहात की जनता को सिंचाई और बिजली के साधन शीघ्र उपलब्ध करायें जायं। और यदि

[श्री कन्हैया लाल वाल्मीकी]

हमारा प्रदेश और देश इस कार्य में सफल हो जाय तो हम जो आज विदेशों के सामने गल्ले की मांग करते हैं या वहां से मंगाते हैं, इन परेशानियों से मुक्त हो जायं। श्रीमन्, म माननीय सिंचाई मंत्री जी से आपके माध्यम द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक मेरी जानकारी है, पूर्वी, जिले लगभग ५० फीसदी सिंचित हैं और पश्चिमी जिले ६० फीसदी सिंचित हैं। लेकिन मेरा हरदोई जिला जहां से मैं चुनकर आता हूं केवल १६ फीसदी सिंचित है। इसलिये इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक बार फिर श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय सिंचाई मंत्री से निवेदन करूंगा कि आज से तीन चार साल पहले जो बातें वहां के काश्तकारों द्वारा सिंचाई विभाग या बिजली विभाग को लिखित रूप म प्रषित की जाती रहीं उसका उत्तर आज तक नहीं प्राप्त हुआ है।

श्रीमन्, मेरे क्षेत्र में बहुत बड़ी नहर है जिसके आस पास में तीन चार गांव अन्तौरा [आदि हैं। वहां के लोगों ने तीन साल पहले एक माईनर निकालने की प्रार्थना की थी साठ-सत्तर आदमियों के हस्ताक्षर करा के। जब मैं वहां जाता हूं तो मुझसे इस बात की शिकायत की जाती है। इसी तरह से सन् १९६७ में जब हम चुनाव के लिये क्षेत्र का दौरा कर रहे थे तो कुरगांवा, सहजनवां, बरी आदि गांवों को वहां के लोगों ने प्रातःकाल छः बजे मुझे बैलगाड़ी पर बिठाकर सैंकड़ों एकड़ भूमि को दिखलाया। जहां पर सिंचाई का कोई साधन नहीं है, जहां काश्तकार केवल आसमान की ओर ही देखता रहता है और प्रकृति के सहारे रहता है। न वहां कोई माइनर है और न नहर है और न ही ट्यूबवैल हैं। उन्होंने दो साल से लिखित रूप में सामूहिक रूप से प्रार्थना की कि यहां पर ट्यूबवैल बना दिया जाय। लेकिन श्रीमन्, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैं उसका माध्यम रहा हूं और आज तक उसकी कोई सूचना नहीं मिली कि उनका प्रार्थना पत्र मिला, उसमें कोई कार्यवाही हुई या नहीं। गांव मंसूरनगर के निवासियों ने भी ट्यूबवैल की मांग काफी समय से की है। और जो लोकल अधिकारी हैं ट्यूब वेल के मैंने उनसे जाकर भी शिकायत की। उन्होंने मुझसे वायदा किया कि हम आकर साइट देखेंगे कि कहां पर ट्यूबवैल लगाना मुनासिब होगा। लेकिन इस बात को करीब ४-५ माह हो गये लेकिन आजतक कोई सूचना उन्होंने नहीं दी, मैं कई बार गया भी तो वह गैरहाजिर रहे। उस क्षेत्र के किसानों को बड़ी शिकायत है। मंत्री जी कृपा करके इस पर ध्यान दें और उनकी शिकायत दूर करने की कृपा करें। इससे किसानों को प्रर्याप्त सुविधा मिल सकती है।

साथ ही बिजली के संबंध में भी मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि हमारे क्षेत्र में सावतनगर, बद्दापुर आदि कई गांव ऐसे हैं जहां के लोगों ने दो वर्ष में तीन बार लिखित मांग की कि वहां उनके क्षेत्र में बिजली लगाई जाय और इन ४-५ गांवों के बीच में १५ नलकूपों की बोरिंग हो चुकी है, कुंए तैयार हैं और बिजली के बगैर वहां के किसान बेचैन हैं। श्रीमन्, मेरा आपके द्वारा माननीय सिंचाई मंत्री जी से निवेदन है कि सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने के संबंध में उनके लिये बिजली का प्रबन्ध जल्दी करावें। श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि आपने आज मुझे समय दिया। यदि मुझे समय न भी मिला तो मुझे कोई अफसोस नहीं था क्योंकि माननीय उप मुख्य मंत्री जी कह चुके हैं कि जो लोग न बोल सकें वह अपनी शिकायतें लिखित दे दें, उसी से मैं संतुष्ट था। तो मैं कह रहा था कि मेरे क्षेत्र में गांव हरैया के ग्रामवासियों न कुलावे के लिये लिखित रूप से प्रार्थना की भी उसको लगभग ८ मास हो गये लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला, पता नहीं कि क्या कार्यवाही हो रही है।

आपकी सेवा में एक प्रार्थना और करनी है कि नलकूप के आपरेटर्स के बारे में भी रिश्वत और भ्रष्टाचार की बहुत शिकायत है, मेरा सुझाव है कि इनका भी स्थानान्तरण प्रत्यक वर्ष कर दिया जाया करे ताकि वह एक जगह रह कर भ्रष्टाचार न कर सकें।

अन्त में एक सूचना मुझे मिली है वह मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी के सामने रखे देता हूं कि तराई क्षेत्र में किछा के आस पास जो बांध है वहां से पानी इकट्ठा कर के जो सिंचाई के लिये दिया जाता है, वहां की भूमि कर्मचारी और अधिकारी लीज पर उठाकर खेती करने के लिये देते हैं, यह बहुत गलत बात है। मेरी प्रार्थना है कि मंत्री जी

इसकी जांच करायें और साबित होने पर जो ऐसा करते हैं उनसे जवाब तलब करें ताकि वहां का यह भ्रष्टाचार समाप्त हो। अन्त में श्रीमन्, मैं फिर आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

*श्री मुंन्शीलाल चमार (जिला मैनपुरी)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि सिंचाई के अनुदान पर चल रही बहस में आपने मुझे बोलने का मौका दिया। २० साल में सिंचाई के संबंध में प्रगति हुई या नहीं इसी पर मैं कुछ कहना चाहता हूं। आज सिंचाई के संबंध में जो किसानों की दुर्दशा है उसकी ओर मैं सिंचाई मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे सूबे में करीब ८० प्रतिशत कृषक और मजदूर हैं उनको जो सिंचाई के सम्बन्ध में सुविधा असुविधा है उस विषय पर मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। बहुत से जिलों में चकबन्दी हो चुकी है लेकिन जहां पुराने बने हुए कुलावे और गूलें हैं वह करीब करीब खत्म से हो गये हैं और तीन तीन साल से बेचारे गरीब किसान कुलावे और टूटी गूलों के बारे में दरखास्त देते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। वहां के ओवरसियर इन्जीनियर बल्कि चीफ इन्जीनियर तक शिकायतें पहुचाई गईं लेकिन वहां आजतक कुलावे नहीं लगाये गये हैं। इसलिये वहां की जतना को सिंचाई के साधन उपलब्ध न होने के कारण बहुत अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है, कि जिसका शुमार नहीं है। हमारे जिले मैनपुरी में जो ठेके वाली स्कीम नहर की चौड़ा और गहरा करने की है, देखा गया है उसमें न तो नहरें चौड़ी हुई हैं और न वे गहरी हुई हैं। देखने में यह आया है कि जो २०—२५ मजदूर वहां लगे होते हैं वे मिट्टी काटकर नहरों में ही डाल देते हैं। नतीजा यह है कि न तो नहरें चौड़ी हुई हैं और न पानी की मात्रा ही बढ़ पाई है। हमारे इलाके में ट्यूबवैलों की भी सख्त जरूरत है। इन्जीनियर, ओवरसियर द्वारा स्कीमें बन जाती हैं केवल कागजों में लेकिन उनका कार्यान्वयन नहीं हो पाता है। देहातों तक ये योजनाए नहीं पहुच पाती हैं। आज से १०—१५ साल पूर्व जो हमारे इलाके में ट्यूबवैल बनाये गये थे या जो नहरें हैं, उनकी क्षमता १/४ हो गई है। श्रीमन्, मैनपुरी जिले में एक पहाड़ी इलाका है। उसकी एक तहसील शिकोहाबाद में करहल क्षेत्र पड़ता है। उसमें पहाड़ी इलाका होने के कारण सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है। न वहां पर ट्यूबवैल हैं न नहरें हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय सिंचाई मंत्री जी वहां पर जो गांव बसे हुए हैं, जैसे मई, सरूपुर, गलीपुर, नगला ओरे, नगलादामो, खरिया, उनमें सरकारी ट्यूब-वैल लगवाने की कृपा करें।

सिंचाई के साथ में निवेदन करना चाहता हू कि मेरे क्षेत्र में निचले इलाके में जिनमें पानी भर जाता है, उनको खुदवाने की स्कीम सरकार के विचाराधीन है, ३ वर्ष से पड़ी हुई है लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे करहल तहसील में चदिकरा, सहस, भटावा, साजनटावली और राजपुर के इलाके में नाले बनवाए जाए और जिससे प्रदेश के गल्ले की पैदावार बढ़ सके और प्रदेश की आमदनी बढ़ सकें।

एक बात मुझे यह कहनी है कि जब से चकबन्दी हुई है सारे चक की आबपाशी के दाम उस काश्तकार पर लाद दिये जाते हैं। मैं चाहूंगा कि इस कानून को बदला जाय जिससे काश्तकारों को कुछ राहत मिल सके। दूसरे, इस विभाग में यह भी देखा गया है कि आपरेटर केवल एक पानी देकर उनसे दुगने दाम ले लेते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे विभाग में फैले हुए भ्रष्टाचार के लिये कड़ा नियंत्रण रखें और भ्रष्टाचारी कर्मचारियों को सख्त सजा दें जिससे जो काश्तकार को कष्ट होता है उसको बचाया जा सके।

मान्यवर, मैं सिंचाई मंत्री का ध्यान उस क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं जो बहुत पिछड़ा हुआ है और पानी के बिना पड़ा हुआ है। बिजली के कनेक्शन्स निजी ट्यूबवैल्स को नहीं मिल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुंशीलाल चमार]

पाते हैं। किसानों को यह सुविधा दी जाय ताकि वे निजी ट्यूबवैल्स लगा सकें तो सिंचाई की सुविधा बढ़ जायेगी जिससे कि अन्नोत्पादन की समस्या हल हो सकेगी। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का जोरदार समर्थन करता हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अब एक आध माननीय सदस्य और ५ मिनट बोल लेंगे। फिर १५ मिनट संशोधन प्रस्तुतकर्त्ता बोलेंगे। इसके बाद सिंचाई मंत्री जी बहस का जवाब देंगे।

*श्री उमाकान्त बाजपेयी (जिला फतेहपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि केवल बातों से हरी क्रान्ति नहीं आ सकती, न खेतों की सिंचाई हो सकती है। कोई ठोस कार्यक्रम बना कर वह मैदान में आए। देश की सबसे बड़ी समस्या अन्न की एक ही तरीके से हल हो सकती है जब आप हर खेत में पानी पहुंचा दें। परिवार नियोजन के नाम पर अरबों रुपये फेंके जा रहे हैं लेकिन सिंचाई की योजनाओं के लिये जो रुपये रखे जाते हैं वे उनमें व्यय नहीं हो पाते हैं, बल्कि एक प्रकार से धन का अपव्यय हो रहा है और सरकार हमेशा घाटे का बजट बनाती है और सिंचाई के लिये कोई साधन उपलब्ध नहीं कराती है, यह दुर्भाग्य की बात है। मेरे जिले फतेहपुर में १०० ट्यूबवैल्स सैंक्शन किये गये थे, लेकिन एक भी ट्यूबवैल उनमें से नहीं लग सका। इसी तरह से लिफ्ट योजनाओं में भिटोरा तथा भदन्सरी की योजनायें मेरे क्षेत्र में कागज पर ही रह गयीं और वे कार्यान्वित नहीं की गयीं। भिटोरा योजना के लिये यंत्र खरीदा गया तथा गंगा में छोड़ दिया गया लेकिन एक इंच भूमि की उससे सिंचाई नहीं हो सकी और इस प्रकार रुपये का अपव्यय हो रहा है। हमारे प्रदेश में २३ वर्ष पूर्व जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो १३ प्रतिशत जमीन सींची जाती थी, फिर कई सघन योजनायें लागू करने के पश्चात् भी उसकी प्रगति २३ प्रतिशत तक हो पाई है। इस २३ प्रतिशत को ५० प्रतिशत तक पहुंचाया जाय तभी हरी क्रान्ति होगी और तभी हर खेत को पानी मिल सकेगा।

इसी तरह से मान्यवर, जो नहरें बनती हैं उनके टेल पर पानी नहीं पहुंच पाता है। मैं आपके द्वारा सिंचाई मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वह टेल पर भी पानी पहुंचाने की सुविधायें दें। ऐसा न हो कि पानी बीच में ही रुक जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें।

*श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने किसी भी दूसरे रूप में मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया है। चाहे इस तरफ के सदस्य हों या उस तरफ के सदस्य हों, सबने एक ही औचित्य स्वीकार किया है जिसे मैं और मंत्री जी पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि सिंचाई की आवश्यकता है और उस आवश्यकता को देखते हुए जो जो सुविधायें उन्होंने दी हैं उनके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। जितने भी सदस्यों ने यहां भाषण दिया उन सबने अपने क्षेत्र में सिंचाई की कमी और भ्रष्टाचार के बारे में जिसको लेकर मैंने कटौती का प्रस्ताव रखा है, स्पष्ट संकेत किया है। माननीय मंत्री जी बहुत पुराने और अनुभवी मंत्री हैं और शुरू से ही उन्होंने सिंचाई विभाग संभाला है। लेकिन कल जो उन्होंने घोषणाएं कीं, वह जनहित में कीं और उनका मैं स्वागत करता हूं। परन्तु मंत्री जी के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भाषण में इस तरह का कोई संकेत नहीं आया कि भ्रष्ट अधिकारियों को वह क्या सजा देंगे। नानक सागर बांध जो टूट गया या जो बांध अधिकारियों की गलती के कारण टूटते हैं जिनके लिये कमीशन बिठाया गया है उनके लिये क्या दण्ड की व्यवस्था की है। यही नहीं, बलिया में अभी कल ही बांध टूटा है जिससे बहुत नुकसान हुआ है। माननीय सदस्यों ने अपने भाषण में उसका जिक्र भी किया है। उसका उत्तरदायित्व किसके ऊपर है? जिन इंजीनियरों की कमी के कारण या जिनकी वहां पर ड्यूटी है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे? जिस समय हमने कटौती का प्रताव रखा था उसमें यही कहा था कि इस विभाग को इस सदन ने हमेशा जितना धन मांगा उतना दिया, लेकिन उस रुपये का उपयोग विभाग ने नहीं किया। इस विभाग में भ्रष्टाचार बहुत है और भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। और मेरी तो मांग है मंत्री जी से कि चाहे अलग से विजिलेंस रखें लेकिन भ्रष्ट कर्मचारियों को अवश्य सजा दें।

आज तो जो एस० डी० ओ० ४-४ साल से सर्विस में हैं उनमें होड़ लगती है कि कौन पहले कार खरीदता है। भ्रष्ट कर्मचारियों के कैरेक्टर रोल में एन्ट्री होनी चाहिये जिससे जनता के पैसे का सही उपयोग हो सके और भ्रष्टाचार के कारण जो पैसा बेकार जाता है वह जन-कल्याण में लगे। इस तरफ माननीय मंत्री जी ने या अन्य सदस्यों ने कुछ नहीं कहा। जिन लोगों के खिलाफ विजिलेंस में कार्यवाही हो रही है वे भी डिपार्टमेंट्स संभाले हुए हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि जिनका कैरेक्टर संदिग्ध है उनको इस तरह की जिम्मेदारी के पद क्यों दिये जाते हैं। मैंने कल संकेत किया था कि यदि करप्शन की बात कोई भी सदस्य कहें तो उसकी जांच की जानी चाहिये। मैंने कल नाम भी लिया था, कोई पी० ए० हैं, बी० पी० गोयल। वह मंत्रियों तक को भी बेईमान बता देते हैं यदि उनके विभाग में कोई करप्शन की बात कहे। मैं कोई ऐसी बात नहीं करता हूं। मंत्री जी को चाहिये कि इसकी जानकारी कर के ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करें जो गैर-जिम्मेदाराना बात कहते हैं।

इसके अतिरिक्त मैंने माननीय मंत्री जी का ध्यान कल भी विभाग की उन कमियों की तरफ आकर्षित किया था और जो हमारे सदस्यों ने भी कही है कि बिजली विभाग तो कम से कम चोरियों का अड्डा बन गया है। उसमें इतनी अधिक चोरियां होती हैं कि जिनकी वजह से घाटा बढ़ता ही जाता है। चाहे तार की चोरी हो, चाहे ट्रान्सफार्मर की चोरी हो, और चाहे कोयले की चोरी हो। इस प्रकार की चोरियों को रोकने के लिये कोई निश्चित व्यवस्था होनी चाहिये, जिससे चोरी और लीकेज समाप्त हो कर जनता के पैसे की रक्षा की जा सके।

संविद सरकार ने रुपया देकर ट्यूबवेल लगवाने की योजना चलायी थी, उसके बारे में एक माननीय सदस्य ने बड़ी जोरों से संविद सरकार की बुराई की। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि वह योजना केन्द्रीय सरकार की योजना थी, उसको लेकर बिला वजह उन्होंने हौआ खड़ा किया। वह तो केन्द्रीय सरकार की योजना थी जो केन्द्र की ओर से उस समय की सरकार पर लादी गयी थी। जो मजबूर होकर सरकार को कार्यान्वित करनी पड़ी। फिर संविद की सरकार कितने दिन रही? ९ महीने। ९ महीने के बाद तो बच्चा ही पैदा होता है, वह तो ९ महीने के अन्दर ही खत्म हो गयी लेकिन आप अपने नक्शे को क्यों नहीं देखते जो आपने २० साल के अन्दर बनाया है। अपने पुराने कृत्यों को दबाने के लिये, छोटी-छोटी बातों के लिये संविद सरकार को कोसते हैं। लेकिन इससे अपने पुराने कार्यों को दबा नहीं सकते।

इस विभाग में वही अधिकारी बैठे हुए हैं जिनके विरुद्ध २० साल से करप्शन की शिकायत चलती चली आ रही है। मंत्री जी तुरन्त ही एक घोषणा करें कि करप्शन को मिटाने के

[श्री मसिज्ञान सिंह]

लिये वे एक कमीशन की नियुक्ति करेंगे। तब ही समझ सकेंगे कि वास्तव में जनता के पैसे का सदुपयोग होगा, नहीं तो उस पैसे का दुरुपयोग होना स्वाभाविक है।

एक मा नीय सदस्य ने औरैया के बारे में मुझे कुछ कहने के लिये कहा है। वहां पर बिजली की बड़ी भारी कमी है, ट्यूबवैल्स भी नहीं हैं। गांवों में वहां लोगों को बड़ी भारी परेशानी है। उसके लिये मंत्री जी को प्रबन्ध करना चाहिये।

(इस समय ४ बजकर २२ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी विभाग की कमियों को स्वीकार करेंगे और उनको दूर करने का प्रयत्न करेंगे। मजबूती से काम करते हुए भ्रष्टाचारी अधिकारियों को दंड देने की कृपा करेंगे। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव को सदन के सामने प्रेस करता हूं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

अध्यक्ष जी, जिस मांग को मुझे प्रस्तुत करने का सौभाग्य मिला है, वह हमारे प्रदेश के लिये बहुत महत्व की मांग है, यह उस विवाद से भी स्पष्ट है जो कल से हो रहा है। इसमें सदन के बहुत से माननीय सदस्यों ने भाग लिया और कुछ उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन उनको समय मिल सका। इसमें भी उनकी रुचि और दिलचस्पी दिखाई देती थी। मैं माननीय सदस्यों का बड़ा भारी कृतज्ञ हूं कि उन्होंने मुझे बड़े रचनात्मक सुझाव दिये, क्योंकि वे सभी ऐसे प्रदेश के प्रतिनिधि हैं जहां जीविका का मुख्य साधन खेती ही है और उसके लिए पानी की विशेष आवश्यकता है। हमारे प्रदेश का किसान आज जागा हुआ है। वह चाहता है अपनी उन्नति करना। अब समय ऐसा आ गया है कि कोई गरीब किसान यह मान कर संतोष नहीं करता कि वह गरीब है क्योंकि उसके भाग्य में गरीबी लिखी है, यह उसके कर्मों का फल है, यह मानने के लिए वह तैयार नहीं है। आज नया जमाना आया है, जिसमें किसान को यह भरोसा हुआ है कि यदि उसे साधन उपलब्ध हों तो गरीब भी अपनी आर्थिक दशा सुधार सकता है। अपनी मेहनत से। उसने यह भी देखा है कि जिन्हें सहायता मिल गयी है, साधन प्राप्त हो गये हैं, उन्होंने अपनी हैसियत बढ़ा ली है और वह यह चाहता है कि यदि उसे सहायता मिल जाय, साधन प्राप्त हो जायं तो उसकी हालत में भी परिवर्तन हो जाय। यह अनुभूति हुई है। इसलिय प्रत्येक की मांग है कि उसे बिजली भी मिले, पानी भी मिले, उसे अच्छा बीज भी मिले, खाद भी मिले, उसका शोषण रुके, वह पीछे न ढकेला जाय। गरीब और दबे हुए लोगों में भी यह चेतना जागी है और चारों तरफ इसकी मांग है। यह सौभाग्य की बात है कि हमारे देश और प्रदेश का किसान जागा है। वह अपने अधिकारों की मांग करता है, अपनी स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए स्वयं प्रयत्नशील है। यह स्थिति आज हमारे यहां जन जीवन में, हमारे किसान में आज आयी है। यह हमारे लिए प्रसन्नता और सौभाग्य की बात है।

अभी बहुत सी बातें विभाग के सम्बन्ध में कही गयीं। मैं कोई विभाग की वकालत करने यहां खड़ा नहीं हुआ हूं, न मेरा ऐसा दृष्टिकोण है कि जो कुछ भी खराबियां हों उन्हें दलील देकर या बहस कर के ठीक सिद्ध करूं। न यही हम दावा करते हैं कि जो कुछ हमारी योजना चल रही है, जो कुछ काम कर रहे हैं, उसमें कहीं कोई दोष नहीं है, सब गंगा की तरह से पवित्र है और जो योजना पर खर्च हो रहा है यह सत्य है, जो काम करने वाले हैं वे बिलकुल निर्दोष हैं, हमने कोई भूल नहीं की। यह दावा करने के लिये मैं तैयार नहीं। मैं मानता हूं कि बहुत सी भूलें हुई हैं, आज भी सम्भव है कि बहुत सी भूलें हो रही हों। मैं मानता हूं कि कहीं कोई भूल भी हो सकती है। परन्तु मैं आपके माध्यम से अवश्य सदस्यों से निवेदन करना चाहता कि नीयत हमारी यही है और प्रयास भी हमारा यही है कि हम अधिक से अधिक प्रदेश की सेवा कर सकें, सिंचाई के साधनों को बढ़ा सकें, धन का अच्छे से अच्छा उपयोग कर सकें, योजनाएं ऐसी बनायी जायं, जो हमारे लिये लाभकर हों। मान्यवर, चुने हुए मंत्रिमंडल का काम ही यही है,

इसीलिए टाप की एग्जीक्यूटिव चुनी जाती है। एक प्रशासकीय दृष्टिकोण होता है, एक जनता का दृष्टिकोण होता है। प्रजातंत्र में चुना हुआ मंत्रिमंडल इसलिए होता है कि प्रशासन के ऊपर जनता के विचार और आकांक्षाओं और आवश्यकताओं की छाप डाले। यदि हम ऐसा न कर सकें तो हमारा बैठना बेकार हो जाता है। माननीय सदस्यों ने कहा कि मैं आश्वासन दूं। मैं यही आश्वासन देता हूं कि आपने जितने सुझाव दिये हैं उन पर हम जरूर विचार करेंगे और आप सबको दावत भी देता हूं कि आपको जो कुछ कहना हो अगर यहां न कह पाये हों तो कृपा कर हमें लिख कर दे दें। हमारे प्रत्येक माननीय सदस्य को जो बात भी कहनी रह गई है अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में, उसके सम्बन्ध में लिख कर दे दें, तो मैं अवश्य उसकी छानबीन कराने की कोशिश करूंगा और यह भी देखूंगा कि अपने साधनों और योजना की परिधि में यदि उनका समावेश कर सकूं तो जहां तक सम्भव होगा, करने की चेष्टा करूंगा।

बहुत सी बातें यहां पर कही गयीं, जिनके सम्बन्ध में इतना समय तो नहीं है कि सब का जवाब दे सकूं, फिर भी थोड़ा थोड़ा संकेत कर देना चाहता हूं। हमारे मैनपुरी के मित्र हैं, उन्होंने कई बातें कहीं और कुछ बातें तो ऐसी हैं, जिनकी तरफ मैं समझता हूं तत्काल हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे नहरों की सफाई के बारे में। मेरा स्वयं भी ऐसा अनुभव है कि इधर नहरों की सफाई अच्छी तरह से नहीं हुई है, जहां तक मैं देख सकता हूं अपने क्षेत्र में और दूसरों के क्षेत्र में भी। इसका कारण भी पता लगाने की कोशिश की तो पता चला कि मेन्टीनेन्स का जो खर्च पहले मिला करता था, उसमें बहुत कमी हो गई है। माननीय सदस्यों को खयाल होगा कि बहुत समय पहले हमारे यहां के इंजीनियर्स को घोड़े की सवारी करने को मिलती थी, उन्हें घोड़ा रखना जरूरी समझा जाता था, लेकिन अब यह समाप्त हो गया है। अब वह व्यवस्था बन्द हो गई है, कोई घोड़ा रखता नहीं है और सब चलते भी नहीं, नहरों को देखते भी नहीं। साथ ही साथ जब मेन्टीनेन्स का खर्च कम होगा तो उसकी तरफ ध्यान कम हो गया। तो अब फिर इसकी तरफ चेष्टा की जा रही है जो थोड़े बहुत साधन हैं उनसे....

श्री रामप्रसाद देशमुख—

अब जीप कारें तो आप ने दे रखी हैं!

श्री कमलापति त्रिपाठी—

देशमुख जी तो इधर की कुर्सियों पर बैठ चुके हैं और अब उधर की कुर्सियों पर बैठे हैं तो अब उन्हें सारी बुराई-ही बुराई दिखाई पड़ती है। ये सब उस वक्त के मामले हैं। आज उन्होंने प्रश्न उठाया कि ब्वायलर खराब है, आपने भी उसकी ओर ध्यान दिलाया। वह अच्छा काम नहीं कर रहा है यह ठीक है, यह ब्वायलर सन् १९६२ में खरीदा गया, ६९ आया। ७ वर्ष तक ऐसे ही बलबला रहा है और आज भी बलबला रहा है, जब आप थे तब भी था। लेकिन अब बेईमान चोर हो गया। उस समय आप को कोई बेईमान चोर दिखाई नहीं पड़ा, खैर, अब मैं देखूंगा।

श्री रामप्रसाद देशमुख—

मैंने चोर, बेईमान ऐसा कभी नहीं कहा। मैंने यह कहा कि एक करोड़ रुपये का सालाना घाटा हो रहा है और आप इसे मंजूर कर रहे हैं तो....

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जरूर है ऐसा। देखूंगा उसको, पर आज की बात नहीं है, उस समय खराब हुआ है, उस समय का खरीदा हुआ है जब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बना भी नहीं था। यह सेन्ट्रल पावर कमीशन के द्वारा खरीदा गया और अंग्रेजी फर्म से खरीदा गया। उस समय इतने बड़े-बड़े ब्वायलर्स

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

हमारे देश में चले भी नहीं थे। उसमें कुछ खराबियां हैं, उस फर्म से कहा गया है कि इसकी खराबियां दूर हों, नहीं तो उसका रिजेक्शन किया जाए या जो उनका पैसा रोक रखा गया है वह काटा जाए। यह १०–१२ वर्ष पहले खरीदा गया था। मैं यहां पर किसी की वकालत तो करता नहीं, लेकिन एक दम यह कह देना कि सारा विभाग का विभाग खराब है, उचित नहीं है। ऐसा कहने से एक ऐसी प्रवृत्ति बनती है जिससे काम करने वालों का दिल टूट जाता है। काम होगा तो कुछ गलत भी होंगे, भ्रष्ट भी होंगे। बहुत से अधिकारी ऐसे हैं जिनके खिलाफ कार्यवाही हुई है, विजीलेंस जो कायम है उसकी रिपोर्ट की गई है और उसकी जांच हो रही है। कुछ लोगों को सस्पेंड भी किया गया है और कुछ को बरखास्त भी किया गया है। जांच की जाती है, उसमें समय लगता है। तो यह सब होता रहा है। यदि स्पष्ट रूप से, निश्चित रूप से यह मालूम हो जाए कि यह बात फलानी जगह हुई है और हो रही है तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो यह देखे कि इस तरह धन का दुरुपयोग हो रहा है, बड़ी बेईमानी है तो रोकने की कोशिश न करे या उसके खिलाफ कार्यवाही करने की कोशिश न करे ? मान्यवर, माननीय सदस्य इस प्रकार की बातें ले आते हैं कि इस तरह की कार्यवाहियां हो रही हैं, उनकी तरफ हम नहीं देखते या विभाग बेईमान है। इस तरह की बातों से कोई परिणाम नहीं निकलता है और न लाभ ही होता है, क्योंकि इन बातों से काम करने वालों का दिल टूटता है।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि कुछ बातें आपने कहीं थी ट्यूबवैल की नालियों के बारे में, ट्यूबवैल के कमान्ड के बारे में। ट्यूबवैल की कमांड के बारे में कहा गया कि ६०० एकड़ का कमांड न रखें, तीन सौ एकड़ का कमान्ड रखें। अब ३०० एकड़ का कमांड रह गया है। पुराने ट्यूबवैलों का कमांड कम कर रहे हैं, क्योंकि यह बात सोची कि अगर कमान्ड कम नहीं होगी तो जो पानी मिल रहा था वह नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत पानी तो मिल ही रहा है। इसीलिये ३४० एकड़ का कमांड रख रहे हैं और हमारी एक योजना है कि बीच-बीच में ट्यूबवैल हो जाय तो ट्यूबवैल का कमान्ड कम कर दिया जाये। तो इस तरह से इन्टरपुलेटेड ट्यूबवैल्स बनाने की कोशिश की जायगी, और उससे कमान्ड को कम कर सकते हैं।

माननीय सदस्यों ने कुछ बातें कहीं हैं, कुछ योजनाओं की बात कही गई है। श्री विकल जी यहां पर नहीं हैं। वह नरोरा बैराज की बात कह रहे थे। उसकी जिन्दगी खत्म हो गई है। उसकी यह रिपोर्ट मिल गई है कि अगर उसको नया नहीं बनाया जायगा तो वह किसी वक्त बह सकता है। नया बेरेज बनना था। लोअर गंगा कैनाल से जब रामगंगा कैनाल निकाली गई तो यह हुआ कि नया बैरेज बनना है तो वह इस तरीके से बनाया जाये कि रामगंगा का पानी ले सके और नरौरा बैराज काम दे सके। वह कह रहे थे कि व्यर्थ में धन का दुरुपयोग हुआ है तो ऐसी बात नहीं है। उसको इसलिये हटाया गया है कि नया बन जाये।

श्री उदित नारायण शर्मा जी ने भी कई बातें कहीं। वह कहते थे कि पश्चिम और पूर्व की बात नहीं होनी चाहिये और न उत्तर दक्षिण की बात होनी चाहिये। सारा प्रदेश एक है। मैं जानता हूं कि चाहे पश्चिम हो चाहे पूरब हो चाहे उत्तर हो या दक्खिन हो, ऐसे स्थान और इलाके हैं जो बहुत पिछड़े हुये हैं। मैंने देखा कि मेरठ में भी ऐसा इलाका है। आगरा में मैंने देखा है और मथुरा भी मैंने देखा है जो बिलकुल असिंचित है वहां पर लोग पानी के कारण तरसते हैं। वहां पर पानी खारा मिलता है। तो चाहे पूर्व हो या पश्चिम हो, उत्तर हो या दक्खिन हो जहां पर सूखे से तबाह हो गये हैं और सिंचाई के साधनों की कमी है। यह बात सही है कि सिंचाई के साधन २४ परसेंट ही हो सकते हैं। यह २४ परसेंट सरकारी साधन हैं। कुछ निजी साधन भी बढ़ाये हैं। आप देखें कि ६५–७० हजार ट्यूबवैल और पम्पिंग सेट्स के लिये बिजली पहुंचाई है। सरकार ने इसमें मदद की है। गवर्नमेन्ट ने इसके लिये पैसा दिया है और लाइन पहुंचाने के लिये भी पैसा दिया गया है। यह साधन बढ़े हैं। तो सबको

मिला कर २० फ़ीसदी से अधिक में सिंचाई हुई है। अधिक से अधिक सिंचाई के साधन बढ़ें इस बात की चेष्टा कर रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फ़रनगर)—

परसों आप की तरफ़ से जो उत्तर असेम्बली में मिला उसमें कहा गया है कि आपकी तरफ़ से २४ फ़ीसदी में.....

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वह सरकारी साधनों से है। आप ने कुछ निजी साधनों की व्यवस्था की है। तो इस तरह से एक करोड़ चौंतीस लाख एकड़ में सिंचाई हो रही है। सरकारी साधनों से एक करोड़ या ९० लाख एकड़ में सिंचाई का प्रबन्ध पिछले बीस वर्षों से आज तक हुआ है। इसमें आपने निजी साधन भी बनाये हैं। तो इस तरह से यह ३७-४० परसेंट है। इसकी आवश्यकता हमारे प्रदेश में है।

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि मेरा पूरे राज्य से सम्बन्ध है और पूर्व और पश्चिम का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। रीजनल इम्बैलेंस है, क्षेत्रीय विषमता है और जहां-जहां वह हो उसे दूर करने की चेष्टा करनी ही चाहिये। उन्होंने बुन्देलखंड का जिक्र किया। सुदामा प्रसाद जी ने भी जिक्र किया। राजघाट मुझे भूला हुआ नहीं है। मैं स्वयं उसे देखने गया था। बुन्देलखंड की सेवा करने का मैंने कुछ प्रयास किया है, इसके लिये श्रीमन्, आप भी गवाही देंगे। माताटीला का बांध बना, उसमें कुछ उपद्रव भी हुये, लेकिन वहां से बिजली पैदा हुई और ११ हजार किलोवाट आज उससे बिजली पैदा होती है। यह श्रीमन्, आप की प्रेरणा से और आपके ही आग्रह से वहां किया गया। बुन्देलखंड में कुछ बांध बने हैं पहली पंचवर्षीय योजना में और आज लाखों करोड़ों एकड़ धान की फ़सल भी वहां होती है—बांदा में भी और हमीरपुर में भी। अब वहां पानी मिल जाता है और जहां धान पहले नहीं होता था वहां अब धान होने लगा है। रबी भी वहां होती है और अन्य सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं। श्रीमन्, राजघाट की योजना बड़ी अच्छी योजना है। आपकी मांग भी है परन्तु उसमें एक दिक्कत है कि मध्य प्रदेश से सम्बद्ध है वह सारे प्रदेश की भूमि जो डूबेगी। केन्द्रीय सिंचाई मन्त्री उसे देखने आये थे और उस सम्बन्ध में जैसा आप जानते हैं और माननीय सुदामा प्रसाद जी भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार से बात करनी होगी। केन्द्रीय सरकार के मंत्री ने भी हमको यह आश्वासन दिया है कि वे किसी वक्त बुलायेंगे मध्य प्रदेश के मन्त्रियों को और वहां बैठकर बातचीत करके इस योजना को हाथ में ले लेने की चेष्टा की जायगी। मैं समझता हूं कि इससे उन्हें भी फ़ायदा होगा, हमारे बुन्देलखंड का भी फ़ायदा होगा।

लिफ्ट कैनाल की बात शर्मा जी ने कही। मैं इस सम्बन्ध में कुछ थोड़ी सी जानकारी करा दूं। हमारे बांदा के भाई लोग भी बोले हैं तो कुछ योजनायें बनायी गयी। हमीरपुर जिले में रमेडी, पुल्ली, बिलौटा, और चन्नी, यह सब लिफ्ट योजनायें हैं। जालौन में बजमन, बेरा, आदि, झांसी में इसी तरह से और बांदा में बनकट आदि, फ़तेहपुर में तनमोली साउथ और तनमोली नार्थ आदि करीब ८०, ८२ लिफ्ट योजनायें हम लगा चुके हैं। साथ ही जैसे-जैसे धन का प्राविधान होता चलेगा हम इसे लेते चलेंगे। हम जानते हैं और खाली बुन्देलखंड के इलाके में यह बात नहीं है, बहुत से इलाकों में जहां से नदियां बह रही ह वहां के लिये लिफ्ट सिंचाई योजना चालू हो सकती है। मिरजापुर के लिये हम ऐसी चेष्टा कर रहे हैं कि सोन से पानी उठाया जाय। करोड़ों रुपये खर्च की जरूरत है। सूखा पड़ता रहता है, आप लगान माफ़ करते हैं, सस्ते गल्ले की दूकानें खुलवाते हो, पीने के लिये पानी नहीं मिलता तो लाखों रुपया खर्च करके पानी पहुंचाते हो। लेकिन मान्य वर, भारत सेवक समाज के जरिए या रिलीफ़ कमेटी में आप रहे हैं उससे आप को अनुभव होगा कि अगर सोन से पानी उठा लिया जाय

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

और बंधों में भर दिया जाय तो फ़िर उस इलाके की सारी दिक्कत दूर हो जाय। मैं यह बता दूं कि हमारा एक डिवीजन उसके सर्वे करने के लिये कायम हो गया है। केन्द्रीय सरकार ने भी वादा किया है कि इसका प्रोजेक्ट बना लो, हम उसमें मदद करेंगे। वह इलाका ऐसा जरूर है जिसमें अगर हम मदद करते नहीं हैं तो उस पर सरकार की करोड़ों रुपया सालाना खर्च करना पड़ रहा है। तो चाहे वह योजना हमारी इकनामिक न भी हो तो भी ऐसे सूखे इलाके में जहां हमें प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये खर्च करना पड़ता है हम क्यों न कोई ऐसी स्कीम ले लें जिससे कुछ लोगों को राहत हो जाय और इसीलिये हम वहां लिफ्ट सिंचाई की योजना चलाने जा रहे हैं।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मैं उप मुख्यमन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि जहां नहरें बन रही हैं वहां किसानों की जमीन पर बिना मुआविजा दिये हुये ही नहरें खोद रहे हैं तो जब तक वहां के किसानों को मुआविजा न मिल जाय तब तक वहां उनकी जमीनों पर नहरें नहीं खुदनी चाहिये। किसानों की बहुत सी ऐप्लीकेशंस मेरे पास आयी हैं। मैं आप से यह निवेदन करूंगा कि पहले मुआविजा बट जाय तब नहर का काम शुरू हो, ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैं इस शिकायत को स्वीकार करता हूं। मुझे यह कहने में संकोच नहीं है। यह विभाग के लिये कोई गौरव की बात नहीं है कि किसानों की जमीन ले ली जाय और उनका मुआविजा २, २ और ४, ४ वर्ष तक न मिले। यह शर्म की बात है। अगर कहीं पर ऐसा है कि जमीन ले ली गई और जमीन पर नहर खुद गई और मुआविजा नहीं दिया गया, कागजात दुरुस्ती नहीं हुई और किसानों से ८, ८, १०, १० वर्ष तक लगान वसूल किया जा रहा है तो यह लज्जा की बात है। मैं आप से निवेदन करूंगा कि मैं अवश्य इस बात को देखूंगा कि अगर कहीं पर इस तरह की चीज है तो उसको सुधारा जाय और किसानों का मुआविजा जल्दी से मिल जाय।

श्री दीपनारायणमणि (जिला देवरिया)—

देवरिया जिले में ३० हजार एकड़ जमीन बड़ी गंडक के लिये और १० हजार एकड़ गोरखपुर में ली गई है। जब मन्त्री जी वहां गये थे तो उनसे प्रार्थना की थी कि जमीन सामूहिक रूप से ली जाय क्योंकि अभी चकबन्दी हुई है तो मन्त्री जी ने क्या इस पर विचार किया कि अलग अलग जमीन न लेकर सामूहिक रूप से ली जाय?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सारे गांव की जमीन तब ली जा सकती है जब चकबन्दी वहां न हुई हो। अगर चकबन्दी हो चुकी है तो फ़िर नई चकबन्दी कराई जाय। मणि जी के जिले में यह मांग रही है कि वहां पर फ़िर से चकबन्दी कराई जाय.....

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

मैं आप के जरिये से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय चन्द्रभानु गुप्त ने अपनी सीट छोड़ दी है जो माननीय कमलापति जी को अपनी जगह दे दी है?

श्री अध्यक्ष—

कृपया बीच में न टोकें।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, मैंने सोचा कि सिंचाई की बात होते होते यह बाढ़ कहां से आ गई? मैं यह कह रहा था कि ऐसे सवाल बीच में आ जाते हैं कि जहां पर चकबन्दी नहीं हुई है वहां पर

कराई जाय ताकि सारे क्षेत्र पर वह भार पड़ जाय। जहां पर हो चुकी है वहां कराई जाय या नहीं यह तो कानून की बात है। कानून कहता है कि नहीं हो सकती है। जहां तक मुआविजे का सवाल है, मुआविजे की रकम जल्दी से जल्दी देनी चाहिये। बिना दिये हुये नहर न खुदे यह कठिन है.....

श्री बांकेलाल—

मुआविजा दिया नहीं और जबरदस्ती फ़सल काट लेते हैं। यह धांधली है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैं इसको स्वीकार करता हूं। १०-१५ एकड़ जमीन ली गई है तो उसका मुआविजा काफ़ी बंट गया है। कुछ बाकी है वह भी जल्द से जल्द बांटने की कोशिश है। १ १/२, दो महीने के अन्दर यह मुआविजा बंट जायगा।

रामगंगा की बाढ़ के बारे में यहां पर कुछ बात कही गई। बाढ़ आई। मैं सदन से निवेदन करूं कि इससे लाखों करोड़ों रुपये की मशीनरी बह गई ऐसी बात नहीं है जैसा कि यहां पर कहा गया। यह पहले से मालूम था। बांध की तलहटी में जो फ़िल्टर थे उनका इन्तजाम पहले से कर लिया गया था। यह पहले से मालूम था कि उसमें बाढ़ आयेगी। तो जो वहां मशीन वगैरह थी उसे पहले ही हटा दिया गया था। बाढ़ आयी, थोड़ा बहुत पानी घुसा जिससे फ़िल्टर जो बन रहा था उसका कुछ नुक्सान हो गया यह कल्पित बात थी कि पानी आने से काफ़ी नुक्सान हुआ। कोई बड़ा नुक्सान नहीं हुआ और जहां तक मशीन का सवाल है, पानी घुसने के पहले उसे हटा दिया जा चुका था, इसलिये माननीय सदस्यों की भ्रांति को दूर करने की मैंने चेष्टा की है।

बाढ़ की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। मेरे मित्र माननीय मैनेजर सिंह और बलिया के और लोगों ने बतलाया कि इस बार बाढ़ ने भयंकर रूप धारण किया है। बहुत जगहों से, चाहे बलिया हो, चाहे देवरिया हो, गोरखपुर हो, गोंडा हो, बहराइच हो, बाढ़ की बराबर खबरें आ रही हैं। बलरामपुर में आज पानी घुसने की खबर आयी है। आगरा में गम्भीरा नदी में राजस्थान का बांध टूट जाने से १३ मोरियों का पानी आ गया है। इसी तरह से बदायूं हो, चाहे इलाहाबाद हो, सब जगह से बराबर बाढ़ की खबर आ रही है। यह कहा गया कि करोड़ों रुपये के बांध जो बनाये गये थे नष्ट हो गये हैं। मान्यवर, सभी इस बात को जानते हैं कि खासकर देवरिया, गोरखपुर, गोंडा, बहराइच, आजमगढ़, बलिया, इन जिलों में बांध पहली पंचवर्षीय योजना में बने और उस समय सौभाग्य से यह विभाग मेरे ही पास था। उस समय गांवों को बाढ़ से बचाने के लिये गांवों को ऊंचा उठानेकी योजना बनायी गयी और इसके अन्तर्गत हजारों गांव ऊंचे किये गये। ये बांध भी उसी समय बने थे। जब ये बांध बने तो उस समय भी टेक्निकल राय यह थी कि बांध बन तो जायेंगे लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि नदी के कटाव होते रहेंगे और किनारे टूटते रहेंगे। इंजीनियरों की भी उस समय यही राय थी लेकिन हम लोगों ने कहा कि इस समय बने। इस तरह से १०-१२ वर्ष के बने हुए ये बांध हैं। बलिया-बैरिया बांध तो बहुत बड़ा बांध है और धनराशि तो मुझे याद नहीं है लेकिन काफी पैसे लगा कर बलिया से बैरिया तक बांध बना और मेरा ख्याल है कि ३०-४० फीट से भी ऊपर है और अब आने-जाने के लिये पक्की सड़क भी बना दी गयी है। जब वह बांध बन गया तब दोआबा के इलाके में गंगा का पानी आना रुक गया, तब शोर मचा कि हमारी सिंचाई नहीं होगी। क्योंकि वह इलाका ऐसा है जिसके लिये कहा जाता है कि वहां अरहर की फसल इतनी अच्छी पैदा होती है कि हौदे वाला हाथी भी अगर अरहर के खेतों से निकल जाय तो हाथी दिखलायी नहीं देता। जब पानी आना रुक गया तब रेगुलेटर

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

लगाने की बात सोची गयी ताकि गंगा का पानी भीतर न आ सके, साथ ही साथ कुछ ट्यूबवेल्स भी बन सकें। यह बांध कई वर्ष तक चलता रहा। इस समय गंगा का कटाव हो रहा है। और जो सूचना मेरे पास आयी है उससे मालूम होता है कि इस स्थान पर करीब-करीब आधा बांध गंगा ने काट दिया है लेकिन वहां पत्थर डाले जा रहे हैं और यह कोई नहीं कह सकता कि वह बंधा कब तक चल सकेगा। प्रयास हो रहा है कि बंधे को टूटने से रोका जा सके। बलिया-बैरिया बांध को बचाने के लिये रिटायर बांध बनाने की योजना बनाई गयी। रिटायर बांध ३-४ फर्लांग बांध की जगह से पीछे हट कर बनाया जाता है। लेकिन बलिया के लोगों की तरफ से इसका विरोध किया गया और यहां तक हुआ कि श्री चन्द्रिका प्रसाद मेम्बर पार्लियामेंट ने हमें यह चेतावनी दी कि अगर रिटायर बांध बना तो हम लखनऊ आकर भूख हड़ताल करेंगे। इसके विरोध में वहां की जनता की ओर से हाईकोर्ट में एक रिट दाखिल कर दी गयी जिससे उस बांध पर काम नहीं शुरू हो सका और अब जाकर हाई कोर्ट से वह रिट खारिज हो गयी है। रिटायर बांध का विरोध लोगों की तरफ से इसलिये होता है कि उसमें लोगों की बहुत अधिक जमीन चली जाती है। वह सेकंड लाइन आफ डिफेंस है लेकिन उसको बनाने से रोका गया। फिर यह सोचा गया कि बड़ी-बड़ी ठोकरें बना दी जायं। उन ठोकरों के बनाने के सम्बन्ध में बातचीत चल रही है, करीब डेढ़ करोड़ रुपये उसमें खर्च होंगे। अगले साल हम इस चीज को ले सकेंगे, भारत सरकार से अगर इसके लिये रुपया मिल गया और आशा है कि पैसे वे देंगे। साथ ही साथ बिहार सरकार से भी इसकी स्वीकृति मिल गयी है। पर इस बार भी हम उस को कर ही नहीं सकते थे। अब जितना किया जा सकता था वह किया जा रहा है बांध को बचाने के लिये। न घूसखोरी की बात है, न कोई धंधा है, गंगा की वजह से बरबादी न हो, यही खयाल है।

छितौनी बांध का भी जिक्र हुआ। उस रोज भी मैंने कहा था कि रेलवे लाइन कट न जाय उसका प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि उससे बड़ा भारी नुकसान हो जायगा। अब तक ऐसी उम्मीद है कि नहीं कटेगा यद्यपि नारायणी का बड़ा भारी प्रकोप उस बांध पर हो रहा है। ऐसे ही घाघरा का मामला है, हमारे भाई चौधरी साहब ने जो मकान बना रखा है गंगा के किनारे ऐसे ही उसका कटाव है, घाघरा का किनारा है। जहां कटान नहीं हो रहा है वहां उसको मजबूत करा ही देंगे। बदायूं का एक बांध था, वहां के लोगों ने रिटायर्ड बांध बनाने की मुखालिफत की, कहा कि टूट जायगा। फिर प्रस्ताव पास किया कि टूट जाय तो टूट जाने दो। अब कहते हैं कि बना दो। पानी हटे तो हम रिटायर्ड बांध बना दें। तो नदियों का खेल हो रहा है, वह इंसान के हाथ में नहीं है और यह पता नहीं है कि बड़ी-बड़ी नदियां किधर से काट करेंगी, कहां को बहेंगी। इन्सान जो प्रबन्ध कर सकता है वह किया जा रहा है। १० वर्ष से जो खतरा आ रहा है उसको रोका जा रहा है। नये अनुसंधान के मुताबिक हम साधन बना रहे हैं। चौथी सारी योजना में ८ करोड़ केवल बाढ़ से बचाव के लिये रखा गया है। हम तो मांग करने जा रहे हैं कि हमें और रुपया मिले, क्योंकि हमारे सूबे में खासा इलाका ऐसा है जो बाढ़ से प्रभावित होता है। एक बलिया-बैरिया बांध है उस पर हर साल डेढ़-पौने दो करोड़ रुपया खर्च होता है तो ५ वर्ष में ही ८ करोड़ से ज्यादा हो जायगा। मांग करना हमारा काम है, तब लोग कहते हैं कि भीख मांगते हो, लेकिन देना किसी दूसरे का काम है। कई वर्षों के बाद पानी बढ़ा है, यह सभी को मालूम है। मैं मान सकता हूं कि पिछले ३-४ साल से सूखा रहा तो विभाग भी आश्वस्त रहा, लोग भी आश्वस्त रहे हैं कि बाढ़ इधर आयी नहीं तो उतनी मरम्मत भी नहीं की गयी, उतना रख-रखाव भी नहीं रहा होगा। यकायक पानी बरसा है तो ध्यान जा रहा है और हम आशा करते हैं कि हम अपनी शक्ति भर इस आपदा से बचने की कोशिश करेंगे।

थोड़ी सी बात बिजली के बारे में कहना चाहता था। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की रिपोर्ट आज आ गयी है। उस पर अलग से एक दिन नियम बंधा है कि बहस होती है और होगी। हमारे एक साथी ने कहा था कि कई साल से वर्कचार्ज में लोग पड़े हुये हैं और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से मैंने निवेदन किया था कि कई चीजें ऐसी हैं जिन्हें हमें करना है और करना चाहते हैं। एक

तो यह है कि जो कम्पनियां नयी ले ली गयी हैं बिजली कम्पनियां तो उनके १५–१५ वर्ष के कर्मचारी भी ले लिये हैं। अगर उनको सर्विस की कंटीनुइटी न रखी जाय और नया अप्वाइन्टमेन्ट माना जाय तो लोग बड़े हतोत्साह हो जायंगे, इस मामले को हम देख रहे हैं। बोनस के मसले को देख रहे हैं। यह मांग है कि वर्कचार्ज के लोग रेगुलर किये जायं, क्योंकि जितनी मेंटीनेंस है वह तीन साल के बाद रेगुलर कर दी जाती है फिर भी जो रेगुलर नहीं हैं उनको हम रेगुलर करते चले रहे हैं।

वेतन हम उनको वही देते हैं जो रेगुलर का है क्योंकि यह सिद्धान्त स्वीकार कर के चलते हैं कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिले चाहे वह वर्कचार्ज में हो या रेगुलर में हो। शायद माननीय सदस्य यह जानते हों कि आज हमारे पास जितनी बिजली है उससे बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत है। हमारी चौथी पंचसाला में जो नई योजनाएं चल रही हैं जैसे जमुना हाइडिल की, यह अभी पूरी होने वाली नहीं है। उसके कई स्टेज हैं। एक स्टेज पूरा हुआ है और दूसरा और तीसरा स्टेज अभी पूरा होना है। इसमें कुछ समय लगेगा। जैसे रामगंगा की योजना है, ओबरा के पावर हाउस को बढ़ाने की बात है, हरदुआगंज के पावर हाउस को बढ़ाने की बात है। आज हमारे पास करीब १२०० मेगावाट बिजली है और चौथी पंचसाला तक ११००, ११५० मेगावाट और बढ़ जायगी। इतने पर भी हमारा अन्दाज है कि चौथी पंच वर्षीय योजना तक पहुंचते पहुंचते करीब चार साढ़े चार सौ मेगावाट बिजली कम पड़ जायगी।

एक सदस्य—

अध्यक्ष महोदय, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। हमारे आजमगढ़ जिले में मिर्जापुर ब्लाक में नहर सन् १९५५ की खुदी हुई है और सारा रुपया खर्चा होने के बावजूद भी वह नहर चालू नहीं हुई। लगभग हजारों मन गल्ले का प्रतिवर्ष नुकसान होता है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

आप मुझे लिख कर दे दीजियेगा, मैं तत्काल कार्यवाही करूंगा कि क्यों यह काम नहीं हो पाया है।

तो मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहां आटोमेटिक इनर्जी का प्लान्ट आये अगर भारत सरकार बनाने जा रही है। वह कहते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है। एक मिला है नरौरा में और उससे हम चौथी पंचवर्षीय योजना में जो कमी होगी उसको हम कुछ पूरा कर सकेंगे। कोई कारण नहीं है कि यू० पी० में वह न लगे जब और जगह वह लग सकता है।

बिजली के वितरण की धांधली के विषय में शिकायत की गई। बहुत कुछ हम जानते हैं और विभाग के लोग भी जानते हैं और बड़े अधिकारियों से मैंने बात भी की है और हम इस प्रकार की चेष्टा कर रहे हैं कि वह धांधली कम की जाय, नीचे के स्तर पर या ऊंचे स्तर पर जहां कहीं भी वह हो।

मान्यवर, ट्रान्सफार्मर्स की चोरी की बात कही गयी। हम यह बात मानते हैं कि किसान उसके लिये दुबारा पैसा दे, बड़ा मुश्किल है। मगर हम यह भी जानते हैं कि हर रोज ट्रांसफारमर चोरी होते रहते हैं और हमारी सरकार या एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड नये ट्रांसफारमर जो छः छः हजार रुपये के आते हैं खरीद कर लगाती रहे तो यह भी बड़ा मुश्किल है। इसे किस प्रकार रोका जाय कि चोरी न हो इस पर हम विचार कर रहे हैं कि किसको सजा दें, किसके ऊपर जिम्मेदारी ठहरावें।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि हमारे अनुदान को स्वीकार करें । भला सिंचाई विभाग के अनुदान को हमारे मित्र, हमारे पुराने साथी जो हैं वह काटकर क्यों कोई नुकसान पहुंचायेंगे ? हमारी प्रार्थना है कि कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें ।

एक सदस्य—

अध्यक्ष महोदय, पूर्वी और पश्चिमी जिले ले लिए गये और बीच के जिले जैसे रायबरेली, प्रतापगढ़ आदि के बारे में कुछ नहीं कहा गया । वहां एक भी ट्यूबवैल नहीं लगा है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३१ के अधीन सम्पूर्ण धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सख्या ३१—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १६,८८,८६,१०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३२ के अधीन संपूर्ण धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३२—सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखा अनुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ६,८६,४६,२०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४८ के अधीन संपूर्ण धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४८—बहु-प्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ७,८५,८१,०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४९ के अधीन संपूर्ण धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

( प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ )

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४९––सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ९,६२,७४,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## लखनऊ में शिया–सुन्नी झगड़े के सम्बन्ध में कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष––

आज नियम ५६ के अन्तर्गत तीन सूचनाएं प्राप्त हुई थीं। श्री माधव प्रसाद, श्री डी० पी० बोरा, सिया सुन्नी के सम्बन्ध में हैं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)––

अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि आप कोई फाइनल आज्ञा दें मेरी बात एक बात सुन लें। यह सीट है गवर्नमेन्ट की। यह राजधानी है। यहां मुख्य मन्त्री रहते हैं, होम मिनिस्टर रहते हैं। सिया सुन्नी का झगड़ा महीनों से चल रहा है। बन्दूकें चल चुकीं, छूरे चल चुके। अशांति थी और पुलिस कंट्रोल नहीं कर सकी। कल फिर दंगा हो गया इसलिए आपसे निवेदन है कि आप समय दें और इस प्रस्ताव को मंजूर करें।

श्री अध्यक्ष––

नियम ५२ के अनुसार लिया था, लेकिन दुर्भाग्य से यह उस दिन नहीं आ पाया। मैंने इसको सोमवार को रख दिया है। अगर मुख्य मंत्री जी स्वीकार कर लें तो उसी दिन वक्तव्य होगा और बहस भी हो जायगी।

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)––

अध्यक्ष महोदय, मेरा आप से निवेदन है कि अगर आप मेरी उपस्थिति इसमें अवाश्यकीय समझते हैं और जिसे मैं स्वतः आवश्यकीय समझता हूं तो यह २६ को भी नहीं लिया जा सकता है। यह २८ को ही लिया जा सकेगा, क्योंकि मैं २५ व २६ को लखनऊ में नहीं रहूंगा।

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)––

अध्यक्ष महोदय, यह मेरे क्षेत्र का वाकया है और मैं अभी वहां से भागा आ रहा हूं। वहां बड़ा तनाव है और रात में क्या हालत होगी, कोई नहीं जानता। इसलिये मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि आज ही इसको डिस्कस करा दें और मुख्य मन्त्री जी की तरफ से ऐसा कदम उठाने का आश्वासन दिलवायें जिससे वहां कोई अशांति नहीं होगी। ऐसी स्थिति उस क्षेत्र में पता नहीं किस दूसरे क्षण क्या हो जाय। दोनों की तरफ से तैयारियां हैं। शिया सुन्नी का मामला बहुत ही गम्भीर है। इस विषय पर आज ही बहस होनी चाहिए।

श्री मनोहरलाल (जिला कानपुर)—

शिया सुन्नी झगड़ा बहुत अर्से से चल रहा है। इस झगड़े को करीब ४ महीने हो गये हैं और स्थिति बड़ी तनावपूर्ण है। लखनऊ शहर की स्थिति यह है कि पता नहीं किस वक्त क्या घटित हो जाए। कल एक आदमी मारा गया, चाकू चले और आग लगायी गयी। हम चाहते हैं कि मुख्य मन्त्री यहां मौजूद हैं, वे इस सिलसिले में सदन को आश्वासन दे दें और सो वार तक तो बहुत देर हो जायगी। सोमवार तक पता नहीं क्या हो जाए उनका आश्वासन देना बहुत ही जरूरी है। इस समय जो अन्देशा हो रहा है, वह नहीं होना चाहिए। शांति का वातावरण स्थापित होना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिले।

श्री डी० पी० बोरा—

आज सुबह भी एक वारदात हुयी है। मोहम्मद उमर नाम के एक व्यक्ति को छूरा मारा गया।

श्री बंशगोपाल शुक्ल (जिला लखनऊ)—

पुलिस वालों ने एक आदमी को पकड़ा और उसको बुरी तरह से पिटवाया। पुलिस की इतनी ज्यादती हो रही है कि हम बखान भी नहीं कर सकते हैं। मुझे बड़ा अफसोस है कि ४ महीने से शिया-सुन्नी झगड़ा चल रहा है। दूसरी बात में यह अर्ज करना चाहता हूं कि राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। सब प्राविंसेज ने इसके बारे में प्रस्ताव पास कर के भेजे और हमारी विधान सभा ने आज तक कोई प्रस्ताव पास कर के नहीं भेजा। इसको भेजना चाहिये।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

यह प्रश्न नियम ५२ में लगा हुआ है। मुझे बड़ा खेद है कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इस प्रश्न पर बहस उस दिन भी स्थगित कर दी गयी थी और कुछ कारणवश यह विषय उस दिन न लिया जा सका। सरकारी पक्ष को यह मालूम था कि दफा ५२ के अन्तर्गत इस मसले पर बहस होने वाली है। मुझे इस बात का दुःख है कि फिर भी सरकार ने ऐसे उचित कदम न उठाये और घटनाएं हो गयीं जो कि नहीं होनी चाहिए थीं। मैं इस बात के लिए तैयार हूं कि इस मसले पर बहस हो जाए और पीर तक तो इसको बिल्कुल ही न टाला जाए कम से कम आप इतना ही कर दें कि जिस दिन के लिए आपने इसे फिक्स कर दिया है, वही रहे। २५ अगस्त के बाद इसे ले जाना बिल्कुल ही अनुचित होगा। मैं तैयार हूं कि आज आप साढ़े पांच बजे के बाद बैठ जाएं और इसे ले लें।

श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

मैं चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री सदन में यह आश्वासन दें कि आज पर्याप्त पुलिस की व्यवस्था मौलवीगंज, चौक और नक्खास में करेंगे। आज मैंने देखा है कि इन एरियाज में मेरे सब स्कूल बन्द कर दिये गये, क्योंकि वहां जनता में बड़ा टेंनशन है। दूसरा सुझाव मेरा यह था कि यह सदन माननीय श्री वी० वी० गिरि की जीत पर बधाई का प्रस्ताव पारित कर के भेजे। इस तरह का प्रस्ताव भेजना बहुत ही उपयुक्त होगा, क्योंकि दूसरे राज्यों से भी इस तरह के प्रस्ताव भेजे गये हैं।

श्री अध्यक्ष—

एक तरफ तो आप बहुत बड़ा खतरा बता रहे हैं और दूसरी तरफ आप बधाई के प्रस्ताव की बात कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, सचमुच यह मामला बहुत गम्भीर है। शिया-सुन्नी झगड़ा बहुत अर्से से चला आ रहा इस सिलसिले में इश्तहार बाजी हुयी और वारदातें हुयीं। २६ मई को एक

बड़ी वारदात हुयी और उसके बाद से ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनमें लोगों की जानें गयीं और उनको बराबर चोटें पहुंचती रही हैं। आज भी लखनऊ में हड़ताल चल रही है मुसलमानों के एक तबके की। तो ऐसी हालत में जितना भी आप टाइम बढ़ाएंगे उससे इन लोगों में उतनी ही कशीदगी बढ़ती चली जाएगी। दोनों फिरकों में तनाव बराबर बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए मेरा आप से निवेदन है कि आप इस मसले को गम्भीरता और संजीदगी से लें, क्योंकि आज का एटमास्फीयर बड़ा ही टेन्स है। चूंकि मुख्य मन्त्री जी को २६ व २७ अगस्त को मौका नहीं मिलेगा इसलिये वे इस विषय को २८ अगस्त को लेना चाहते हैं मगर मेरी प्रार्थना यह है कि एक-एक मिनट की देर बड़ी अहम है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप देर तक बैठ लें और इस पर विचार कर लें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के माननीय सदस्यों से विनती करूंगा कि वह आज या दो एक रोज तक इस विषय की चर्चा न करें। सरकार ने अधिकारियों को कुछ आदेश दिये हैं और अधिकारी उन आदेशों के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं। यहां कोई भी आप बहस करेंगे, कोई अधिकारी की नुक्ता चीनी करेंगे या किसी तबके के सिलसिले में, उसकी ज्यादतियों के सिलसिले में कोई बात चीत करेंगे, तो अधिकारियों को निरुत्साहित या तबके के लोगों को उत्तेजित करेंगे। यह कुछ दूरदर्शिता नहीं होगी इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस विषय की चर्चा आज न होनी चाहिये और जहां तक इस बात की मांग है कि उन स्थानों पर जहां कि दंगा बढ़ने का कोई खतरा है पुलिस का काफ़ी इंतजाम होना चाहिये, उसके लिये मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन सरकार की तरफ़ से देना चाहता हूं कि सरकार पूरी तरह से इस बात का इंतजाम करेगी कि यह जो झगड़े कल हुये, वह और अधिक क्षेत्रों में बढ़ने न पावें।

श्री डी० पी० बोरा—

माननीय मुख्य मंत्री जी से आपके माध्यम से इतना जानना चाहूंगा कि मई से लेकर अब तक जो आदेश नहीं दिये गये थे, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उन लाड़ले लोगों को गिरफ्तार करने के, जो दोनों फ़िरकों के हैं और जिन दोनों का मुख्य मंत्री से संबंध है, उनकी गिरफ्तारी के आदेश अगर दे दिये गये हैं तो मुझे इत्मीनान है कि झगड़ा आगे नहीं होगा और अगर नहीं दिये हैं तो मैं इत्मीनान दिला दूं कि यह बात और आगे बढ़ेगी। यह माहौल है, यह फिजा है तो जो चलाने वाले हैं उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुयी है। इन दोनों फ़िरके के लोग आपके अपने हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

मैंने जो ब्योरे से बातें अधिकारियों को बतलाई हैं, अध्यक्ष महोदय, मुझे उनको बतलाने की आवश्यकता नहीं है। आदेश अधिकारियों को यह हैं कि अपनी कार्यवाही से झगड़ा बढ़ने न दें। इन दो तीन महीनों में क्यों कार्यवाही नहीं हुई, इसके कुछ कारण थे। बहुत से लोग इस बात की चेष्टा में लगे हुये थे कि शिया-सुन्नी के जो झगड़े हैं वे आपस में तय हो जावें। कई बाहर के लोग और कई यहां के लोग इस बात के प्रयत्न में लगे रहे परन्तु यह हमारे लिये शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि आपस में बैठकर इन लोगों ने अपना कोई फ़ैसला नहीं किया और बराबर अपनी जिद पर रहे। कोई अलम निकालने के सिलसिले में जिद करता था, कोई मिलाद के सिलसिले में जिद करता था। सरकार ने यह कहा था और आज भी कहती है कि २५ मई से पहले जिस तरह से जो अधिकार यह लोग बरत रहे थे, चाहे शिया हों चाहे सुन्नी हों, बरतते रहें। इन बातों की तहत में अधिकारियों से समय समय पर बात की थी लेकिन हमेशा इस बात की चेष्टा की थी कि कोई झगड़ा यहां होने न पावे। सुन्नी लोग अपनी मिलाद कर लें और शिया लोग अपने अलम निकाल लें। उनके कस्टमरी ढंग से निकलते हैं। उन्हीं

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

बातों को लेकर झगड़ा प्रारम्भ हुआ था और इन तीन महीनों में सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं ने, बाहर और यहां के नेताओं ने, यह कोशिश की कि दोनों मिलकर रजामन्द हो जावें परन्तु आपस में कोई फैसला नहीं हुआ। अब कल जो दुर्घटना हुयी है उससे अधिकारियों को ताकीद की गई है कि वह इस मसले का निपटारा इस माने में करें कि झगड़ा न बढ़े। यह दंगे हमारे शहर में बढ़ने न पायें, उभरने न पायें और चाहे 'अ' समुदाय का, चाहे 'ब' समुदाय का धर्मावलम्बी कोई बड़े से बड़ा क्यों न हो अगर कोई हरकत करे या जिसके बारे में शक हो तो उसे वहां रख दिया जाय जहां उसकी जगह होनी चाहिये, इस झगड़े को दूर करने के लिये।

श्री बंशगोपाल शुक्ल—

क्या अधिकारियों को यह भी आदेश दे दिया है कि घरों से लोगों को थाने में लाकर पीटा जाय ?.....

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठिये, मैं आज इसको नहीं ले रहा हूं।

## बलिया-बेरिया बांध टूटने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब नियम ५२ के अन्तर्गत शम्भूनाथ चौधरी ने दिया था बलिया-बेरिया बांध का बाढ़ के कारण टूटना। इसके संबंध में मैंने यह कहा था कि प्रश्न कर लें। राजस्व मंत्री जी २५ तारीख को एक वक्तव्य दे ही रहे हैं। माननीय उप मुख्य मंत्री जी ने कुछ थोड़ा बहुत कह ही दिया है। यह मैंने स्वीकार नहीं किया।

## इलेक्ट्रिक स्टीम पावर हाउस, मऊनाथ भंजन में ४ लाख रुपये के सामान की खरीद में अनियमितता के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब नियम ५१ में सर्वश्री अनन्तराम जायसवाल, गया प्रसाद, नगीना सिंह, रूपनाथ सिंह यादव व शिवकैलाश का है कि इलेक्ट्रिक स्टीम पावर हाउस, मऊनाथ भंजन, जिला आजमगढ़ में ४ लाख रुपये के सामान की खरीद में बरती गयी अनियमिततायें। मैंने इसको स्वीकार किया है और २६ तारीख के लिये रखा है वक्तव्य देने को।

## नियम ५१ के अन्तर्गत अन्य सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

इसके बाद कल्यान सिंह जी का है अलीगढ़ जिले के थाना अकबराबाद चौकी, वाजिदपुर के हेड कांस्टीबिल व एक सिपाही द्वारा ग्राम नरहापुर दोस्तपुर के श्री नत्थू सिंह की पत्नी श्रीमती कटोरी देवी को श्री महावीर सिंह के मकान में जबरदस्ती बन्द करके मारना व उसके साथ बलात्कार करना। नियम ५१ में एक ही स्वीकार हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता, तो यह मैंने स्वीकार नहीं किया है। इसके बाद सर्वश्री शचिन्द्रनाथ बख्शी, कृष्ण स्वरूप वैश्य व मोहनलाल कपूर का है लखनऊ में २१ अगस्त को शिया-सुन्नी का झगड़ा। यह तो मैंने कह दिया कि आज उसको नहीं ले रहे हैं, कोई दूसरा दिन मुकर्रर किया जायेगा। इसके बाद श्री रूपनाथ सिंह यादव का है, इलाहाबाद जनपद का गंगा-जमुना की बाढ़ की चपेट में आना। इसके बारे में भी राजस्व

मंत्री जी २५ तारीख को सूचना देंगे। फ़िर सर्वश्री निर्भय नारायण सिंह, जगन्नाथ चौधरी, बच्चा पाठक व नगीना सिंह का है, बलिया-बेरिया बांध का बाढ़ के कारण बह जाना। इसके बारे में भी राजस्व मंत्री जी २५ तारीख को वक्तव्य देंगे। उसके बाद श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी का है—झांसी के ललितपुर की शहजाद नदी में भयंकर बाढ़। यह कल आयी हुयी चीज है। इसलिये मैंने उनको सलाह दी है कि अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर लें। लेकिन अगर राजस्व मंत्री जी समझते हैं कि बाढ़ भयंकर है तो २५ तारीख को सूचना दे दें। इसके बाद सर्वश्री विजय बहादुर सिंह, सूबेदार प्रसाद व राम निहोर राय का है, गाजीपुर में गंगा की बाढ़ से फ़सल को हानि। इस में भी राजस्व मंत्री जी अगर जबरदस्त बाढ़ है तो २५ तारीख को सूचना दे दें और कम है तो २६ तारीख को सब जानकारी हासिल करके दे दें। फिर सर्वश्री मनोहर लाल, मो० असरार अहमद, वीरेन्द्र वर्मा, बिहारी लाल, डी०पी० बोरा, आशाराम इन्दु, लक्ष्मण स्वरूप व नैपाल का है नगर महापालिका द्वारा लाल बंगला स्थित राम औतार व मोती लाल की दुकानें बिना पूर्व नोटिस के गिराया जाना। इसके बारे में मैंने इन से कहा कि है कि आप प्रश्न पूछ लें। इसके बाद श्री शम्भूनाथ चौधरी का है, बलिया शहर में श्री बैजनाथ प्रसाद के मकान को किरायेदार, खाली कराने के लिये गुन्डों द्वारा गिराया जाना और पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न किया जाना। इस विषय में भी उनको प्रश्न पूछना चाहिये। फ़िर श्री इन्द्रलाल का है, लखनऊ नगर महापालिका के भवन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा प्रमाणित प्रतिलिपि देने में गैर कानूनी शुल्क व स्टाम्प का लिया जाना। इस विषय में भी वह प्रश्न पूछ लें। सर्वश्री बंशगोपाल शुक्ल व सच्चिदानन्द गुप्ता का है, लखनऊ के लाल कुआं व गन्ने वाली गली में स्थित शराब के ठेके का हटाया जाना। इसमें भी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके बाद श्री तिरमल सिंह का है, एटा की कासगंज नगरपालिका के अध्यक्ष द्वारा अनियमित कार्य। इसमें भी वह अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री मनोहरलाल (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, हमने कल नियम ५२ के अन्तर्गत आदर्श बालिका विद्यालय, कानपुर के बारे में दिया था। उसका कुछ नहीं बताया गया।

श्री अध्यक्ष—

अगर आपको सूचना नहीं मिली तो मैं आपको कल बता दूंगा उसके बारे में।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

अध्यक्ष जी, मैंने माननीय उप मुख्य मंत्री जी से आश्वासन मांगा था कि वे बलिया चलें और वहां पर बाढ़ की स्थिति को देखें। बलिया-बेरिया बांध आज ३ जगह से कट चुका है और बलिया का आधा भाग पानी में डूब रहा है। मैं चाहता हूं कि माननीय उप मुख्य मंत्री जी वहां चल कर उसे देखें और वहां के लिये कोई शीघ्र प्रबन्ध करें।

उप मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

जैसे ही अवसर मिलेगा, मैं वहां चल कर देखूंगा। तारीख तो इस समय नहीं बता सकता, लेकिन माननीय सदस्य ने जो कुछ बताया है वह मैं सही मानता हूं। इसमें दो रायें नहीं हैं कि वहां खतरा पैदा हो गया है, लेकिन जितना जो कुछ मुमकिन है वह सारा प्रबन्ध हम कर रहे हैं। मैंने आज भी बात की है। मैं वहां जाने की भी जल्दी ही कोशिश करूंगा।

श्री कल्यान सिंह (जिला अलीगढ़)—

अलीगढ़ की एक घटना के बारे में मैंने निवेदन किया था (शोर के बीच) कि वहां पर एक स्त्री को एक कांस्टेबिल उठा कर ले गया और उसने उसका शीलभंग किया। आज एक पुलिस कांस्टेबिल से लेकर अधिकारियों तक का यह काम हो गया है। बटलर पैलेस में हुआ, और हर जगह हो रहा है....

श्री अध्यक्ष—

इसी तरह का एक और प्रस्ताव है। २५ तारीख के लिये मैंने उसको रखा है। उसी दिन आपको भी मौका मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री तिरमल सिंह (जिला एटा)—

अध्यक्ष महोदय, मैंने नियम ५१ के अन्तर्गत एक लिखित प्रश्न दिया था और उसमें आरोप था। उस पर क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने यह कहा था कि अल्पसूचित प्रश्न ले लिया जायगा। वह आपके लिये फायदे की चीज होगी।

(कुछ रुक कर)

अब हम उठते हैं और २५ अगस्त, १९६९ को साढ़े दस बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २६ मिनट पर सोमवार, २५ अगस्त, १९६९ के १०-३० बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
२२ अगस्त, १९६९।

देवकीनन्दन मिश्रल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा सचिवालय

## नत्थी 'क'

[देखिये नियम २९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५४३७ पर]।

प्रेषक

जिला विद्यालय निरीक्षक
बस्ती,

सेवा में

निबन्धक
शिवाजी जूनियर हाई स्कूल मुडिली पनमी
बस्ती।

पत्रांक शि० सं०/३६५२-६८-६९ दिनांक अक्तूबर २८, १९६८।

विषय—विद्यालय की मान्यता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, बस्ती द्वारा प्रस्तुत आख्या में निम्नलिखित कमियां दर्शायी गयी हैं। जिनके पूर्ति के पश्चात् ही मान्यता पर विचार किया जाना नियमित होगा। आशा है इनकी पूर्ति आप शीघ्र करके आख्या भेजने की कृपा करेंगे।

(१) सुरक्षित कोष में ५,००० रु० ही जमा किया गया है, परन्तु वह भी जिला विद्यालय निरीक्षक के पद में वधित नहीं कराया गया है। सुरक्षित कोष बढाकर १,००० रु० का किया जाय तथा उसे वधित भी कराया जाय।

(२) प्राभूत के भूमि को विद्यालय के नाम रजिस्टर्ड होना चाहिये। तहसीलदार द्वारा मूल्यांकन एवं आय भी प्रमाणित कराया जाय।

(३) छात्र संख्या कम है इसमें वृद्धि की आवश्यकता है।

(४) १२ छात्रों का प्रवेश बिना टी० सी० के ही कर लिया गया है जो नियम विरुद्ध है इनका नाम रजिस्टर से काट दिया जाय।

(५) अधिकतर अध्यापक अप्रशिक्षित हैं। अप्रशिक्षित अध्यापकों के स्थान पर प्रशिक्षित रखे जायं।

(६) भवन की स्थिति संतोषजनक नहीं है।

(७) छात्रों के बैठने हेतु काष्ठोपकरण की कोई व्यवस्था नहीं है। छात्र संख्या को देखते हुये इसकी व्यवस्था की जाय।

(८) उक्त शर्तों की पूर्ति के पश्चात् आख्या उप-विद्यालय निरीक्षक, बस्ती, के माध्यम से इस कार्यालय में प्रस्तुत की जाय।

अतः शीघ्र आख्या भेजने की कृपा करें जिससे विषय पर अतिशीघ्र निर्णय लिया जा सके।

भवदीय,
(ह०) एम० डी० शर्मा,
जिला विद्यालय निरीक्षक,
बस्ती।

## नत्थी 'ख'

[देखिये नियम २९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३७ पर]

### बलरामपुर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि०

१ अक्तूबर, १९६६ से ३१ मार्च, ६८ तक संचालकों को मार्ग व्यय, भत्ता जीप व मोटर साइकिल द्वारा दिये जाने का विवरण

| क्रम-संख्या | नाम संचालक | यात्रा की तिथि | भुगतान की तिथि | धन जो दिया गया टी०ए० | डी०ए० | योग | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
| | | | | रु० | रु० | रु० | |
| १ | श्री नवरंग सिंह .. | १६-११-६६ | २१-११-६६ | १६-०० | ३.०० | १९.०० | उत्तरौला शाखा का मुआयना। |
| २ | श्री नवरंग सिंह .. | २४-११-६६ | २५-११-६६ | २५.७५ | .. | २५.७५ | गोंडा शाखा का रोकड़ चेक करने। |
| ३ | श्री नवरंग सिंह .. | २५-११-६६ | २५-११-६६ | ८.०० | ३.०० | ११.०० | श्रीनगर समिति की वार्षिक सभा में भाग लेना। |
| ४ | श्री महेश्वर दत्त सिंह | २३-१२-६६ | २९-१२-६६ | १६.०० | ३.०० | १९.०० | गंगोली क्षेत्रीय सहकारी समिति का मुआयना। |
| ५ | श्री महेश्वर दत्त सिंह | २६-१२-६६ | २९-२-६६ | ५४.२५ | ३.०० | ५७.२५ | उप-निबंधक महोदय, फैजाबाद, के यहां आर्बीट्रेशन में श्री महेश्वरदत्त सिंह के नाम दिये गये यात्रा में जीप पर श्री नवरंग सिंह, श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री जगत नारायण तिवारी तथा श्री राम गोपाल सिंह संचालक भी साथ में आर्बीट्रेशन केस में गये थे। |

अ० विधान सभा

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ६ | श्री नवरंग सिंह .. | १९-३-६७ | २१-३-६७ | २५.७५ | ३.०० | २८.७५ | जिला परिषद्, गोंडा, के उपाध्यक्ष पद के चुनाव में । |
| ७ | श्री नवरंग सिंह .. | २८-३-६७ | ३०-३-६७ | ३८.५० | ३.०० | ४१.५० | करनैलगंज शाखा का मुआयना करने । |
| ८ | श्री नवरंग सिंह .. | २९-३-६७ | ३०-३-६७ | २५.७५ | ३.०० | २८.७५ | गोंडा शाखा का मुआयना करने । |
| ९ | श्री नवरंग सिंह .. | ३-४-६७ | ५-४-६७ | १७.०० | ३.०० | २०.०० | उत्तरौला शाखा का मुआयना करना । |
| १० | श्री नवरंग सिंह .. | १३-७-६७ | १४-७-६७ | २५.७५ | ३.०० | २८.७५ | गोंडा शाखा का मुआयना करने । |
| ११ | श्री रामदुलारे तिवारी .. | | ११-९-६७ | ४९.२५ | ३.०० | ५२.२५ | करनैलगंज शाखा का मुआयना करने मोटर साइकिल से । |
| १२ | श्री रामदुलारे तिवारी .. | | ११-९-६७ | ३८.५० | ३.०० | ४१.५० | गोंडा शाखा का मुआयना करने मोटर साइकिल से । |
| १३ | श्री नवरंग सिंह .. | १४-९-६७ | २०-९-६७ | २५.७५ | ३.०० | २८.७५ | सहायक निबंधक, गोंडा, के यहां रबी अभियान संबंधी परामर्श । |
| १४ | श्री नवरंग सिंह .. | १९-९-६७ | २०-९-६७ | २५.७५ | ३.०० | २८.७५ | उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक शाखा, गोंडा, में समितियों के हस्तान्तरण के बारे में । |
| १५ | श्री रामदुलारे तिवारी | १-९-६७ | २३-९-६७ | ३८.५० | ३.०० | ४१.५० | गोंडा शाखा का मुआयना करने मोटर कार साइकिल से । |
| १६ | श्री रामदुलारे तिवारी .. | | २३-९-६७ | ३१.७५ | ३.०० | ३४.७५ | उत्तरौला शाखा का मुआयना करने मोटर-साइकिल से । |
| १७ | तदैव .. | २३-९-६७ | २३-९-६७ | १७.०० | ३.०० | २०.०० | लोन सब कमेटी में भाग लेने मोटर साइकिल से । |
| १८ | श्री नवरंग सिंह .. | २३-९-६७ | २३-९-६७ | २५.७५ | ३.०० | २८.७५ | प्रबन्ध कारिणी समिति में भाग लेने । |
| १९ | श्री नवरंग सिंह .. | २९/३०-९-६७ | ३-१०-६७ | ४३.०० | ६.०० | ४९.०० | नवाबगंज शाखा के कार्यालय के लिये भवन देखने । |
| २० | श्री रामदुलारे .. | ३-१०-६७ | ६-१०-६७ | ३८.५० | ३.०० | ४१.५० | गोंडा शाखा के मुआयना हेतु । |
| २१ | श्री रामदुलारे तिवारी | ५-१०-६७ | ५-१०-६७ | १७.०० | ३.०० | २०.०० | लोन सब कमेटी में भाग लेने । |
| २२ | तदेव .. | १८-१०-६७ | २४-१०-६७ | ३१.७५ | ३.०० | ३४.७५ | उत्तरौला शाखा का मुआयना करने । |
| २३ | तदेव .. | २४-१०-६७ | २४-१०-६७ | १७.०० | ६.०० | २३.०० | संचालक मंडल की बैठक में भाग लिया । |

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| २४ | श्री नवरंग सिंह | .. १९-१०-६७ | २९-१०-६७ | २५.७५ | ३.०० | २८.७५ | उत्तर प्रदेश बैंक, गोंडा, में स्थानीय अनुशासन कमेटी में भाग लेना । |
| २५ | तदैव | .. २४-१०-६७ | २४-१०-६७ | २५.७५ | ६.०० | ३१.७५ | संचालक मंडल की बैठक में भाग लेने । |
| २६ | तदैव | .. २६-१०-६७ | २६-१०-६७ | २२.०० | .. | २२.०० | केन यूनियन, तुलसीपुर, में बैंक का बकाया वसूल करने । |
| २७ | तदैव | .. ३१-१०-६७ | ३-११-६७ | २९.६० | ६.०० | ३५.६० | गोंडा शाखा का मुआयना करने । |
| २८ | तदैव | .. ४-११-६७ | ४-११-६७ | २९.६० | ६.०० | ३५.६० | संचालक मंडल की बैठक में भाग लिया । |
| २९ | तदैव | .. ७-११-६७ | ९-११-६७ | २८.०० | ६.०० | ३४.०० | गोंडा बड़गांव क्रय विक्रय समिति के संचालक मंडल की बैठक में भाग लेने । |
| ३० | तदैव | .. ९-११-६७ | ११-११-६७ | १२२.४० | १२.०० | १३४.४० | उत्तर प्रदेश लखनऊ के जनरल मैनेजर से समितियों के हस्तान्तरण संबंधी बात करने । |
| ३१ | श्री राम दुलारे तिवारी | ४-११-६७ | ४-११-६७ | २२.४० | ६.०० | २८.४० | संचालक मंडल की बैठक में भाग लेने । |
| ३२ | श्री गिरजाबक्स सिंह | २५से२७-११-६७ | २८-११-६७ | २७.२५ | .. | २७.२५ | उत्तरप्रदेश सहकारी बैंक, लखनऊ, की वार्षिक सभा में भाग लेने, इन्होंने जीप का मार्ग व्यय अपने गांव से बलरामपुर तक का आने जाने का लिया । शेष यात्रा ट्रेन से की । |
| ३३ | श्री नवरंग सिंह | .. १-१२-६७ | २-१२-६७ | ८६.५० | ६.०० | ९२.५० | बैंक के आर्बीट्रेशन केस में बहराइच गये । |
| ३४ | श्री नवरंग सिंह | ६/७-१२-६७ | ११-१२-६७ | १६०-०० | २४-०० | १८४-०० | निबन्धक तथा उपाध्यक्ष प्रान्तीय यूनियन से सुपरवाइजरों को बैंक में लेने संबंधी प्रामर्श करने । |

अनुभव विधान सभा

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ३५ | नवरंग सिंह | १२-१२-६७ | १५-१२-६७ | ४३-०० | ६-०० | ४९-०० | बिशनीपुर सहकारी समिति की संचालक मण्डल में भाग लिया। |
| ३६ | नवरंग सिंह | १५-१२-६७ | १५-१२-६७ | २८-०० | — | २८-०० | उतरौला शाखा का मुआयना करने। |
| ३७ | नवरंग सिंह | १६ व १७-१२-६७। | १८-१२-६७ | १००-०० | १२-०० | ११२-०० | उप-निबन्धक महोदय, फैजाबाद, की मीटिंग में भाग लिया। |
| ३८ | नवरंग सिंह | १९-१२-६७ | २०-१२-६७ | ८१-०० | ६-०० | ८७-०० | बैंक के कार्य से नवाबगंज गये। |
| ३९ | नवरंग सिंह | २०-१२-६७ | २१-१२-६७ | ५३-०० | ६-०० | ५९-०० | पचपेड़वा क्षेत्रीय सहकारी समिति का मुआयना। |
| ४० | रामदुलारे तिवारी | ७-१२-६७ से १३-१२-६७ तक। | २३-१२-६७ | १८०-०० | २४-०० | २०४-०० | प्रधान कार्यालय, बलरामपुर, गोंडा शाखा और उतरौला शाखा का मुआयना। |
| ४१ | रामदुलारे तिवारी | ३१-१२-६७ | ३१-१२-६७ | २२-४० | ६-०० | २८-४० | संचालक मंडल की बैठक में भाग लिया |
| ४२ | रामदुलारे तिवारी | २५-१-६८ | २३-३-६८ | १८-४० | ६-०० | २४-४० | बीरपुर कलां क्षेत्रीय सहकारी समिति की वार्षिक सभा में भाग लेने। |
| | योग | .. | .. | .. १७५७-३० | २१३-०० | १९७०-३० | |

सत्य प्रतिलिपि

उप-निबन्धक (विकास)

सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश।

ह० अपठनीय,

मैनेजर

बलरामपुर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि०,

रा० नाथ। १९ अगस्त, १९६९

## नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३८ पर)

### प्रश्न संख्या १ के उत्तर में कथित सूचना का विवरण

प्रदेश में पांच सुपर बाजार, इलाहाबाद, देहरादून, लखनऊ, मेरठ तथा कानपुर नगरों में क्रमशः दिनांक २६ फरवरी, १९६७, १ जुलाई, १९६७, ३१ दिसम्बर, १९६६, २ सितम्बर, १९६७ व १६ जुलाई, १९६८ से कार्य कर रहे हैं। इन बाजारों में शासन का ३७.५८ लाख रुपया लगा है।

इन बाजारों में वर्ष १९६६-६७ में देहरादून व लखनऊ सुपर बाजारों से क्रमशः ७०,०२२.०० रु० व २०,२१५.०० रुपया लाभ हुआ। इलाहाबाद सुपर बाजार में हानि रही। वर्ष १९६७-६८ में देहरादून सुपर बाजार में ११,६४०.४५ रु० का लाभ हुआ पर इलाहाबाद, लखनऊ व मेरठ के सुपरबाजारों में हानि हुई।

वर्ष १९६८-६९ के लाभ हानि के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हुये हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३८ पर)

प्रदेश में थोक केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भण्डारों की सूची

| क्र० सं० | थोक भण्डार का नाम | निबन्धन तिथि | शासन द्वारा विनियोजित पूंजी (लाख रुपयों में) | १९६६–६७ | | १९६७–६८ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | लाभ | हानि | लाभ | हानि |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
| १—आगरा | .. | २६–३–६३ | ४ | .. | २२,१३८ | .. | ९७,७०२ |
| २—फिरोजाबाद | .. | २४–२–६४ | ४ | .. | २१,४७२ | .. | ९४,४७१ |
| ३—अलीगढ़ | .. | १०–१–६४ | ४ | .. | १४,५३६ | .. | २९,०५६ |
| ४—मथुरा | .. | २३–१२–६३ | ४ | १३,३३८ | .. | .. | ७५,०६७ |
| ५—एटा | .. | १६–२–६६ | १ | २,७०४ | .. | .. | २३,२४० |
| ६—मैनपुरी | .. | १२–८–६६ | १ | .. | २,६९६ | .. | ४७,३९० |
| ७—इलाहाबाद | .. | २९–३–६३ | ४ | .. | ५२,८०७ | .. | ८९,०८८ |
| ८—कानपुर | .. | २९–३–६३ | ४ | १४,३६९ | .. | ८,३९४ | .. |
| ९—फर्रुखाबाद | .. | ३–३–६४ | ४ | .. | ७०४ | .. | प्राप्त नहीं है |
| १०—इटावा | .. | २१–२–६४ | ४ | .. | १८,४७१ | .. | ७५,१४२ |
| ११—फतेहपुर | .. | २०–८–६६ | १ | १,४२९ | .. | .. | ११,२३० |
| १२—बरेली | .. | १८–३–६३ | ४ | .. | ३५,३४२ | .. | ९२,६२९ |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १३—मुरादाबाद | .. | १३-१-६४ | ४ | .. | ५३,९५० | .. | ५१,२३६ |
| १४—रामपुर | .. | ८-१-६४ | ४ | ८,४०० | .. | .. | ४५,२१३ |
| १५—शाहजहांपुर | .. | ११-१-६४ | ४ | .. | ३,१४२ | .. | ३०,२३२ |
| १६—बदायूं | .. | १६-३-६४ | ४ | .. | १८,१८५ | .. | १८,५३६ |
| १७—बीसीशीत | .. | १४-३-६४ | ४ | .. | ५२,९५५ | .. | ५३,८५२ |
| १८—बिजनौर | .. | १५-८-६६ | १ | ३,१६० | .. | .. | २७,९४४ |
| १९—फैजाबाद | .. | १३-२-६४ | ४ | ८,६६० | .. | .. | ३४,०१२ |
| २०—बहराइच | .. | २५-३-६४ | २ | ५,९२१ | .. | .. | ३४,६०८ |
| २१—गोंडा | .. | १२-८-६६ | १ | .. | ३,९४३ | .. | २७,१९१ |
| २२—बाराबंकी | .. | ३-८-६६ | २ | २६९ | .. | ३,३१५ | .. |
| २३—गोरखपुर | .. | २५-३-६३ | ४ | ५६,३०८ | .. | .. | ६६,४९९ |
| २४—देवरिया | .. | १४-८-६६ | २ | २२,६५६ | .. | .. | ५४,६५७ |
| २५—आजमगढ़ | .. | १२-८-६६ | १ | ७,५३० | .. | .. | ८,१९२ |
| २६—बस्ती | .. | १८-८-६६ | १ | १,९६७ | .. | .. | २५,८९७ |
| २७—झांसी | .. | ११-१-६४ | ४ | .. | ३७,६३६ | .. | ५७,४०९ |
| २८—हमीरपुर महोबा | .. | १-१०-६६ | २ | ९,३१८ | .. | .. | ३१,१४८ |
| २९—उरई (जालौन) | .. | ३१-८-६६ | २ | ४०,०१७ | .. | .. | १,६०,८७९ |
| ३०—बांदा | .. | ८-९-६६ | २ | १३,४२४ | .. | ९,८७९ | .. |
| ३१—हल्द्वानी | .. | १६-८-६६ | २ | ५,३६४ | .. | १,१२६ | .. |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ३२—लखनऊ | .. | २९–३–६३ | ४ | ३६,६६७ | .. | १५,१९० | .. |
| ३३—सीतापुर | .. | १४–२–६४ | ४ | ४,९६२ | .. | .. | २९,८३३ |
| ३४—हरदोई | .. | १५–८–६४ | १ | ७,६११ | .. | .. | २८,२३६ |
| ३५—खीरी | .. | १०–८–६६ | १ | २,२८० | .. | .. | ३,०७२ |
| ३६—मेरठ | .. | ३०–३–६३ | ४ | १२,३९१ | .. | .. | २,५२,७३० |
| ३७—गाजियाबाद | .. | १–३–६६ | २ | .. | ६,१७९ | .. | १६,८५० |
| ३८—हापुड़ | .. | १–१२–६६ | ०.९७५ | .. | २,५११ | .. | १८,३१४ |
| ३९—देहरादून | .. | १६–१२–६३ | ४ | ७०,०२२ | .. | ११,६४१ | .. |
| ४०—सहारनपुर | .. | ३–१२–६३ | ४ | ९,१७४ | .. | .. | ३०,३६० |
| ४१—हरद्वार (सहारनपुर) | | २२–३–६६ | २ | १२,९३६ | .. | .. | ७,२१८ |
| ४२—मुजफ्फरनगर | .. | १२–३–६४ | ४ | .. | ९,९६१ | .. | ७४,९५६ |
| ४३—बुलन्दशहर | .. | ६–८–६६ | १ | १७,५०५ | .. | .. | ५८,४०० |
| ४४—वाराणसी | .. | १८–३–६३ | ४ | .. | ४९,९८२ | .. | २७,२३५ |
| ४५—मिर्जापुर | .. | १५–१०–६३ | ४ | ५,०७७ | .. | .. | प्राप्त नहीं |
| ४६—जौनपुर | .. | १२–३–६४ | ३.१३० | .. | ३२,७७६ | .. | ३९,०३५ |
| ४७—गाजीपुर | .. | १८–८–६६ | २ | १९,२४४ | .. | ११,८३४ | .. |
| ४८—बलिया | .. | १८–८–६६ | २ | १६,२९६ | .. | .. | १८,८९३ |

अनुसंधान संस्था

## नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४३ पर)

### जिला अल्मोड़ा में भवन निर्माण हेतु अनुदान

**अनुसूचित जातियों के लिये**

| वर्ष | | स्वीकृत धनराशि | | उपभोग की गई धनराशि | | अनुपयुक्त धनराशि जो खजाने में जमा कर दी गई | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | राज्य योजना | केन्द्रीय योजना | राज्य योजना | केन्द्रीय योजना | राज्य योजना | केन्द्रीय योजना |
| (१) | | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) |
| | | रु० | रु० | रु० | रु० | रु० | रु० |
| १९६४–६५ | .. | ७,५०० | ३,००० | ७,५०० | ५,००० | — | — |
| १९६५–६६ | .. | ७,५०० | ३,६०० | ३,२२९ | ४९३ | ४,२७१ | ३,१०७ |
| १९६६–६७ | .. | इन वर्षों में भवन निर्माण हेतु कोई प्राविधान नहीं था। | | | | | |
| १९६७–६८ | .. | | | | | | |
| १९६८–६९ | .. | — | १,००० | — | १,००० | — | — |
| | | १५,००० | ७,६०० | १०,७२९ | ४,४९३ | ४,२७१ | ३,१०७ |
| | | **अनुसूचित जन जातियों (नान-शेड्यूल्ड ट्राइब्स) के लिये** | | | | | |
| १९६४–६५ | .. | २२,५०० | — | २२,५०० | — | — | — |
| १९६६–६७ | .. | २३,४०० | — | ११,२५० | — | १२,१५० | — |
| १९६६–६७ से | .. | इन वर्षों में भवन निर्माण हेतु कोई प्राविधान नहीं था। | | | | | |
| १९६८–६९ | .. | | | | | | |
| | | ४५,९०० | — | ३३,७५० | — | १२,१५० | — |

अनुभव विधान सभा

## परिशिष्ट 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४६ पर)

| क्रमांक | स्कूल का नाम | प्रबन्धक/प्रबन्धिका का नाम | वित्तीय वर्ष १९६८-६९ में प्रदत्त अनुदान | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| १ | इन्द्रा गांधी बालिका जूनियर हाई स्कूल, कानपुर। | श्रीमती सुशीला मेहरोत्रा। | शून्य | |
| २ | कमलापति त्रिपाठी जूनियर हाई स्कूल, कानपुर। | श्री काशीनाथ | ४०२६.०० रु० | के बिल प्रबन्धक के नाम पारित हुए, और का अनुदान निलम्बित होने पर जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा निकाल कर विद्यालय के खाते में डाला गया। |
| | | | ६३८८.०० रु० | |
| | | कुल | १०,४१४.०० रु० | |
| ३ | आदर्श बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कानपुर। | श्री काशीनाथ | ३९,१८६.५३ रु० | के बिल प्रबन्धक के के नाम पर पारित हुए। इसके अतिरिक्त का अनुदान निलम्बित होने पर जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा निकाल कर विद्यालय के खाते में डाला गया। |
| | | | ७,८९०.०० रु० | |
| | | कुल | ४७,०७६.५३ रु० | |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ४४९ पर)

## उत्तर प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) विधेयक, १९६०

(जैसा कि उ० प्र० विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

मूल रूप से अंग्रेजी में पारित कतिपय विधियों का प्रामाणिक हिन्दी पाठ प्रकाशित करने की व्यवस्था करने के लिये, और उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम, १९५१ ई० का संशोधन करने के लिए

### विधेयक

भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, १९६९ कहलाएगा।

२—राज्यपाल के प्राधिकार के अधीन निम्नलिखित, अर्थात्—

अधिनियमों, नियमों आदि का प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद।

(क) मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में पारित उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम, का, या

(ख) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन यूनाइटेड प्राविंसेज या उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा अंग्रेजी भाषा में जारी किए गए किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि का,

गजट में हिन्दी भाषा में प्रकाशित अनुवाद हिन्दी भाषा में उसका प्रामाणिक पाठ समझा जायेगा।

धारा 2 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २६, १९५१

३—उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम, १९५१ ई० की धारा २ में शब्द 'इस अधिनियम के लागू होने के एक वर्ष के भीतर' निकाल दिए जाएं, और अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड जोड़ दिया जाय, अर्थात्:—

"प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, एतदर्थ साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा, राज्य के किसी राजकीय प्रयोजन के लिए भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप के प्रयोग की अनुज्ञा दे सकेगी।"

राष्ट्रपति अधिनियम सं० 10, 1968

निरसन तथा अपवाद

४—(१) उत्तर प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, १९६८ एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

उ० प्र० अध्यादेश संख्या 1, 1968

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियम के अथवा उत्तर प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अध्यादेश, १९६८ के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायगी, मानो यह अधिनियम २५ जनवरी, १९६८ को प्रारम्भ हुआ हो।

## उद्देश्य और कारण

निम्नलिखित प्रयोजनों से २५ जनवरी, १९६८ को राज्यपाल द्वारा एक अध्यादेश प्रख्यापित किया गया और उसके बाद उसे प्रतिस्थापित करने के लिये एक अधिनियम उत्तर प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, १९६८ अधिनियमित किया गया था।

राज्य सरकार ने यह निश्चय किया था कि २६ जनवरी, १९६८ से समस्त शासकीय कार्य अनिवार्य रूप से हिन्दी में किया जाय। इस निमित्त यह आवश्यक हो गया था कि राज्य के उन सभी अधिनियमों, विनियमों, नियमों आदि के प्रामाणिक हिन्दी पाठ उपलब्ध हों, जो मूल रूप से अंग्रेजी में बनाये गये थे। किन्तु ऐसा कोई कानून नहीं बना था, जिसके अधीन हिन्दी अनुवाद को प्रामाणिक करार दिया जा सके। अतः प्रामाणिक हिन्दी पाठों को प्रकाशित करने की शक्ति सरकार को देने की व्यवस्था की गयी।

इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम, १९५१ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २६, १९५१) में निर्धारित एक वर्ष की समय-सीमा, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार राजकीय कार्यों में हिन्दी का प्रयोग करने का आदेश दे सकती थी, पहले ही समाप्त हो चुकी थी। अतः इस निमित्त उक्त अधिनियम की धारा २ का संशोधन करना आवश्यक हो गया था। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने हिन्दी टाइपराइटरों का जो 'की बोर्ड' स्वीकृत किया है उसमें अंक भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप में है। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार केन्द्र तथा अन्य राज्यों के साथ पत्र-व्यवहार में हिन्दी के साथ अन्तर्राष्ट्रीय अंकों का प्रयोग अनिवार्य है। इन कारणों से राज्य के राजकीय कार्यों में अन्तर्राष्ट्रीय अंकों का प्रयोग करना पड़ता है। लेखा संबंधी कार्यों में भी अन्तर्राष्ट्रीय अंक प्रयोग किये जाते हैं। अतएव समस्त शासकीय कार्यों में हिन्दी का प्रयोग करने तथा कतिपय राजकीय प्रयोजनों के लिये भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप के प्रयोग कर सकने की व्यवस्था के निमित्त अधिनियम, की धारा २ में आवश्यक संशोधन किये गये।

प्रस्तुत विधेयक उक्त राष्ट्रपति अधिनियम को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

चन्द्रभानु गुप्त,
मुख्य मंत्री।

पी० एल० यू० पी०—ए० पी०—७६ एल० ए०—१९६९—८७०।